C O N T E N T S

Fifteenth Series, Vol.XVI, Seventh Session, 2011/1932 (Saka)
No.11, Tuesday, March 8, 2011/ Phalguna 17, 1932(Saka)

SUBJECT	PAGES
REFERENCE BY THE SPEAKER	**2**
International Women's Day	
ORAL ANSWER TO QUESTION	
*Starred Question No.161-165	6-52
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	**53-678**
Starred Question Nos.166 to 180	53-108
Unstarred Question Nos.1841 to 2070	109-678

The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE **679-687**

STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE **681-683**
13th to 16th Reports

STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY **683**
19th and 20th Reports

STANDING COMMITTEE ON LABOUR **684**
(i)15th and 16th Reports
(ii)Statements

STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS **685**
(i)7th Report
(ii)Statements

STANDING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENTS **686**
230th to 233rd Reports

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE **687**
25th Report

SUBMISSION BY MEMBERS **688-703**
Re: International Women's Day

MATTERS UNDER RULE 377 **710-727**

(i) Need to take steps to check the degeneration of social values in the society.

Shri Jitender Singh Malik 711

(ii) Need to facilitate implementation of rural development works in Barmer Parliamentary Constituency, Rajasthan

Shri Harish Choudhary 712

(iii) Need to amend the relevant provision of the Constitution to provide benefits of promotion and seniority to people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Shri P.L. Punia 713

(iv) Need to provide special financial package to the Government of Maharashtra to assist farmers of the State particularly in Bhiwandi Parliamentary Constituency.

Suresh Kashinath Taware 714

(v) Need to construct a railway line between Chennai to Puducherry parallel to East Coast Road.

Shri S. Alagiri 715

(vi) Need to expedite the establishment of the proposed Desalination Plants in islands of Lakshadweep

Shri Hamdullah Sayeed 716

(vii) Need to undertake necessary measures to make Deoghar in Jharkhand a Mega Tourist Destination

Shri Nishikant Dubey 717

(viii) Need to protect the interests of employees working on temporary basis in Government Departments and PSUs in the country

Shri Ravindra Kumar Pandey 718

(ix) Need to set up a CGHS dispensary in Indore, Madhya Pradesh

Shrimati Sumitra Mahajan 719

(x) Need to check the rising prices of essential commodities

Shri Rewati Raman Singh 720

(xi) Need to construct a new bridge over river Kosi in Khagaria district, Bihar to facilitate smooth traffic on N.H.107

Shri Dinesh Chandra Yadav 721

(xii) Need to fix the royality on coal on ad-valorem basis

Shri B. Mahtab 722

(xiii) Need to provide adequate civic and medical facilities to civilan population residing in cantonment areas in the country

Shri Gajanan D. Babar 723

(xiv) Need to strengthen and convert bridge number 244 at Bodinaickanpatti under Salem Division, Southern Railway, Tamil Nadu into RCC BOX Bridge

Shri S. Semmalai 724

(xv) Need to set up Kendriya Vidyalayas in Tenkasi and Rajapalayam towns in Tenkasi Parliamentary Constitutency, Tamil Nadu

Shri P. Lingam 725

(xvi) Need to provide adequate share of water from river Ganga to Bihar and provide funds for prevention of land erosion in the State

Shri Jagadanand Singh 726

(xvii) Need to provide financial assistance to all the people seeking help from Prime Minister's National Relief Fund.

Shri Jose K. Mani 727

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL), 2010-11

Dr. Murli Manohar Joshi	729-748
Shri Sandeep Dikshit	749-763
Shri Akhilesh Yadav	764-767
Shri Mangani Lal Mandal	768-772
Dr. Ratna De	773-777
Shri Lalu Prasad	778-782
Shri R. Thamaraiselvan	783-790
Shri Bansa Gopal Chowdhury	791-794
Shri B. Mahtab	795-802
Shri Adhalrao Patil Shivaji	803-808
Shri Sanjay Singh Chauhan	809-811
Dr. Rattan Singh Ajnala	812-817

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	837
Member-wise Index to Unstarred Questions	838-843

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	844
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	845-846

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Dr. Girija Vyas

Shri Satpal Maharaj

SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, March 8, 2011/ Phalguna 17, 1932(Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

REFERENCE BY THE SPEAKER

International Women's Day

MADAM SPEAKER: Hon. Members, today is the International Women's Day, that is observed the world over to mark the social, economic and political achievements of women.

The day offers an opportunity to us for introspection. How far have we been successful in our endeavours to provide women with equal rights and opportunities in various walks of life? Unfortunately, we do find in our society a paradoxical situation. On the one hand we take immense pride in the phenomenal progress made by women in all walks of life. On the other, there is the anguishing stigma of female foeticide, honour killing, dowry deaths and crime against women. We, therefore, need to re-dedicate ourselves to the cause of upholding the rights and dignity of women.

Though a paradigm and attitudinal shift is perceptible in the vision of the society about women's equality and emancipation, it is imperative for us to prioritize women's empowerment as an intrinsic part of our development agenda and policy.

The theme for International Women's Day, 2011 is, "*Equal access to education, training and science and technology: Pathway to decent work for women".* This theme finds resonance in our on-going efforts towards empowerment of Indian women.

Let us on this occasion rededicate ourselves collectively to strive towards making the long cherished goal of women empowerment a living reality.

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): अध्यक्ष महोदया, उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है।...(व्यवधान)

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam, Qn. No. 161. Public Distribution System ... (*Interruptions*)

श्री शैलेन्द्र कुमार : वहां बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। ज़ीरो आवर में हम आपकी बात सुनेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी, हम आपकी बात शून्य प्रहर में सुन लेंगे।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : हम आपके निर्देश का पूरा पालन करेंगे।...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदया, दो मिनट बात सुन ली जाए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अभी प्रश्न काल चलने दीजिए। प्रश्न काल कल भी नहीं चल पाया, आज चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मेरा अनुरोध है कि आप आज प्रश्न काल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हम शून्य प्रहर में आपकी बात अवश्य सुनेंगे।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : क्या आप एक मिनट के बाद प्रश्न काल चलाएंगे, प्रश्न काल को भंग नहीं करेंगे, किसी तरह का व्यवधान नहीं डालेंगे?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी, आप एक मिनट में अपनी बात कहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप लोग शान्त हो जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : राजा रामपाल जी, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं गृह मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं। कल मुझे जिस तरह अपमानित करने की साजिश की गई, उसमें आपने और गृह मंत्री जी ने मिलकर हमारा काफी अपमान बचाया। कल नहीं बल्कि बहुत पहले से यानी 10,11,12 फरवरी को ऐलान हो गया था कि उत्तर प्रदेश में जनता के कुछ सवालों को लेकर समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करेगी, आन्दोलन करेगी।

वह पूर्व घोषित आंदोलन था, लेकिन मैं आंदोलन भी नहीं कर रहा था। मैं अपने घर पर बैठा हुआ था, तभी पता चला कि हमारे दरवाजे पर पुलिस आ गयी, पीएसी आ गयी, डीआईजी आ गया, डीएम आ गया। हमारे घर के दरवाजे को पूरा बैरीकेटेड कर दिया। मैं कहीं से भी नहीं निकल सकता था। आपने टीवी में देखा होगा कि किस तरह किया गया था। जब आपका और गृह मंत्री जी का हस्तक्षेप हुआ, तब उसे किस तरह हटाया गया। हमें अपने घर में ही बंद कर दिया गया। हमने बाहर आकर डीआईजी और डीएम से कहा, टेलीफोन पर भी कहा कि मैं घर पर बैठा हूं, तो वह हट गया। मैं अभी किंग फिशर के जहाज से दिल्ली जा रहा हूं। अध्यक्ष जी, आपको मैंने तत्काल अपने अंदर के दफ्तर से, क्योंकि मेरे घर के कार्यालय में कर्मचारियों को भी नहीं आने दिया, तो मैंने खुद अपने हाथ से लिखकर आपको फैक्स किया। आपने उस समय हमारी मदद की, गृह मंत्री जी ने भी मदद की। उसके बाद बैरीकेट थोड़ी हटी, लेकिन बैरीकेट हटने के बाद भी पुलिस हमारे घर को चारों तरफ से घेरकर खड़ी हो गयी।

अध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि मैं और अखिलेश दोनों सदन में आ रहे थे। किंग फिशर एयरलाइन्स से पता लगा लीजिए कि हम दोनों का रिजर्वेशन था। हम सुबह यहां आकर सदन में उपस्थित होना करना चाहते थे। सबसे पहली बात यह है कि हमें सदन में नहीं आने दिया गया, सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। हमारा सदन में हिस्सा लेने का जो विशेष अधिकार था, उससे मुझे रोका गया। कल रेलवे बजट पर भी महत्वपूर्ण चर्चा चल रही थी। इटावा से मैनपुरी तक हमारा लगातार यह प्रयास चल रहा है कि वहां किसी तरह रेलवे लाइन बिछ जाये। हिन्दुस्तान में अकेला मैनपुरी ही इससे वंचित रह गया है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपकी बात हो गयी है, इसलिए अब आप समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, वह हमारा महत्वपूर्ण सवाल था। उससे मुझे रोका गया। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, अब आप प्रश्न काल चलायें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: हम रेलवे बजट पर भी अपनी बात नहीं कह सके। कल रेल बजट पास हुआ है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब आप प्रश्न काल चलाने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मैं इसे देख लूंगी। मैं इसे दिखवाऊंगी, यह मैंने कल भी कहा था।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, वहां के डीएम, डीआईजी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ...(व्यवधान) हम आपसे अपील करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप हमारे विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्वीकार करें। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप क्यों खड़े हो गये हैं?

...(व्यवधान)

श्री बृजभूषण शरण सिंह (कैसरगंज): अध्यक्ष महोदया, उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? गृह मंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करें। ...(व्यवधान) जिन अधिकारियों ने यह काम किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपने कहा था कि प्रश्न काल चलायेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : किसी भी माननीय सदस्य की कोई भी बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

...(व्यवधान)*

* Not recorded.

(Q. No. 161)

MADAM SPEAKER: Q. 161, DR. M. THAMBIDURAI

DR. M. THAMBIDURAI : Madam Speaker, operation of the PDS is the joint responsibility of the State and the Central Governments. The Central Government has taken the responsibility for procurement, storage and transportation and bulk allocation of food grains, etc. While it is so, it has to take care that there is no leakage and pilferage in the supply of food grains to the BPL families. … (*Interruptions*)

11.08 hrs.

At this stage Shri Shailendra Kumar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

अध्यक्ष महोदया : आप सब अपनी-अपनी सीटों पर वापस जाइये। मुलायम सिंह जी, आप इन्हें वापस बुलाइये।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : नहीं, पहले आप सब अपनी-अपनी सीटों पर वापस जाइये।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : यह गलत है। आपको मैंने बोलने का समय दे दिया, फिर भी आप प्रश्न काल नहीं चलने दे रहे। आप सब अपनी-अपनी सीटों पर वापस जाइये।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप पहले वापस जाइये फिर मुझसे बात कीजिए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

11.09 hrs.

At this stage Shri Shailendra Kumar and some other hon. Members went back to their seats

* Not recorded.

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न काल चलाने दीजिए।

...(व्यवधान)

ाध्यक्ष महोदया : आप सब शांत हो जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप शिष्टाचार का निर्वहन कीजिए। मैं खड़ी हूं, इसलिए आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप शिष्टाचार का निर्वहन कीजिए। आप सब बैठ जाइये। मुलायम सिंह जी, आप भी बैठ जाइये। मैंने आपको बोलने का मौका दे दिया। आपने कहा था कि उसके बाद प्रश्न काल चलेगा, इसलिए अब प्रश्न काल चलाने दीजिए। प्रश्न काल भी किसी का विशेषाधिकार है।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, आप नाराज मत होइये।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हम बिल्कुल नाराज नहीं हैं और आज के दिन तो हो ही नहीं सकते।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, आप हमारे विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्वीकार करें। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Dr. Thambidurai says.

(Interruptions) ...[*]

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Further, I want to add that, the Minister, in his reply, has said that the offtake against additional allocations made in January, May and September, 2010 has been in the range of 26 per cent to 53 per cent.

He has also stated that in the case of allocation made in January 2011, States/Union Territories have been allowed time to lift up to June 2011. The off-take of food grains under other welfare schemes during 2010-11 (up to December 2010) has been 54 per cent. … (*Interruptions*)

[*] Not recorded.

We are giving food grains to the poor people through the Public Distribution System. … (*Interruptions*) It is our system that during festivals we see to it that the poor people get food grains at cheaper price. That is what we are doing. … (*Interruptions*) According to the reply, some States have lifted the food grains to the extent of 100 per cent, but some States have not done so. I am not able to understand why some States have not lifted the food grains. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I think it is over. Hon. Minister to reply.

… (*Interruptions*)

DR. M. THAMBIDURAI: Madam Speaker, I have not yet formulated the question. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए। प्रश्नकाल चलने दीजिए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह यादव जी, आपने अपनी पूरी बात विस्तार से बता दी है। हम इसकी पूरी जांच करवा रहे हैं? आप भी जानते हैं कि हम इसको ठीक से दिखवा रहे हैं।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आपने अपनी बात कह दी है, अब आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

MADAM SPEAKER: Hon. Minister to reply.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Mr. Minister, please give your reply.

… (*Interruptions*)

---

* Not recorded.

PROF. K.V. THOMAS: We have made normal allocation to many of the States. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The hon. Minister is giving the reply.

… (*Interruptions*)

PROF. K.V. THOMAS: The overall off-take is almost 83 to 98 per cent. But some States, especially in the allocation of wheat and rice under the Special *Ad hoc* Allotment, have not lifted 100 per cent and it is only to the extent of 30 to 40 per cent. … (*Interruptions*) But we are in touch with the State Governments. We had four zonal meetings last month with the Chief Ministers and the Food Ministers of the respective States. … (*Interruptions*) In those meetings we have requested the State Governments to take special interest in the off-take of food grains under the Special *Ad hoc* Allotment. … (*Interruptions*)

DR. M. THAMBIDURAI : In the reply, the hon. Minister has stated that some States have lifted the full allocation of the food grains that was allotted to them and some States have not done so.. … (*Interruptions*)

Some States which have lifted the food grains are not properly distributing them. For example, in Tamil Nadu – which has lifted the food grains – the food grains are not being properly distributed. … (*Interruptions*) In the ration shops many people are not getting sufficient food grains. … (*Interruptions*) They are taking the food grains to the neighbouring States and also to other countries. Last year, a compliant was made that the food grains meant to be distributed through the Public Distribution System were taken away by somebody and were stored in the godowns in the Tuticorin Port. … (*Interruptions*) Then, they were taken to the Maldives Island. … (*Interruptions*) This complaint came to our notice. … (*Interruptions*) The Central Government is procuring the food grains and giving them to the State Governments, but the State Governments are not properly distributing them. Instead, the food grains are being smuggled to other States. … (*Interruptions*) I would like to know from the hon. Minister as to what action the

Central Government has taken against such States in such instances? … (*Interruptions*)

I would like to raise one more issue. In the ration shops, they are selling not only food grains but also cosmetic goods, like soaps, oil, etc. … (*Interruptions*) Consumers are complaining that they are being forced to buy these cosmetic items. … (*Interruptions*) Why are the State Governments compelling the consumers to purchase these cosmetic goods instead of the food grains? … (*Interruptions*) That is the complaint the consumers are making in Tamil Nadu. … (*Interruptions*) What is the Central Government doing? … (*Interruptions*) Has the Central Government advised the State Government not to indulge in such kind of activities?

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदया, इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजने का आश्वासन दे दीजिए। संसद की अवमानना हुई है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह यादव जी, आपने अपनी बात कह ली है, हमने उसे सुन लिया है। इसके पहले आपके कागज भी आ गए हैं। हम उसे दिखवा रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर हम निर्णय करेंगे।

श्री दारा सिंह चौहान : सारी रिपोर्ट आ गई है।

अध्यक्ष महोदया: इसके अलावा हम आपसे ऑफिस में भी बात कर लेंगे। अब आप अपना-अपना स्थान ग्रहण करें और प्रश्न काल सुचारू रूप से चलने दें। धन्यवाद।

PROF. K.V. THOMAS: Madam, it is the joint responsibility of the Central Government and the State Government to implement the Public Distribution System (PDS). The Central Government make available foodgrains allotted to the States and it is the State Governments which have to distribute them

Madam, in the case of Tamil Nadu, the offtake, in the normal PDS, is to the tune of hundred percent and in the special allocations also, they have done quite well. But the question is foodgrains which are allocated to the States and from the States, certain quantities are siphoned off illegally. So, this is a question which States have to find out solutions. But on the part of the Government of India, we

have been constantly in touch with the State Governments. Recently there had been four zonal meetings and in the first zonal meeting in Trivandrum on 3rd where the Tamil Nadu Government's representative was also present, we have brought all these issues before them. I am confident that the State Governments will take necessary action so that the allocated foodgrains to the States are not siphoned off. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shrimati Jaya Prada – not present.

… (*Interruptions*)

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR : The hon. Minister in his reply has mentioned about the representation received by the North-Eastern States. Madam, in the North Eastern States the major problem is that there is a regular flood in the monsoon season. The stock in the North Eastern Region becomes very low and it becomes very difficult for the State Governments to fulfill the obligation of giving it to the people in the remote Area.

So, I would like to ask from the hon. Minister whether they have taken any special steps to make available adequate stocks in the North Eastern Region. The hon. Minister has also mentioned about the short supply of the railway racks. It is a regular problem for the North Eastern States. So, I would request the hon. Minister to take adequate steps so that the people of the North Eastern Region should not face difficulties at the time of floods which is a regular phenomenon in the North Eastern Region.

PROF. K. V. THOMAS: Madam for the North Eastern States, we are giving special attention. On the last 14th in Kolkata, there was a meeting of the Food Ministers and Chief Ministers to discuss about the problems being faced by the North Eastern States. It is true that the rakes available for the distribution of foodgrains in the North Eastern States are not adequate I am not blaming the railway department because they have got some constraints. But we have an existing mechanism, which continues, by which the FCI and the railway department are constantly in touch and are monitoring the situation. Similarly,

we have increased the storage facility of the FCI in almost all the seven States of the North Eastern Region so that about 5.25 lakh tonne capacity is being generated. We have also given instructions for the new godowns to be constructed at Changsari of 50,000 MT capacity, in Hailakandi of 5,000 capacity and in Tura of 2500 MT capacity.

The storage capacity of Senapati is 5000 metric tonnes; that of Jiribham is 2500 metric tonnes and that of Passighat is 2500 metric tonnes and in Arunachal Pradesh, about 20,000 metric tonnes. The stock position as of now is quite comfortable.

डॉ. संजय जायसवाल : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने खुद ही स्वीकार किया है कि 26 परसेंट से 53 परसेंट तक का ऑफटेक होता है। मैडम, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि झारखंड में जहां 25 से 28 परसेंट एपीएल का अनाज उठाया जाता है, वहीं दिल्ली में 100 प्रतिशत एपीएल का अनाज उठाया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम सारे सांसद एपीएल का अनाज खाते हैं, दिल्ली के सारे कॉरपोरेट जगत के लोग एपीएल का अनाज खाते हैं, दिल्ली के सारे पेज-3 के लोग एपीएल का अनाज खाते हैं, तभी तो यह 100 परसेंट एलोकेशन है। मैडम, आप मायापुरी में चले जाइये, वहां पर ओपनली एफसीआई गोदाम के बाहर खाद्यान्न बिकता है। कोई भी चावल की फैक्ट्री वाला हो या आटा मिल वाला हो, एफसीआई के गोदाम से माल उठाकर अपनी फैक्ट्री में सीधा ले जा सकता है। माननीय मंत्री जी बताएं कि क्या दिल्ली का हर नागरिक, चाहे कॉरपोरेट जगत का हो या आम आदमी हो, वह एपीएल का अनाज ही खाता है या इसमें पूरे का पूरा घोटाला है? साथ ही क्या एफसीआई मायापुरी से सारा अनाज आटा मिलों और राइस मिलों में चला जाता है, माननीय मंत्री जी इसका जवाब दें।

PROF. K.V. THOMAS: In Delhi, the distribution system is with the State Government. We are discussing with the Chief Minister and other Ministers of the Delhi Government to make the PDS in Delhi more effective. I will specifically look into the problem which the hon. Member has indicated now. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये, हम विशेष रूप से इसे देख लेंगे।

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : इनके सवाल का जवाब नहीं आया है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप सुन लीजिए, मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं, आप बैठ जाइये।

PROF. K.V. THOMAS: In the beginning of my answer to this Question, I said that the main responsibility of the Central Government is to make available the food grains to the States which we are doing. So, it is the responsibility of the State Government to make the Public Distribution System effective.

SHRI KHAGEN DAS: The shortfall in the delivery of food grains by the FCI to the North-Eastern States, in particular Tripura, is a continuous feature. The Government of Tripura has requested the FCI to build a buffer stock of food grains for three months by March, 2011 after meeting the monthly requirements. This has been agreed to by the FCI but in reality that has not happened. There is a need to increase the movement of food grains by rail and road in the North-Eastern States. My specific question is this. I would like to know from the hon. Minister whether the Government of India would urgently look into the transportation problem of food grains to build a buffer stock as was agreed to by the FCI for three months by March 2011 for Tripura after meeting the normal monthly requirements and also to increase the storage capacity.

PROF. K.V. THOMAS: I have already answered that in the case of the North-Eastern States, especially in the case of Tripura, the storage capacity has been increased to 29180 metric tonnes.

We are in the process of building more storage capacity with the cooperation of State Governments.

Madam, as far as buffer stock is concerned, we are monitoring the situation almost everyday in all the Southern States and the North East. This is a process and we are very vigilant on that.

(Q. No. 162)

SHRI KABINDRA PURKAYASTHA (SILCHAR): Madam, this is, perhaps, a coincidence that on the World Women's Day today, when everybody is thinking regarding the rights of women, I have to ask a question regarding the crimes against women and children in the country. As per the Report of the National Crime Records Bureau, cases of crime against women and children have increased in India and the National Human Rights Commission is very much worried about it.

The hon. Minister, in his reply, has given a long list of the steps already taken by the Government. But in spite of all these things, it is unfortunate that women are facing many problems even now. Is it a fact that the National Capital of Delhi has become a den of crimes against women and children and whether the Government is aware of the fact that female students and women employees particularly from the North Eastern States are easy victims of such crimes? What steps have been taken by the Government to check this serious problem?

Then, as per the reply given by the hon. Minister, he has stated that funds have been given to States for establishment of Anti Human Trafficking Units. May I know from the hon. Minister as to whether this money that has been sent to the States has been utilized and what is its result?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Madam, the reply is a very detailed one. As far as Anti Human Trafficking Units are concerned, the plan is to set up 355 such units all over the country. All the States have been given money and money has been released to the States. They are in the process of setting up these Anti Human Trafficking Units and we hope that over a period of time all the 355 units will be functional.

Madam, crime against women in Delhi is, indeed, a serious issue. I have answered questions earlier when a specific question was put on crime in Delhi against women. That is the reason why we have taken it up very seriously. A number of suggestions have been made. These are being implemented by State

Governments as well as by the Union Territory of Delhi and you might have seen in this morning's paper that thanks to a number of measures taken recently by the Delhi Police, there is a decline in the crime against women in the last few months.

SHRI KABINDRA PURKAYASTHA : Madam, my second supplementary is regarding the Protection of Children against Sexual Offences Bill. I would like to know whether the Union Cabinet has given its approval to the Bill on Protection of Children against Sexual Offences and also whether it will be placed in this House during this Session. Then, what are the main provisions of this Bill? I would also like to know whether there is any provision for the rehabilitation of abused victims and whether the burden of proof lay on the accused.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Madam, this Bill, I think, is being piloted by the Ministry of Women and Child Development, so I am not familiar with the contents of the Bill yet. But I shall certainly find out from my colleague whether there is a proposal to place the Bill in this Session of Parliament. That is the specific question. I will find out and give an answer… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record, except what Shri Baijayant Panda says.

(Interruptions) …[*]

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। उनको प्रश्न पूछने दीजिए।

…(व्यवधान)

SHRI BAIJAYANT PANDA : I thank the hon. Minister for his detailed response, but we must be clear about the great deal more that needs to be done. For example, the hon. Minister has stated that NHRC has registered on an average less than 6,000 cases against women every year for the last four year. But we know from statistics available from Government of India sources and other sources that about three million women are affected every year.

[*] Not recorded.

If you just look at just one sub-section of that, between 5,000 and 7,000 Nepalese girls are trafficked every year into the country and there are approximately two-and-a-half lakh such Nepalese girls in the country. It is just a small sub-section. This is compounded by the fact that besides the own tragedy that we have in our own country, we are regularly held up to opprobrium in the international community; international agencies regularly write reports saying that India's efforts are inadequate. For example, the countries like the US have put us on a Tier-II Watch List for trafficking of women and children.

In the light of the answer that the hon. Minister has given I applaud the steps that are being taken, but I want to highlight that it seems to be inadequate. For example, he has stated that a sum of Rs.8.72 crore has been for 110 anti-trafficking centres and that is only one-third. But even when the full lot is implemented, it will only be about Rs.25 crore to Rs.26 crore. For a country of our size, I want to ask the hon. Minister, is it not inadequate? Can not more steps and more funding be made available for this very important subject?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Madam, this amount is what is released by the Central Government to the States. Obviously, the States also would have to find money from their own resources. I agree that a sum of rupees eight-point odd crore is a small amount and even if we provide the seed money for setting up the 355 units, it might not amount to more than Rs.25 crore or Rs.30 crore. But I sincerely hope that the State Governments would also find resources to strengthen the anti-trafficking units.

श्री जयवंत गंगाराम आवले : अध्यक्ष महोदया, मुझे आपने एक प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। क्या मानवाधिकार आयोग ने महिला तथा बाल दुर्व्यापार के मामलों का महाराष्ट्र राज्य में आकलन किया है? क्या राज्य का जिलेवार ब्यौरा उपलब्ध है? दुर्व्यापार के पीड़ितों को महाराष्ट्र में कितनी संख्या में मुआवजा दिया गया है तथा उनका जिलेवार ब्यौरा क्या है?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Madam, as I said in my answer, especially to part 'c' of the question, the NHRC has taken up an ambitious study and that is called the Action Research on Trafficking in Women and Children in India.

It is a very elaborate plan. In fact, I have a copy of the plan with me, which runs to over 30 pages. To give you a summary of that plan, it deals with subject under five heads: one is cross-cutting issues; second is prevention of trafficking; third is protection of victims and survivors; fourth is prosecution of exploiters and others; and fifth is changes proposed in ITPA.

These are being implemented over a period of time. A large number of advisories have been given. NHRC itself has taken up a large number of cases and has the power to order monetary relief. In part 'd' of the answer, I have given the monetary relief that the NHRC has ordered in proven cases of human rights violation and in cases of violation of human rights of children.

Now, what part of this money went to Maharashtra, I do not have that detail. But I will get that detail and furnish it to the hon. Member.

श्रीमती मीना सिंह : महोदया, मैं सबसे पहले आपका आभार प्रकट करती हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की है। मेरे द्वारा दिसंबर 2009 में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय दिलाने संबंधित प्रश्न के उत्तर में माननीय गृह मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं तथा इसे दूर करने तथा महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए ढेर उपाय जैसे महिला थाना, महिला जज, महिला वकील, राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी करने की चर्चा की थी। उनके जवाब को एक साल से ज्यादा बीत गया है और हमें यह अफसोस है महिलाओं की हालत आज भी जस से तस बनी हुई है। आज भी हमें टीवी या समाचार पत्र में कहीं चलती कार में, सुनसान रास्ते पर या पुलिस थाने में महिलाओं के साथ ब्लात्कार की घटना देखने को मिलती है। नाबालिग बच्चों से घर में नौकर का काम करवाया जाता है, मामूली सी गलती पर बेरहमी से पिटाई ही नहीं की जाती बल्कि आंखे तक फोड़ दी जाती हैं और गर्म सलाखों से दागा जाता है। मैं व्यक्तिगत तौर से गृह मंत्री जी का बेहद सम्मान करती हूं और उन्हें कुशल प्रशासक मानती हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि कब तक इस देश में महिलाओं की इज्जत सरेआम लूटी जाती रहेगी? कब तक उन्हें जिंदा जलाया जाता रहेगा? बच्चे कब तक बचपन खोते रहेंगे? कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, गृह मंत्री जी कब तक यह कहकर

महिलाओं एवं बच्चों का शोषण और दोहन देखते रहेंगे? मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या वह राज्य सरकारों को सिर्फ एडवाइजरी ही जारी करते रहेंगे या कोई ठोस कदम उठाकर महिलाओं एवं बच्चों को सुशासन और सुकून की जिंदगी देंगे तथा इज्जत आबरु महफ़ूज रखेंगे?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Madam, I certainly do not want to understate the responsibility of the Central Government in the matter. The Central Government has an important responsibility in ensuring that crimes against women and children are prevented and if such crimes take place, they are punished.

The hon. Member asked me, what we have done in the last year since she asked the Question. We have issued advisories. These advisories are intended to be virtually directions to the State Governments to act in accordance with what has been laid down. But please remember, all of us represent a State and we are zealous in guarding the right of the State in its constitutional responsibility to maintain law and order. 'Law and Order' and 'Public Order' are State Subjects. So, when we encroach upon those rights… (*Interruptions*)

I am answering it; please listen. What is the point in shouting? I am not understating or diminishing the responsibility of the Central Government. At the same time, I would respectfully ask you to listen to me when I say, with respect, that the primary responsibility of enforcing laws made by Parliament, laws made by the State Government in respect of law and order and crime lies with the States. When we say that the States will not do the job, we are actually… (*Interruptions*)

श्री शैलेन्द्र कुमार : दिल्ली के बारे में बताएं।...(व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM: I am coming to Delhi; we are not running away from Delhi. We have all been in the Central Government at some time or other. Delhi is under the Central Government; nobody is disputing that. But the hon. Member is not asking about Delhi; she is asking about all the States. She is not concerned only about women in Delhi. She is asking about women and children all over the country. Therefore, I am taking a serious view of the matter.

NHRC is extremely active. NHRC is taking up these cases and disposing of thousands of cases. Monetary relief is being granted. I have given the numbers. Show me any other period where NHRC has allowed monetary compensation of Rs.35,25,000 and disposed of 23,254 cases.

The point is that we do as much as we can do. I would like to do more. I want you to help me when I do more and write stronger letters. But the point is the primary responsibility. They cannot shirk the responsibility, which lies with the State Government and we must raise our voice asking Chief Ministers and Home Ministers of States to enforce the law.

MADAM SPEAKER: Shri Nama Nageswara Rao.

… (*Interruptions*)

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैडम, क्या हम लोगों से नाराजगी है, हम लोगों ने भी एक क्वैश्चन पूछने की रिक्वैस्ट की है।

श्री नामा नागेश्वर राव : मैडम स्पीकर, इंडिया में ट्रैफिकिंग, डाउरी डैथ्स, ऑनर किलिंग के साथ-साथ अभी महिलाओं पर एसिड अटैक्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। उसकी वजह से कुछ लोग मर रहे हैं और कुछ विक्टिम्स लाइफलांग सफर कर रहे हैं। I would like to know from the hon. Minister, through you, Madam, whether the Government proposes to amend the Criminal Procedure Act to attract severe penalty for the crimes related to acid attack on women.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Madam, as far as my knowledge of Penal Code goes, throwing acid on woman is covered by the existing provisions of the Penal Code, which will fall under 'grievous hurt' and more serious section of the IPC. I think, 'grievous hurt' is covered by Section 325 of the IPC. There are enough provisions in the IPC to deal with throwing of acid. I recall that there was a suggestion that throwing of acid must be made a specific offence and that is under consideration. We have not yet taken a decision. But, I think, the existing provisions of the law are adequate to deal with the crime of throwing acid and severe punishment can be given under Section 325. … (*Interruptions*)

SHRI VIJAY BAHADUR SINGH : Yes, ten years' punishment … (*Interruptions*)

SHRI P. CHIDAMBARAM: My learned friend helps me by saying that the punishment is up to 10 years.

(Q. No.163)

श्री बाल कुमार पटेल : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कालोनियों में पट्टे पर दी गई दुकानों से उन कालोनियों के निवासियों को किस प्रकार के उत्पाद बेचे जायेंगे, पट्टे पर देते समय किस प्रकार के उत्पाद लाइसेंस हैं? इसके जवाब में मंत्री जी ने हां कहा है। परंतु बार-बार उन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करके जो कार्य किये जाते हैं, सेवा-शर्तों को नहीं माना जाता है, उदाहरणस्वरूप हम नॉर्थ एवेन्यू को ही ले लें। वहां जो फल, जूस और सब्जियां बेचने के लिए दुकानें अलॉटेड हैं, उनमें मोबाइल शॉप्स चल रही हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से पहला सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जिस दुकान का आबंटन जिस प्रकार की सेवा प्रदान करने के लिए किया गया है, वही उत्पाद उस आबंटित दुकान से बेचा जायेगा, कृपया मंत्री जी बताने का कष्ट करें।

प्रो. सौगत राय: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य को पता होगा कि अभी दिल्ली की हर कालोनी की दुकान हमने एनडीएमसी और एमसीडी को ट्रांसफर कर दी है। वर्ष 1 अप्रैल, 2006 से हर दुकान एनडीएमसी या एमसीडी के अधीन है। लेकिन जब नॉर्थ एवेन्यू का सवाल पूछा गया है तो मैं बताना चाहता हूं कि 2008 में एक भी नोटिस फॉर वॉयलेशन ऑफ नॉन-पेमेन्ट के लिए इश्यु नहीं किया। 2009 में दो, 2010 में पांच और 2011 में निल। लेकिन कानून ऐसा है कि जो व्यापार के लिए लाइसेंस चाहिए, वे एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यापार है जिसमें लाइसेसं नहीं चाहिए। कोई भी फूड स्टफ बेचना है तो लाइसेंस चाहिए। लेकिन वह मोबाइल बेचे या बिस्किट्स बेचे, उसके लिए अलग लाइसेंस नहीं चाहिए।

किसी की इच्छा हो तो वे एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदया : आप दूसरा पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री बाल कुमार पटेल : महोदया, माननीय उच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्देशों में आबंटन पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि आबंटी के मृत या किसी अन्य कारण से आबंटन निरस्त होने पर नये सिरे से खुली प्रक्रिया द्वारा ही आबंटन करके कार्य सम्पादित किया जाये। मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि इस आदेश का अनुपालन न करते हुए आबंटी के बाद उसके परिवार के व्यक्ति अवैधानिक रूप से काबिज हैं। क्या सरकार ऐसे अवैधानिक कब्जा धारकों की पहचान करके नये सिरे से उक्त दुकानों का आबंटन कराने की कृपा करेगी और कब तक करेगी?

प्रो. सौगत राय : महोदया, मैं माननीय सदस्य का यह सवाल नहीं समझा कि वे कहां के बारे में कह रहे हैं? जैसा मैंने बताया कि अभी दिल्ली की दुकानें केन्द्रीय सरकार के अधीन नहीं हैं, डायरेक्टर ऑफ एस्टेट्स के अधीन नहीं हैं। अगर ऐसी कोई बात हुई और माननीय सदस्य कोई उदाहरण देंगे, कोई एग्जाम्पल देंगे तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। हमारे मंत्री जी भी यहां पर मौजूद हैं।

श्री पन्ना लाल पुनिया : महोदया, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सरकारी कालोनियों में पट्टे पर जमीन देकर छोटा-मोटा रोजगार करने के लिए एक अवसर मिलता है। यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है। अगर गरीब आदमी को कहीं छोटा-मोटा रोजगार चलाने के लिए जगह मिल जाती है तो वह समझता है कि उसकी लाटरी खुल गयी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे इसमें अनुसूचित जाति से सम्बन्धित महिलाओं को, विधवाओं को या सिंगल वुमेन को भी आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान करेंगे?

प्रो. सौगत राय : महोदया, मैं बताना चाहता हूं कि जब यह केन्द्रीय सरकार के अधीन था, वर्ष 1996 में हमारी जो पॉलिसी फोर एलॉटमेंट ऑफ शॉप्स एंड स्टॉल थी, उसमें एस.सी., एस.टी. के लिए 22.5 प्रतिशत और हैंडीकैप के लिए 3 प्रतिशत रिजर्वेशन दिया गया था और अभी भी वह आरक्षण दुकानों पर चालू है।

श्री अशोक अर्गल : महोदया, जैसा अभी माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है, मैं इसमें अपनी बात जोड़ते हुए कहना चाहता हूं कि दिल्ली और अन्य शहरों में भी कई दुकानें सौंप दी जाती हैं, कई आवास परिसर भी दिये जाते हैं, लेकिन देखने में यह महसूस नहीं होता कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को इतने आवास दिये गये हैं। क्या इसमें आप कोई ऐसी नयी व्यवस्था बनाएंगे कि उनको इसका लाभ मिले?

प्रो. सौगत राय : महोदया, यह सवाल दुकानों से सम्बन्धित है। आप जो हाउसिंग के बारे में कह रहे हैं, हाउसिंग के अलग मंत्री हैं, वे इसके बारे में जवाब दे सकते हैं।...(व्यवधान) हम तो केवल दुकानों के बारे में कह सकते हैं।...(व्यवधान)

श्री अशोक अर्गल: दुकान भी आपने मुंबई में 84...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब कुछ नहीं। प्रश्न संख्या 164- श्री चंद्रकांत खैरे।

(Q. NO.164)

श्री चंद्रकांत खैरे : महोदया, जो भी केबल और डीटीएच सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं, उनकी ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में मोनोपोली होती है। मैं तो यही कहूंगा कि दूरदर्शन अपना केन्द्र है, अपना टीवी सेंटर है। दूरदर्शन सिर्फ देहात में, ग्रामीण क्षेत्रों में तो दिखता ही है, लेकिन बाकी के केबल चैनल्स वहां नहीं दिखते हैं। वे जो दूरदर्शन के चैनल्स हैं, उसमें स्पोर्ट्स के और अन्य चैनल नहीं दिखते हैं।

ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने कहा कि हमें क्रिकेट देखना है। वे कहते हैं कि बाकी सभी क्षेत्रों में केबल चैनल्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में केबल वाले नहीं हैं, इसलिए दूरदर्शन पर आना चाहिए, यह उनकी डिमांड है। इसके लिए चैनल ऑपरेटर को कहा गया तो अगर हमें डिसकवरी चाहिए, मराठी का चैनल चाहिए, मुम्बई, दिल्ली या कहीं देहात में चाहिए, तो ऑपरेटर इसके लिए ज्यादा डिमांड करते हैं। जैसे हमें लगता है कि 'सुदर्शन' चैनल देखना चाहिए, लेकिन सुदर्शन वाले कहते हैं कि बहुत ज्यादा पैसे हमें उनसे देने पड़ते हैं। इसका कोई नियम आधार आपने बनाया है क्या? इसी तरह से केबल टीवी वाले किसी से 250 रुपये महीना लेते हैं, किसी से 400 रुपये लेते हैं और किसी से 300 रुपये लेते हैं। इसके लिए क्या कोई नियम बनाया गया है, यही मैं जानना चाहता हूँ।

श्रीमती अम्बिका सोनी : महोदया, 1995 में केबल रेगुलेटरी एक्ट बना था। उसके तहत पूरे केबल नैटवर्क को गवर्न करने की बातें रखी गई हैं। माननीय सदस्य ने पूछा है कि दूरदर्शन पर हर स्पोर्टिंग ईवैन्ट देखने की लोगों की अभिलाषा है। लेकिन कुछ नियम इसके लिए निर्धारित किये गये हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल हैं, जहाँ भारत भाग ले रहा है, वे दूरदर्शन पर दिखाए जाएँगे और दूरदर्शन जहाँ दूसरी जगह बिड करता है, वे चैनल केबल नैटवर्क पर दिखाए जाएँगे। हर स्पोर्टिंग ईवैन्ट में दूरदर्शन बिड नहीं करता, लेकिन जहाँ प्रसार भारती द्वारा तय किया जाए कि ये राष्ट्रीय खेल हैं और राष्ट्र उसमें भाग ले रहा है, तब ही दिखाए जाते हैं, हर खेल नहीं दिखाया जाता। 1995 का एक एक्ट है और 2008 में टैलीकॉम रैगुलेटरी अथॉरिटी ने बहुत से सुझाव और रिकमंडेशन्स दिये हैं इस रैगुलेटरी एक्ट में संशोधन लाने के लिए। उनमें कई ऐसे सुझाव हैं जिनको पूरा करने के लिए कुछ व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। हम इसी सिलसिले में आगे कदम ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी एक कंप्रिहैन्सिव केबल रेगुलेटरी एक्ट सदन के सामने लाएंगे।

श्री चंद्रकांत खैरे : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पूछा था कि महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने संशोधन के लिए जो संबंधित प्रस्ताव भेजा है, आपने कहा कि जब कोई निर्णय लिया जाएगा तो उस समय राज्य सरकार द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ध्यान भी रखा जाएगा। यह निर्णय कब लिया जाएगा? उसको आप कोई टाइमबाउंड रूप में करेंगे?

श्रीमती अम्बिका सोनी : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी कहा है कि 2008 में जो सुझाव ट्राई की तरफ से रखे गए हैं, उसमें महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया हुआ सुझाव जो प्रिंसिपल तरीके से एंटरटेनमैंट टैक्स से संबंधित है कि केबल ऑपरेटर्स सबस्क्राइबर्स की सही सूची नहीं रखते। इसलिए उनसे पूरा एंटरटेनमैंट टैक्स वसूल करना संभव नहीं होता है। यह महाराष्ट्र सरकार की चिट्ठी थी। अब मैं इसमें दो बातें कहना चाहती हूँ। वित्त मंत्री ने अगले साल से जीएसटी का ऐलान किया है। उसमें एंटरटेनमैंट टैक्स सबस्यूम हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा 2008 में जो सुझाव ट्राई ने दिये थे, उसके बाद से इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। 2010 से हम लोग डिजिटलाइज़ेशन की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ ही समय में, एक निर्धारित समय के अंतर्गत हम सदन के सामने पूरा डिजिटलाइज़ेशन का प्लान रख सकेंगे।

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक : ऑनरेबल स्पीकर मैडम, मैं ऑनरेबल मंत्री से गुज़ारिश करना चाहूँगा कि देखने में आया है और सब लोगों की आम राय है कि दूरदर्शन का मेयार गिर रहा है और गिर गया है। जितने भी प्राइवेट चैनल्स हैं, यह उनका मुकाबला नहीं कर सकता है। दूसरी राय यह है कि इसके प्रोग्राम्स का मेयार प्राइवेट चैनल्स के बनिस्बत बहुत ही कमज़ोर होता है । साथ ही एक कारण शायद यह भी है कि वहाँ बहुत से मुलाज़मीन की जगहें खाली हैं जिनको बड़ी देर से भरा नहीं गया है। अपने मज़ामीन के माहरीन प्रोफेशनल्स की बहुत कमी है। क्या इन बातों को ज़ैरे नज़र रखकर मंत्री जी सारे सूरते हाल का दोबारा जायज़ा लेकर इसकी सूरत बहाल कर लेंगे, वरना दूरदर्शन आख़िरी दम ले रहा है। मैं कश्मीरी चैनल की बात कर रहा हूं, इतने घटिया प्रोग्राम होते हैं कि देखने का दिल ही नहीं करता है। क्या मंत्री जी इसकी तरफ तवज्जो देंगी?

श्रीमती अम्बिका सोनी : महोदया, जो प्रश्न किया गया था, उसमें दूरदर्शन शामिल नहीं था। हमारा लगातार यह प्रयास रहता है कि दूरदर्शन को हम च्वाइस चैनल बना सकें। हाल ही में काफी तब्दीलियां हुई हैं, जिसमें प्रोग्रामिंग और कन्टैन्ट क्रिएशन में भी हम लोगों ने कुछ सफलता हासिल की है, लेकिन जहां तक डी.डी. काशीर की बात है, मैं इस बात को मानती हूं...(व्यवधान)

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक : मैं दूरदर्शन की मिलकर बात कर रहा हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपने काफी विस्तार से प्रश्न पूछा है। आप बैठ जाइए और मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

श्रीमती अम्बिका सोनी : महोदया, हम लोग दूरदर्शन में काफी परिवर्तन करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जहां तक इन्होंने डी.डी. काशीर की बात की है, प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कुछ साल पहले तकरीबन 300 करोड़ रूपए डी.डी. काशीर के लिए दिए थे। मुझे खेद है कि हम उनको पहले अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सके। लेकिन पिछले साल में हम लोगों ने विशेष प्रयास किया और माननीय सांसद से भी कई बार इस सिलसिले में बातचीत हुई है। बहुत से लोग पी.आई.एल. लेकर कोर्ट चले गए थे, धीरे-धीरे बातचीत करके, पिछले साल सितम्बर के महीने में ईद के दिन हम लोगों ने डी.डी. काशीर नये फार्मेट में प्रस्तुत किया है और मुझे काफी चिट्ठियां वहां के मुख्यमंत्री और अन्य लोगों से मिली हैं कि डी.डी. काशीर अब ठीक रास्ते पर चल रहा है। लेकिन उन्नति की अभी भी बहुत गुंजाइश है।

(Q. No.165)

SHRI K.C. SINGH 'BABA' : I would like to ask the hon. Minister as to how many slum dwellers have been provided affordable housing under the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission and what is the criterion to identify such slum dwellers.

KUMARI SELJA: The original question was a little different. But, since the hon. Member has asked about the Jawaharlal Nehru Mission now as a supplementary question, I would like to say that the Jawaharlal Nehru Mission was started in the year 2005 and since then we have come a long way. We have till now approved houses for slum dwellers to the tune of 14.5 lakhs. I can admit that we still have a long way to go in our country before the issue of slum dwellers is addressed fully.

SHRI K.C. SINGH 'BABA': What kind of social security is being provided to the slum dwellers? I would like to know whether they are covered under group insurance or monthly stipend is given to them on individual basis.

KUMARI SELJA: This does not arise out of the original question at all. Again, I will attempt to answer that. Under the strategy of Jawaharlal Nehru Mission, convergence is required of various schemes where social security schemes are also included under various schemes of the Central Government and State Governments. Slumdwellers are expected to be covered by State Governments.

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJI : I would like ask the hon. Minister as to what is the criterion for the selection of BPL members; whether the recommendation of Lakdawala Committee has been finalized. What is the percentage of BPL people? Is it based on the actual situation or does the Planning Commission decide as to what is the percentage to be implemented State-wise?

KUMARI SELJA: Madam, the hon. Member started with Lakdawala Committee. Lakdawada Committee defined the official poverty line basis in the year 1993, but since then this has been revised and Tendulkar Committee was set up by the Planning Commission, but I would like to offer to the House that I for one and my Ministry is not really satisfied with the criterion as laid out by these Committees. So, we have written to the Planning Commission to revise it especially for the urban sector because the urban sector is very different from the rural sector. Since then, the Planning Commission has set up another Committee under Professor Hashim and the Committee is likely to give its report soon this year, where it will be decided as to how the poor beneficiaries should be selected in the urban areas.

MADAM SPEAKER: Thank you very much.

12.00 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS (SHRI VINCENT H. PALA): Madam, on behalf of Shri B.K. Handique, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited, Guwahati, for the year 2009-2010.

(ii) Annual Report of the North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited, Guwahati, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT-3993/15/11)

(3) A copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Development of North Eastern Region for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT-3994/15/11)

THE MINISTER OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (DR. M.S. GILL): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Statistical Institute, Kolkata, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Statistical Institute, Kolkata, for the year 2009-2010.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT-3995/15/11)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (PROF. K.V. THOMAS): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the Food Corporation of India, New Delhi, for the year 2008-2009.

(ii) Annual Report of the Food Corporation of India, New Delhi, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT-3996/15/11)

(3) A copy of the Notification No. G.S.R. 2988(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 22nd December, 2010, regarding extension of period of validity regarding re-inclusion of cotton seed as an essential commodity issued under sub-section (5) of Section 2A of the Essential Commodities Act, 1955.

(Placed in Library, See No. LT-3997/15/11)

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (5) of Section 45 of the Food Corporations Act, 1964:-

(i) The Food Corporation of India (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2010 published in Notification No. EP. 1(1)/2009 in Gazette of India dated 20th March, 2010, together with a corrigendum thereto published in Notification No. 13(1)/2010-BC dated 13th May, 2010.

(ii) The Food Corporation of India (Staff) (4th Amendment) Regulations, 2010 published in Notification No. EP. 1(4)/2010 in Gazette of India dated 23rd November, 2010.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (i) of (4) above.

(Placed in Library, See No. LT-3998/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the New Delhi Municipal Council (Budget Estimates) Regulations, 2010 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. No. 04/01/2010/UD/M B/18305-06 in Gazette of India dated 23rd November, 2010, under Section 389 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994.

(Placed in Library, See No. LT-3999/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI CHOUDHURY MOHAN JATUA): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Press Council of India, New Delhi, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT-4000/15/11)

श्री अरुण यादव (खंडवा): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)---

(क) (एक) लक्षद्वीप डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, कावारत्ती के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) लक्षद्वीप डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, कावारत्ती का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(Placed in Library, See No. LT-4001/15/11)

(ख) (एक) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT-4002/15/11)

12.01 ½ hrs.

STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE
13th to 16th Reports

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Madam, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Agriculture:—

(1) Thirteenth Report on the Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the First Report (Fifteenth Lok Sabha) of the Committee on Agriculture (2009-10) on Demands for Grants (2009-10) of Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation).

(2) Fourteenth Report on the Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the Second Report (Fifteenth Lok Sabha) of the Committee on Agriculture (2009-10) on Demands for Grants (2009-10) of Ministry of Agriculture (Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries).

(3) Fifteenth Report on the Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the Fourth Report (Fifteenth Lok Sabha) of the Committee on Agriculture (2009-10) on Demands for Grants (2009-10) of Ministry of Agriculture (Department of Agricultural Research and Education).

(4) Sixteenth Report on the Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the Fifth Report (Fifteenth Lok Sabha) of the Committee on Agriculture (2009-10) on Demands for Grants (2009-10) of Ministry of Food Processing Industries.

12.01 hrs.

STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY
19th and 20th Reports

SHRI RAO INDERJIT SINGH (GURGAON): Madam, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Information Technology (2010-11):—

(1) Nineteenth Report on Action Taken by the Government on the recommendations/observations of the Committee contained in their Sixth Report (Fifteenth Lok Sabha) on Demands for Grants (2010-11) relating to Ministry of Information and Broadcasting.

(2) Twentieth Report on Action Taken by the Government on the recommendations/observations of the Committee contained in their Eighth Report (Fifteenth Lok Sabha) on Demands for Grants (2010-11) relating to Ministry of Communications and Information Technology (Department of Telecommunications).

12.02 hrs.

STANDING COMMITTEE ON LABOUR
(i) 15th and 16th Reports

SHRI HEMANAND BISWAL (SUNDARGARH): Madam, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Labour:—

(1) Fifteenth Report on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the Eleventh Report (Fifteenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Labour on Demands for Grants for the year 2010-11 of the Ministry of Textiles.

(2) Sixteenth Report of the Standing Committee on Labour on 'Development of Jute Sector' of the Ministry of Textiles.

(ii) Statements

SHRI HEMANAND BISWAL: Madam, I beg to lay on the Table the following Statements (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Labour:—

(1) Statement showing further Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in Thirteenth Report (Fifteenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Labour on the recommendations contained in Fortieth Report (Fourteenth Lok Sabha) on 'Problems being faced by workers due to sickness of HMT Units' of the Ministry of Labour and Employment.

(2) Statement showing further Action Taken by Government on the recommendations/observations contained in Fourteenth Report (Fifteenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Labour on the recommendations contained in Tenth Report (Fifteenth Lok Sabha) on "Demands for Grants for the year 2010-11" of the Ministry of Labour and Employment.

———————

12.03 hrs.

STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS

(i) 7th Report

SHRI ARUNA KUMAR VUNDAVALLI (RAJAHMUNDRY): Madam, I beg to present the Seventh Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas (2010-11) on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Second Report (Fifteenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas (2009-10) on 'Demands for Grants (2010-2011)'.

(ii) Statements

SHRI ARUNA KUMAR VUNDAVALLI : Madam, I beg to lay on the Table the Statements (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas (2009-10) showing further Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapter I and Chapter V of the following Reports of the Committee:—

(1) 3rd Report (15th Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 25th Report (14th Lok Sabha) of the Committee on 'Marketing, Supply, Distribution, Dealerships and Pricing of Kerosene and other Petroleum products'.

(2) 5th Report (15th Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 1st Report (15th Lok Sabha) of the Committee on 'Demands for Grants (2009-10)'.

17.04 hrs.

STANDING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 230th to 233rd Reports

MADAM SPEAKER: Shri Suresh Chanabasappa Angadi – not present.

Shri Deepender Singh Hooda.

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA (ROHTAK): I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of Standing Committee on Human Resource Development :-

(1) Two Hundred Thirtieth Report on Action Taken by Government on the recommendations/observations contained in the Two Hundred Nineteenth Report on Demands for Grants 2010-2011 (Demand No. 104) of the Ministry of Women and Child Development.

(2) Two Hundred Thirty-first Report on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the Two Hundred Twentieth Report on Demands for Grants 2010-2011 (Demand No. 105) of the Ministry of Youth Affairs and Sports.

(3) Two Hundred Thirty-second Report on Action Taken by Government on the recommendations/observations contained in the Two Hundred Twenty-first Report on Demands for Grants 2010-2011 (Demand No. *57)* of the Department of School Education and Literacy (Ministry of Human Resource Development).

(4) Two Hundred Thirty-third Report on Action Taken by Government on the recommendations/observations contained in the Two Hundred Twenty-second Report on Demands for Grants 2010-2011 (Demand No. 58) of the Department of Higher Education (Ministry of Human Resource Development).

12.06 hrs

MOTION RE: TWENTY-FIFTH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): I beg to move the following:

> "That this House do agree with the Twenty-fifth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 7th March, 2011."

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That this House do agree with the Twenty-fifth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 7th March, 2011."

The motion was adopted.

12.07 hrs.

SUBMISSION BY MEMBERS

Re: International Women's Day

MADAM SPEAKER: Now, we will take up 'Zero Hour'.

… (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Madam, today is International Women's Day. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आज अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवास है। आप कृपया बैठ जाइए। श्रीमती सुष्मा स्वराज बोलने के लिए खड़ी हुई हैं। कृपया उन्हें बोलने दीजिए। वे अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बोलना चाहती हैं।

श्रीमती सुष्मा स्वराज (विदिशा): अध्यक्षा जी, आज प्रश्न-काल के आरम्भ में ही आपने सदन को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी थी और सभी सांसदों ने मेजें थप-थपा कर उस बधाई में आपका साथ दिया था।

अध्यक्षा जी, हम भारत के लोग, अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सारे विश्व को माथा ऊंचा कर के बताते हैं कि हमारे देश में चार बड़े शक्तिशाली पदों पर महिलाएं आसीन हैं। भारत की राष्ट्रपति महिला हैं, भारत की लोक सभा की स्पीकर महिला हैं, सत्तारूढ़ गठबंधन की अध्यक्षा महिला हैं और लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष महिला हैं।

SHRI K. BAPIRAJU (NARSAPURAM): You are also there as our Leader of the Opposition. … (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्षा जी, लेकिन जब अगला प्रश्न हम से पूछा जाता है कि आपकी संसद में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं, तो हमें बहुत संकोच के साथ कहना पड़ता है कि लगभग 10 प्रतिशत। यह असंतुलन हमें कष्ट पहुंचाता है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जब तक आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक यह असंतुलन समाप्त भी नहीं होगा, क्योंकि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन ने यह साबित कर दिया है कि महिलाओं को अगर प्रतिनिधित्व मिलेगा, तो केवल आरक्षण के बल पर मिलेगा।

महोदया, इन दोनों संशोधनों ने, ग्राम इकाइयों, यानी सरपंच, पंच, जिला परिषद् की अध्यक्षाओं, नगर पालिका और नगर निगम और मेयरों के पदों पर 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की थी। मुझे आज

यह कहते हुए गर्व है कि अनेक भा.ज.पा. शासित राज्यों और एक एन.डी.ए. शासित राज्य बिहार ने उस आरक्षण को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है।

महोदया, आज देश में लाखों-लाख महिलाएं चुनकर आ रही हैं, क्योंकि आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया गया है, परन्तु संसद और विधान सभाओं में वह आरक्षण नहीं पहुंचा, इसीलिए हमारी संख्या 10 प्रतिशत पर स्थिर है। पिछले 60 सालों में चुनाव-दर-चुनाव होते जा रहे हैं, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए मैं आज कोई औपचारिक भाषण न करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सभी दलों के नेताओं से अपील करना चाहती हूं कि हम महिलाओं के आरक्षण के विषय पर एक सहमति बनाएं क्योंकि यह विषय विगत 16 वर्षों से लम्बित है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आप इसमें पहल करें।

मैं आपकी बात ही कह रही हूं। आप इसमें पहल करें और यह मीटिंग सरकार के स्तर पर नहीं, आपके स्तर पर बुलाई जाये। यह मीटिंग 2-4 घंटे की नहीं होनी चाहिए, यह मीटिंग तसल्ली वाली होनी चाहिए। यह मीटिंग रस्मी नहीं होनी चाहिए कि अपनी-अपनी बात कहकर बाद में कुछ न निकले। आप सुबह बिठाइये, आप शाम को बिठाइये, आप दो दिन बिठाइये, आप तीन दिन बिठाइये, लेकिन जब तक कोई हल न निकले, तब तक वह मीटिंग समाप्त न हो। अभी के ये पांचों चुनाव समाप्त हो जाएंगे तो हम लोग फुरसत में होंगे। पांच राज्य सरकारें बन जाएंगी।

मेरा आज के दिन आपसे यह निवेदन है कि आप भी फुरसत में 3-4 दिन खाली रखकर सब नेताओं को बुलाइये, उनकी बात सुनिये, उनके तर्क सुनिये, जानिये कि वे क्या कहना चाहते हैं। जैसा मैंने उस दिन भी कहा कि हम मिल बैठकर रास्ता निकाल सकते हैं। क्यूं 16 वर्ष से यह चीज़ लम्बित पड़ी है और हम रास्ता नहीं निकाल पाये? अगर हम एक इच्छाशक्ति लेकर बैठेंगे तो इकट्ठे बैठकर दो दिन, तीन दिन, चार दिन में यह मामला सुलटा लेंगे, लेकिन हर हालत में आरक्षण का मसला हम हल करके उठें, यह बात अगर आज के दिन हम तय कर लें तो मुझे लगता है कि अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आज की बहुत बड़ी सार्थकता होगी। ..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : डॉ. राजन सुशान्त, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्रीमती परमजीत कौर गुलशन, डॉ. किरीट पी. सोलंकी, डॉ. प्रभा किशोर ताविआड, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, श्रीमती दर्शना जरदोश, श्रीमती प्रिया दत्त, श्रीमती अन्नू टण्डन, कुमारी मीनाक्षी नटराजन, डॉ. ज्योति मिर्धा व श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी अपने आपको श्रीमती सुषमा स्वराज के साथ सम्बद्ध करती हैं।

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): In response to what the Leader of Opposition has said, I would like to say that I entirely agree with her, and in this area there is convergence of views. But somehow or the other, we have not been able to get the Bill, which was passed through our joint efforts in Rajya Sabha, passed in Lok Sabha. Therefore, Madam, it will be highly appreciated if some initiative is also taken by you. We can thrash out this together and try to find a way out. After all, sometimes, it appears to me that the positions are irreconcilable, but through dialogue we have been able to demonstrate that yes we can we find out a way through which we can resolve the irreconcilable positions.

On this International Women's Day, let us commit ourselves that we will find a way out so that the Bill can be passed in this House also. Through this way, we can fulfill our commitment which we have made many years ago. Thank you.

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): लेकिन इसमें जोर-जबरदस्ती की बात न की जाये।...(व्यवधान)

डॉ. गिरिजा व्यास (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदया, मैं नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन की बात से अपनी बात को जोड़ते हुए सबसे पहले तो इस देश के प्रजातंत्र को, हमारी संसदीय प्रथा को और हमारे संविधान को बधाई देना चाहती हूं कि जिससे देश में सर्वोच्च स्तर पर हमारी राष्ट्रपति महिला हैं, स्पीकर महिला हैं, यू.पी.ए. की चेयरपर्सन महिला हैं और अपोजीशन की लीडर महिला हैं। देश के चारों शीर्ष स्थानों पर जब महिला बैठी हों और तब आठ मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यदि हम लोगों को फिर भी अपील करनी पड़े तो मैं सोचती हैं कि इससे ज्यादा हम लोगों के लिए दुख की बात कोई नहीं होगी।

महोदया, मैं अधिक लम्बी बात तो नहीं करना चाहती, लेकिन हमारी चार भुजाओं से हमें संवैधानिक अधिकार मिले हैं। हमें इंडियन पीनल कोड के जरिये संरक्षण मिला है। हमें जो स्पेशल लॉज़ होते हैं, जो पार्लियामेंट में समय-समय पर पास होते हैं और जो हम लोग पास करते हैं, उनका प्रश्रय हम लोगों को मिला है। उसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट, जो कानून का रूप धारण कर लेते हैं, वह हमें है। लेकिन उसके बावजूद भी जो आज प्रश्नकाल के बीच में, भीतर जो प्रश्न उठाये गये, वे उबलते हुए प्रश्न, बाहर हमारी जो महिलाएं एन.जी.ओ. से जुड़ी हुई हैं, जो विभिन्न पोलिटिकल पार्टीज़ से जुड़ी हुई हैं, आज बाहर अपनी बात का इजहार उसी बात को लेकर कर रही हैं और उसी बात को लेकर हम लोग सदन में

आपसे यह निवेदन करने के लिए आये हैं कि जब गांधी जी ने 1922 में कहा था कि आजादी का अर्थ निरर्थक होगा, यदि हम एक ही पंक्ति में खड़े हुए व्यक्तियों को एक जैसा अधिकार नहीं दे देते।

हमें मौलिक अधिकार तो मिले, लेकिन राजीव जी ने फिर आकर पीछे देखा और उन्होंने देखा कि गांधी जी की बात तो पूरी नहीं हुई है। आज हम और सुषमा जी यहां पर बैठे हैं। मैडम, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि शायद तीसरी बात हम पीछे मुड़कर फिर देखें कि हमें तो वे अधिकार मिले ही नहीं हैं। हम तो 10 और 11 प्रतिशत से आगे कहीं पहुंचे ही नहीं हैं और ऐसी स्थिति में आज जब बलात्कार पर चर्चा होती है, आज जब एब्डक्शन पर चर्चा होती है, आज जब सैक्सुअल एसाल्ट पर चर्चा होती है, आज हम बच्ची को जन्म नहीं दे पाते, आज ट्रैफिकिंग की चर्चा प्रश्नकाल के दौरान हुई तो इन सब चर्चाओं के आधार पर जब तक हम लोग निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी नहीं बढ़ाएंगे, तब तक यह नहीं हो सकेगा।

इसलिए आपको पहल करनी पड़ेगी। हम विश्वास के साथ कहते हैं कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। हम आप लोगों के साथ हैं और आप निश्चिंत रहें, हम लोग आपके सिर पर बैठकर नहीं बोलेंगे। ...(व्यवधान) हम लोग सिर्फ आपका साथ चाहते हैं। आपके साथ कदम-दर-कदम मिलाकर विकास की गति को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम पर विश्वास रखिए। आप लोग विश्वास रखते हुए इस बात को रखें। एक बात जरूर विशेषता के साथ है, जो मैं अध्यक्ष महोदया से कहना चाहती हूं कि एक विशेषता इस राजनीति में आती, इस प्रजातंत्र में एक नया मीठा घोल देगी और वह है महिला के पास होने वाला संवेदना का पंख, जो गति का पंख है, जो संगीत का पंख है, जो सहिष्णुता का पंख है, इसलिए उस पंख को आने दीजिए, रोकिए मत। वह अभी केवल बयार के रूप में आना चाहता है। झंझावात के रूप में आने की यदि उसने कोशिश की, तो मुश्किलें बढ़ेंगी। महोदया, इसलिए मैं यहां आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आप पहल करें। जैसा नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन ने कहा और निश्चित तौर पर मुझे पूरा विश्वास है कि जब हमारा 73वां और 74वां बिल पास हुआ, हम दोनों सदनों में छः प्रतिशत थे, लेकिन सभी की मदद से वह बिल पास हुआ था। आज फिर समन्वय की दृष्टि से हम बिल को पास करेंगे और आगे विकास की कड़ी में बढ़ते हुए, फिर हमारे प्रजातंत्र, हमारे संविधान और देश के गौरव को आगे बढ़ाने में हम पुरूषों के साथ कदम बढ़ाकर एक नयी दिशा देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस अपील का स्वीकार किया जाएगा। आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। उस विश्व को एक नयी दिशा देने के लिए जरूरी है कि हम इस बात का फैसला करें। आपने आज विषय को उठाने का मौका दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं। लेकिन दर्द तब होंगे, जब हम निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी और 33 प्रतिशत की प्रक्रिया में आरक्षण भी यहां से प्राप्त करेंगे, उसके अतिरिक्त कोई चारा हमें दिखाई नहीं देता है। जब राज्य सभा में बिल पास हो

चुका है, तो इस सदन में पास न होने की क्या वजह है कि इस सदन में पास नहीं हो पाता ...(व्यवधान) महोदया, महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर प्रश्न करने के लिए तो आगे आ जाते हैं, लेकिन अत्याचारों को रोकने का जो अवरोधक हम लगाना चाहते हैं, उस पर आगे क्यों नहीं आते हैं? इस प्रश्न के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : डॉ. संजीव गणेश नाईक, श्रीमती प्रिया दत्त, श्रीमती अन्नू टण्डन, कुमारी मीनाक्षी नटराजन, डॉ. ज्योति मिर्धा, डॉ. प्रभा किशोर ताविआड और श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी अपने आपको डॉ. गिरिजा व्यास के साथ सम्बद्ध करते हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय नेता जी भी कुछ बोलना चाहते हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। उनका नाम है, सभी का नाम है।

...(व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Madam, the Bill to provide 33 per cent reservation to women was introduced in 1996 when Shri Deve Gowda was the Prime Minister. Subsequently that Bill was referred to the Joint Select Committee and the Joint Select Committee also presented a unanimous report recommending to provide 33 per cent reservation to women. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : अभी बैठ जाइए। राजाराम पाल जी, बैठ जाइए। आपको बाद में बुलायेंगे। अभी कुछ और विषय चल रहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। इनकी बात सुन लेने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हमने इनको बुलाया है। आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है, आपको बाद में बुलायेंगे।

(Interruptions) ...[*]

अध्यक्ष महोदया : आपको बाद में बुलायेंगे, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

---

[*] Not recorded.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Madam, since 1996 we have been waiting and waiting to provide 33 per cent reservation to the women in Parliament and legislative assemblies. By amending the Constitution, 33 per cent reservation has been provided in Panchayats. In two, three States, in West Bengal recently legislation has been enacted to provide 50 per cent reservation to women in Panchayats and local bodies. We have been trying and we have been demanding. Today is the International Women's Day and at the beginning of the sitting today you referred to that. Rajya Sabha has already passed the Bill one year before.

Why has this Bill not brought before this House? It is because unless we provide political empowerment to women of our country, unless 33 per cent reservation is provided to women, the problem today we are facing in regard to women cannot be tackled. Most of the problems can be addressed by giving political empowerment to women. So, there is a need for enactment of a legislation; there is a need for amending our Constitution to provide 33 per cent reservation. I am not averse to any discussion or negotiation. We had in the past series of meetings. A number of meetings had taken place but there had not been any unanimity. If further negotiation is required, that can be done. But this should not be delayed. Passage of the Bill should not be delayed. This Bill should be brought before this House and it should be passed without further delay.

MADAM SPEAKER: Dr. Ram Chandra Dome, Shri Khagen Das, Sk. Saidul Haque are associating with the issue raised by Shri Basu Deb Acharia.

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): Thank you, hon. Madam, for giving me this opportunity today to stand here and through you, hon. Madam to wish all the lady Members present here in this House and outside the precincts of this hon. House, a very happy International Women's Day. But is it relevant to wish the ladies inside and outside this hon. House only on one day, the 8th March, every year and forget their difficulties, their requirements, their honour, throughout the 364 days of the year? Though essential only political reservation

and political discussions will not help them. I quote the revolutionary poet, Kazi Nazrul Islam:

`biswe ja kichu mohan sristi chiro kalyankar,
ardhek tar koriyache nari, ardhek tar nar.'

Whatever is beautiful and great in the Universe has not only been created by men, women were an integral part of it. Why do not we realize it? We are talking about women in the world only on one day, the 8th March. We do talk about Clara Jetkins fighting for equal wages; we do talk about of Emylin Pankhurst Francais, who continued hunger strike outside the British Parliament in 1921 and gave the British women a right to franchise. But we do not really remember those women, the fisherwomen in coastal States of India - Goa, Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, who are working throughout day and night in the burning heat, drying fish, to feed their families. We do not think of those women in the States of West Bengal, Assam, Bihar working in the paddy fields trying to feed their families. We are not always thinking of those women in the hills of India, who are gathering firewood to run the hearth and those in deserts walking miles to gather drinking water. We have to think about them every day because 70 per cent of women in this country are anemic. Why do we not let our women live and love? By live, I mean, even before the women are born, they are killed in India; they are not allowed to see the light of the day. The sex ratio in India is changing because as little embryos, as little fetuses; they are being killed. The parents do not want the women. Why?

About love, I said, we have to let them live and love. The honour killing, a heinous crime, is being taken up by families so that the honour of the family is saved. An adult women, when she falls in love, has every right to do so. So, we have to take serious steps as far as this heinous crime is concerned. Reservation, politically, is definitely wanted but we have to think of all these women every day.

As far as women trafficking is concerned, I can talk of my State, West Bengal, 50 to 60 women are sent outside the borders through Bongaon,

Mushirabad and we cannot find them. I approached the National Women's Commission 10 years back, 15 years back. They say that their hands are tied. So, I request Madam, through you, the whole House that we must stop early marriage and early child birth; we must look up for their empowerment, especially for the *dalit* and other backward classes and the minority women; we must look out for their right to education, till the last girl in the last village of the last State is empowered. Thank you.

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक आरक्षण का सवाल है, हम उसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन जो वर्तमान बिल आया है, मैं उससे कतई सहमत नहीं हूं। इस संबंध में कई बार चर्चाएं हुई हैं। माननीय अटल जी जब प्रधान मंत्री थे, तब लम्बी बहस के बाद सबसे बेहतर रास्ता निकाला गया था। आडवाणी साहब को पता है, नेता, विरोधी पक्ष को भी पता है। अभी आरक्षण के बारे में जो विधेयक है, उससे सारे पुरुषों को इस सदन से हटाना है। तीन साल बाद 90 फीसदी महिलाएं होंगी और 10 फीसदी पुरुष होंगे।...(व्यवधान) आप वर्तमान विधेयक के अनुसार देख लीजिए। हमारा कहना है कि पार्टी में आरक्षण कर दिया जाए। पहले पार्टी के आरक्षण पर थोड़ा सा मतभेद था। हमने 15 फीसदी रखा था। यहां आडवाणी साहब बैठे हुए हैं। उस समय माननीय अटल जी ने कहा था कि कुछ और बढ़ाइए। मैं 20 फीसदी पर सहमत हो गया था। आडवाणी साहब को पता है कि माननीय अटल जी भी 20 फीसदी पर सहमत हो गए थे कि पार्टी का आरक्षण किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर आप 15 फीसदी करेंगे तो मैं सहमत नहीं हूं। अगर आप इसे थोड़ा बढ़ाएंगे तो मैं इस बात से सहमत हो सकता हूं कि पार्टी में आरक्षण करना ही अच्छा होगा। लेकिन वर्तमान विधेयक ऐसा है जिसमें 90 फीसदी महिलाएं हो जाएंगी। हो सकता है कि धीरे-धीरे एक भी पुरुष यहां पर न रहे।...(व्यवधान) आप इसका अध्ययन कीजिए और गंभीरता से देखिए। आप महिला सभा बनाना चाहते हैं या लोक सभा बनाना चाहते हैं, इसका फैसला करना है। ...(व्यवधान) हम पार्टी में आरक्षण तो 15 फीसदी करना चाहते थे...(व्यवधान) आप बैठिए। हम सभी की बात कर रहे हैं।...(व्यवधान) हमसे ज्यादा आपका हमदर्द कौन है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी, आप इधर मुखातिब होकर बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, हम आपसे अनुरोध करते हैं, क्या आप आरक्षण से स्पीकर की सीट पर हैं, राष्ट्रपति आरक्षण से हैं, नेता, विरोधी पक्ष आरक्षण से हैं, सोनिया जी आरक्षण से देश की नेता

हैं? बिना आरक्षण के सारे पद पा लिए। हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन पार्टी में 15 फीसदी आरक्षण किया जाए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। धन्यवाद।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : जनरल सीट भरने का आपको पूरा अधिकार होगा।...(व्यवधान) आपको लड़ने का पूरा अधिकार रहेगा। 15 फीसदी आरक्षण हो जाएगा। मैं इस बात से नहीं हटूंगा, क्योंकि अटल जी, आडवाणी साहब के सामने हम 20 फीसदी आरक्षण पर सहमत हो गए थे और वे भी सहमत हो गए थे। 20 फीसदी पार्टी में आरक्षण कर दिया जाए, यह सबसे बेहतर तरीका है। अगर यह वर्तमान बिल पास हो जाए तो हमसे कह दीजिए कि आप लोग जाइए, यहां महिलाएं आएंगी, वही लोक सभा बनेगी। यह ठीक नहीं है। मैं तैयार हूं कि 20 फीसदी पार्टी में आरक्षण किया जाए।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह पक्का है कि अगर मां मजबूत हो तो देश मजबूत है, परिवार मजबूत है। लेकिन यह कहावत कहावत तक ही सीमित है। यदि हमने महिलाओं को गुलाम न किया होता तो इस देश का सर्वनाश ही नहीं होता। इस देश की महिलाओं के चरित्र को गिराने का काम, आदमी और इंसान के बीच सहज है, सबके बीच संबंध होते हैं, उससे नापा जाता है।

द्रौपदी से ज्यादा तेजस्वी हिन्दुस्तान ही नहीं दुनिया में कोई महिला नहीं है, लेकिन नारी का प्रतीक सीता को माना जाता है क्योंकि वह सिर्फ पति के लिए लॉयल है, सावित्री है। आज हिन्दुस्तान का कास्ट सिस्टम यदि चल रहा है, तो महिला की गुलामी के चलते चल रहा है। जिस दिन महिला आजाद हो गयी अपने साथी को चुनने के लिए, उस दिन इस देश में क्रांति हो जाएगी। आरक्षण की बात करके देश में कुछ नहीं होने वाला है। अभी जो आरक्षण हो चुका है, उसका सर्वनाश कर दिया है उन लोगों ने जिनके हाथ में सरकार है। कौन इसके खिलाफ है? यहां 50 फीसदी आरक्षण की बात कह रहे हैं, जरा सर्वे कराकर देखिए, जो 50 फीसदी रिजर्वेशन किया है, वह कोटे के अंदर कोटा किया है, इसी सदन ने किया है, सारे समाज को मिलाकर किया है। कौन उसके खिलाफ है? मुलायम सिंह यादव जी कह रहे थे कि पुरुष बचेगा ही नहीं, मैं तैयार हूं इनके विपरीत बात कहने के लिए। 100 फीसदी महिला आरक्षण कर दो, लेकिन हिन्दुस्तान की हकीकत को छोड़कर, हिन्दुस्तान का जो सामाजिक ढांचा है, उसको छोड़कर, ये मुट्ठी भर लोग या वे महिलाएं जो दिल्ली, लखनऊ जैसे शहरों में आ गयी हैं, वे ही घूम रही हैं। ...(व्यवधान) उनको मिनिस्टर बनना चाहिए था, वह काबिल महिला हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपकी बात आ गयी है, अब समाप्त कीजिए।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): मेरा निवेदन है कि इस पर चर्चा चली हुई है। सुषमा जी ने ठीक कहा कि कोई सहमति का रास्ता बन रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि इसे जरूर कीजिए, लेकिन हिन्दुस्तान की जो 70-80 फीसदी आबादी है, उनकी महिलाओं को इसकी पहले जरूरत है। उनके लिए आप इसमें पहले इंतजाम कर दीजिए, उसके बाद जो चाहें, कीजिए। हम लोगों को जबर्दस्ती गाली मत दीजिए। हम उसके हक में हैं, लेकिन इस देश में हजारों साल से जो एक क्रीमी लेयर है, उसी भर के लिए यदि करना चाहता हैं, तो संग्राम होगा, यह बात नहीं चलेगी।

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Madam, thank you very much for giving me an opportunity to participate in this discussion. I thank you and congratulate all the women of this country and the world. I think we have to take Women's Day beyond 8th of March and celebrate it 365 days.

I would like to agree and associate with what Sushma Swaraj ji and Girija ji have said because Maharashtra was the first State in this country which in 1993 for the first time got women's reservation in the Zila Parishad and the Panchayat Raj. There was a lot of criticism at that time. We paid a heavy price of even losing an election that year but I think eventually everybody realized that women need reservation. It is not people like me, Priya or Girija ji or Sushma ji needs it but it is the women at the bottom of the pyramid who need reservation. So, I think that is what the reservation mean. It is not for people like us or Ambika ji who have been born in fortunate families, have got good quality education and have the opportunity of coming here and representing the women.

So, I think the Women's (Reservation) Bil is critical for the bottom of the pyramid and 33 per cent insistence, that we are all doing, is purely because if you count the population of the women in this country, it is almost 50 per cent if you see the census. So, I think it is the rightfulness of the women to come here, stand and represent women. We are in the 21st century and in most of our States we are still talking about female foeticide. I come from one of the most developed States, which is Maharashtra but today there are districts like Sangli, Satara, Raigad and

Pune which are struggling between the disparity between a girl child and a male child. I think the only way is to bring women to stand on their own feet.

The difference in developing States and developed nations is that all the developed nations have moved towards gender equality and I think reservation is one step forward to take the women of this nation towards gender equality.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Hon. Madam Speaker, thank you very much. I did not realise that this discussion will wear on reservation as an issue. Women's Day that I as a man has been observing as a Day especially designated to give respect and regards to our mothers, sisters, wives, daughters and all those who are associated with us.

But as political animals we are eventually weird to things that are hardly of any consequence to those young and old women who are living in the tribal areas of Orissa or Jharkhand or Tamil Nadu or any other place in India. Are we really interested to create a society that treats women as equals and that treats our mothers with respect? Do we realise that in the beginning of the second decade of the 21st century, we are actually a society that respects women? I am afraid to say that let us not turn everything into politics of Assembly and the Parliament. The country is not really limited to the few people sitting here in this House or upon the wisdom that we have for the past so many years. For more than half a century, we have already shown our wisdom and all of us are aware what kind of regard and respect people of this country have for us. We are probably the real down-trodden who are representing the people in this House. So, I would say that India not only in the past where there was Sita or Draupadi or Lakshmi or Kali, it is India today where you, Madam, represent the country and you are a pride to the democratic mind set of the Indian people. It is not the numbers that matter. I respect Mulayamji and what he said has to be heard with attention. It is not the numbers. Why are we talking of 15 per cent or 20 per cent or 33 per cent? Who are we? Is it men who will decide what percentage we will give? Is it that women need *daya* and need the condescending attitude of men to survive in this country?

Or is it that they have a right? Is it that they have the ability to stand up? I come from a family where my mother was actually our parent. She was the one who guided the family and she single-handedly at a time when there were few women could shine in Indian politics and the State politics. So politics is a line that you, Madam, Sushmaji, Soniaji and one of the greatest women in Indian political history, Shrimati Indira Gandhi have shown that the capability and strength, grit and determination are the ingredients that Indian women bear within themselves. But we, the men, and we as a society where women are also included are incapable of recognising this fact.

Today, on Women's Day I do not congratulate only the women of India but I congratulate the men of this country also and request them to please open their eyes and ears, respect their own mothers and sisters, do not kill their daughters, do not do anything that will harm the *maatrushakti* of this country. This is the only country which has respected the *maatrushakti* and this is the only country that will forge ahead to face the future with strength because its women will have to be educated, will have to be given economic independence. It is not that a few women sitting as MPs or MLAs will emancipate women-kind in India. It is economic independence, it is education and it is the self-confidence that we have to build in them not by men but by leaders like you, leaders like Sushmaji instead of depending and asking for reservation, let us ask for equality and let us ask for respect.

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): अध्यक्ष महोदया जी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और देश की सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देता हूं। महिला रिजर्वेशन के बारे में हमारे सुप्रीमों बाला साहेब ठाकरे जी ने पहले से समर्थन किया है। हमारा कहना केवल इतना ही है कि जो भी कोटा तय करेंगे, जो भी परसेंटेज तय करेंगे, वह हमारी पार्टी द्वारा तय होगा। इतना अधिकार अगर पार्टी को दे देंगे, तो हमारा समर्थन शुरु में था, आज है और कल भी रहेगा। मैं इसकी जरुरत भी मानता हूं। अगर 50 फीसदी महिलाएं हमारे देश में हैं, तो उन्हें बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। घर संभालना, खेती में काम करना, कार्यालय में काम करना, अगर यह सब काम महिलाएं करती हैं, तो उन्हें यहां अधिकार क्यों

नहीं, यह भी हम मानते हैं। इसलिए जो भी परसेंट आप तय करेंगी, उसके साथ शिवसेना है। पार्टियों को कोटा तय करने का अधिकार दिया जाए, इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नर-नारी समता के लिए हम सबको मिल-जुलकर संकल्प करना चाहिए, उसके लिए वातावरण बनाना चाहिए। हमारे यहां जन्म से लेकर मृत्यु तक महिला के शोषण की परिपाटी है, लेकिन जहां-तहां महापुरुषों के प्रयासों से वातावरण में सुधार हुआ है। जब तक नर-नारी में समता नहीं होगी, तब तक देश और दुनिया में सही समाज की स्थापना नहीं हो सकती है।

ऐसा सुनते हैं कि आरक्षण से सब सही हो जाएगा लेकिन यह हमें जंचता नहीं है। लोगों के मन में आशंका हो जाती है क्योंकि महिलाओं का तो बिना आरक्षण के ही बड़े से बड़ा पद हो गया है। नेता विपक्ष ने संख्या कम है, इस पर चिंता जाहिर की है। आरक्षण का मूल सिद्धांत है कि जहां महिलाएं वंचित हैं वहां विशेष अवसर देकर उन्हें मौका दिया जाए। हमें डर है कि वंचित महिला के नाम पर कहीं हिस्सेमारी न हो जाए। इसलिए लोग सजग हैं और इसमें आम सहमति बन जाए तो अच्छा है। राज्य सभा में जबर्दस्ती करके लोगों ने महिला बिल पास करवाया है और अगर यहां भी यही होगा तो बहुत भारी युद्ध की आशंका हो जाएगी। इसीलिए जो वंचित हैं उनका सर्वे हो जाए। कुछ वर्गों की महिलाएं जिनमें माइनोरिटी है, अनुसूचित जाति है, जनजाति हैं, ओबीसीज हैं, इनकी महिलाएं जीतकर नहीं आती हैं, क्या इन वर्गों की महिलाओं का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इनका हिस्सा खोल दीजिए, नहीं तो इसमें बड़ा भारी भेद और बड़ी भारी आशंका हो जाएगी। इसमें किसी तरह का घालमेल करने से बात नहीं बनेगी, बल्कि हिस्से में हिस्सा इन वर्गों का करिये, तो बिल पास करा लीजिए, नहीं तो बड़े भारी झंझट की आशंका है। महिलाओं को पूरी शुभकामनाएं हैं, नर-नारी समता हो, उसके लिए सब कुछ करने के लिए हम तैयार हैं।

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): We always, from our party, forcefully have demanded more political power and the reservation for the women from the beginning. I can refer in this House itself that it was under the leadership of our late Geeta Mukherjee, who happened to be a Member of this House, that this initiative of having reservation for women was taken up.

So, we are always in favour of reservation for women. But it is not understood as to why the Government is not taking initiatives in this regard.

Hence, I do support the proposal putforth by the Leader of the Opposition and from the Chair itself, Madam, you may kindly take the initiative so that all political parties may sit together and come to a consensus on this matter.

Madam, we are not talking only about reservation for women. The point is about the attitude towards women in this society. We are still following the legacy of Manuism. What is the attitude towards women? Just look at the demographic picture of our country! What is the gender equation of our country? Equality of gender, empowerment of women, placing women in their proper place and more political power for women are urgently needed.

In this respect, we forcefully demand that the Bill for Reservation of Women in its original form should be put forward in this House for discussion and then, we should pass it.

डॉ. बलीराम (लालगंज): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बोलने का अवसर दिया है। देश के ही नहीं, बल्कि दुनिया के समस्त नारी समाज का मैं सम्मान करता हूं। आज सदन में महिला आरक्षण पर हमारे तमाम माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। वर्ष 1953 में काका कालेलकर आयोग बना, उन्होंने रिपोर्ट में 20 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। आज जो सत्ता पक्ष में हैं, उन्होंने काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में इसलिए फैंक दिया, क्योंकि इस रिपोर्ट में20 प्रतिशत महिलाओं को अलग से आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। हमारी बहुजन समाज पार्टी, महिलाओं को आरक्षण मिले, इसका पूरा समर्थन करती है। देश में अगर हम अपने वेदों पुराणों को देखें तो पता चलता है कि महिलाओं को सम्मान किस रूप में हुआ है। नारी को लोगों ने सरस्वती का अवतार कहा है। नारी को लोगों ने लक्ष्मी का अवतार कहा है। नारी को लोगों ने दुर्गा का अवतार कहा, लेकिन हमारे देश में नारी का आज क्या स्थान है? न ही इनके पास सरस्वती आ सकी, न ही इनके पास लक्ष्मी आ सकी और न ही ये कभी दुर्गा बन सकीं। अगर ये दुर्गा बनी होतीं, तो आज हमारी माताओं और बहनों का इस तरह से न कोई गला घोंटता और न ही वे जलाई जातीं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सदन उन महिलाओं के लिए भी चिंतित है जो खेत खलिहानों में काम कर रही हैं, जो सड़कों पर काम कर रही हैं। अगर महिला आरक्षण की सदन में चर्चा हो रही है कि उन्हें चुनकर आना चाहिए, तो गरीब महिला कैसे सदन में आएगी, इसकी भी हमें चिंता करनी पड़ेगी। देश का जो आज सामाजिक ढांचा है, इस सामाजिक ढांचे में व्यवस्था " स्त्री सूत्रो न

अध्येताम " की रही है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और कई अन्य महापुरुष चाहे महात्मा ज्योति राव फुले हों, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हों, ऐसी व्यवस्था को उन्होंने संघर्ष करके समाप्त किया तथा पुरुष और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया।

अध्यक्ष महोदया : आप अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिए।

डॉ. बलीराम (लालगंज): हम भी यही चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिले। हमारे देश का जो सामाजिक ढांचा है, उसमें कोई ऐसा वर्ग उपेक्षित न रह जाए, जो इस सदन में आने से वंचित रह जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनोरिटी वर्ग की महिलाओं का आरक्षण भी किया जाए। हमारी पार्टी इसका स्वागत करेगी और सम्मान करेगी। धन्यवाद।

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Madam Speaker, thank you for giving me this opportunity. Today is an auspicious day. We are celebrating the International Women's Day. On behalf of my Party, the AIADMK, and on behalf of my leader, *Puratchi Thalaivi* J. Jayalalithaa, we desire to associate with the views expressed by the leaders in the august House in favour of women's reservation and the upliftment of women folk.

In our Party, my leader has given 33 per cent reservation in party posts to women. In Tamil Nadu, the reservation policy is being implemented in local bodies. As a fore-runner, my leader has implemented this and has given more opportunities to women.

On behalf of my Party, I would like to assure that whenever the Women's Reservation Bill comes up for discussion and voting in the august House, our Party will support it whole-heartedly. Thank you.

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): अध्यक्ष महोदया, विश्व महिला दिवस पर मैं पहले आप सबको बधाई देता हूं और साथ ही कहना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश में लोकल बॉडी में तेलगुदेशम पार्टी के एन.टी.रामाराव साहब पहले आरक्षण लेकर आए थे और वह न केवल राजनैतिक आरक्षण बल्कि प्रोपर्टी में ईक्वल राइट्स लेकर आए हैं। इसके बाद 1996 में जब यूनाईटेड फ्रंट गवर्नमेंट थी, देवेगौड़ा साहब के नेतृत्व में जो वूमैन रिजर्वेशन बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था, उस समय चंद्रबाबू नायडू साहब यूनाईटेड फ्रंट के कन्वीनर थे। हम लोग चाहते हैं कि यह बिल उसी समय से पास हो जाए। लेकिन यह बात अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। लेकिन इसमें कुछ डाउट्स हैं। अभी विपक्ष की नेता ने जिस तरह से सुझाव दिए हैं, उसी तरह से

मुलायम सिंह यादव जी ने जिस तरह से इस पर डाउट्स व्यक्त किये हैं कि कुछ दिन के बाद 90 प्रतिशत यह वूमैन का हो जाएगा। इन सब डाउट्स को क्लिअर करते हुए, मीटिंग बुलाकर इस वूमैन रिजर्वेशन बिल को जरूर लाना चाहिए। जैसा अपोजीशन लीडर ने कहा है कि चार महिला लीडर्स जो सब जगह से लेकर यानी प्रेसीडेंट से लेकर अपोजीशन दोनों तरफ बैठी हैं, इस समय यदि वूमैन रिजर्वेशन बिल पास नहीं होगा तो मैं कहूंगा कि इसकी पूरी जिम्मदारी आप लोगों पर है।...(व्यवधान) इसलिए आप लोगों को किसी तरह से इस पर डिसकशन करके वूमैन रिजर्वेशन बिल को लाना चाहिए और यह बिल पास होना चाहिए। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया : कुछ वर्ष पूर्व मैंने नारी पर एक कविता लिखी थी। मैं उसकी पहली पंक्ति पढ़ना चाहती हूं:-

"पंख भी हैं, खुला आकाश भी है, फिर यह न उड़ पाने की मजबूरी कैसी?"

इसीलिए मुझे लगता है कि आरक्षण की आवश्यकता है। नेता विपक्ष ने, सदन के नेता ने तथा अन्य माननीय सांसदों ने जैसा सुझाव दिया है कि राज्यों के चुनाव जब हो जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि हम सभी दलों के नेताओं को बुलाएं, जो आपस में विचार-विमर्श करें और एक आम सहमति बनाएं। मैं पूरी तरह से आशान्वित हूं कि कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: The House will now take up "Zero Hour."

Shri Purnmasi Ram.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : अब ज़ीरो ऑवर चलेगा। हम सबको बुलाएंगे।

…(व्यवधान)

श्री पूर्णमासी राम (गोपालगंज): अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार के हाजीपुर...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Purnmasi Ram is saying.

(Interruptions) ...[*]

श्री पूर्णमासी राम : अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य के हाजीपुर, छपरा, सिवान, गोपालगंज तक एनएचडीपी फेज संख्या 3 के तहत फोरलेन सड़क बनाने की स्वीकृति मिली थी। परंतु पता चला है कि किसी कारणवश केवल छपरा तक ही सड़क बनाकर कार्य को बंद किया जा रहा है।

इसके बन जाने पर बिहार की राजधानी और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली यह एक महत्वपूर्ण सड़क होगी। भगवान बुद्ध के निर्वाण स्थल कुशी नगर बिहार से जोड़ने वाली कम दूरी की जनोपयोगी सड़क होगी।।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। जीरो आवर चल रहा है।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go in the record.

*(Interruptions) ...**

श्री पूर्णमासी राम : मैं आपके माध्यम से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जनहित और दो राज्यों के हित में फोर लेन सड़क बनवाने का कट करें।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): महोदया, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान आकर्ति करना चाहता हूं। इस सदन में इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी अमेंडमेंट बिल, 2010 रखा गया है जो बीएचयू के आईटी सैक्शन को आईआईटी बनाने के संबंध में है। हर व्यक्ति जानता है कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में स्थापित किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी बीएचयू के दीक्षांत समारोह में गए थे और इस बात की घोाणा की थी कि हम आईटी को आईआईटी के समकक्ष रखेंगे। यहां

[*] Not recorded.

के पूर्व छात्र तमाम विश्वविद्यालयों में कुलपति हैं, प्रतिठित वैज्ञानिक, टेक्नोक्रेट आदि प्रतिठित पदों पर हैं उन सबने आशंका व्यक्त की है और इस बिल के माध्यम से आपत्ति भी व्यक्त की है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे उनके भाव था कि यह विश्वविद्यालय आर्ट्स, साहित्य, साईंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलाजी, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, मेडिसन, आयुर्वेद, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स आदि हर क्षेत्र में प्रतिठित नागरिकों को पैदा करेगा। उन्हें आशंका है कि जब बीएचयू के आईटी सैक्शन को अलग करके आईआईटी का दर्जा दिया जाएगा तो बीएचयू का वह स्वरूप नहीं रह पाएगा। सबने इसलिए मांग की है कि आईटी बीएचयू को लेते हुए आईआईटी जो काशी के लिए जो स्वीकृत किया गया है वह बीएचयू से संबद्ध हो, उसका अलग स्वरूप न हो। अगर अलग स्वरूप बनता है तो बीएचयू की स्थापना के पीछे जो भावनाएं थी वे कहीं न कहीं आहत होंगी। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के साथ बहुत बड़ी संख्या में लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से संबद्ध रहते हुए आईआईटी की स्थापना की जाए। धन्यवाद।

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र से होकर गुजरने वाली पश्चिम मध्य रेलवे जोन में स्थित रामगंज मण्डी भोपाल रेलवे लाइन 262 कि.मी. पर्याप्त समय पूर्व स्वीकृत हो चुकी है व उसके निर्माण की प्रारम्भिक स्थिति में भूमि को सुरक्षित रखने आदि का कार्य मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2002 में किया जा चुका है। उस समय के तत्कालीन कलक्टर राजगढ़ ने इस संबंध में आवश्यक आदेश भी जारी कर दिए थे। भू अर्जन से संबंधित पटवारी नक्शे तथा अन्य आवश्यक दस्तोवज पश्चिम मध्य रेलवे कोटा को उपलब्ध करा दिए गए थे। परंतु पश्चिम मध्य रेलवे ने आज के दिन तक भू अर्जन हेतु आवश्यक धाराएं 4-6 के प्रकाशन संबंधी प्रस्ताव कलक्टर राजगढ़ मध्य प्रदेश को उपलबध नहीं कराए गए हैं। भू अर्जन की इन प्रारंभिक धाराओं के प्रकाशन के लगभग 2 वर्ष बाद मुआवजा वितरित होकर रेलवे विभाग द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा प्रकाशन संबधी प्रस्ताव उपलब्ध कराने में जो लापरवाही बरती जा रही है उसके कारण उक्त रेलवे लाइन का निर्माण कार्य समय सीमा में होना संभव नहीं लगता है।

13.00 hrs.

ऐसी स्थिति में यदि यही आलम रहा तो आने वाले वर्षों में रेलवे लाइन की लागत में भी कई गुना वृद्धि हो जायेगी। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि मार्च, 2008 में पश्चिम-मध्य रेलवे ने इस रेलवे लाइन के भू-अर्जन के मुआवजे के रूप में 20 करोड़ रुपये कलक्टर, राजगढ़, मध्य प्रदेश को उपलब्ध करा दिये हैं। लेकिन आवश्यक धाराओं के प्रकाशन संबंधी कार्रवाई समय पर न होने के कारण यह राशि केवल बैंक और ट्रेजरी की शोभा बढ़ा रही है।

महोदया, अंत में मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि पश्चिमी-मध्य रेलवे से धारा 4(6) के प्रकाशन संबंधी प्रस्ताव शीघ्रातिशीघ्र कलक्टर, राजगढ़ को उपलब्ध कराने के निर्देश दें।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारे मोतिहारी से सीतामढ़ी नई रेलवे लाइन बनाने के संबंध में हमें रेल राज्य मंत्री जी ने बताया कि उपरोक्त परियोजना पर कार्य चल रहा है। लोगों ने हमें बताया कि इस संबंध में परियोजना के अंतर्गत कोई भी प्रगति नहीं है। इसी परियोजना के बारे में हमने पुनः रेल राज्य मंत्री जी से पत्र के माध्यम से पूछा कि मोतिहारी से यह रूट कहां से होकर सीतामढ़ी तक जायेगा। परंतु आज तक जवाब नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि इस परियोजना पर सही ढंग से कार्य नहीं हो रहा है और रेलवे बोर्ड भी इसमें ज्यादा रुचि नहीं ले रहा है।

इसी तरह से बिहार में कई रेलवे परियोजनाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके कारण ये परियोजनाएं बीस से चालीस साल तक भी बन पायेंगी या नहीं बन पायेंगी, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि रेलवे का सारा पैसा पश्चिम बंगाल पर खर्च हो रहा है।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मोतिहारी से सीतामढ़ी के बीच नई रेलवे लाइन बनाने के प्रस्ताव पर शीघ्र कार्य किया जाए। मोतिहारी से सीतामढ़ी के बीच का इलाका काफी पिछड़ा हुआ है। वहां के लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति बड़ी दयनीय है। उपरोक्त रेलवे लाइन बनाने से यहां आर्थिक विकास होने की काफी संभावनाएं हैं। धन्यवाद।

SHRI RAJAIAH SIRICILLA (WARANGAL): Madam, I thank you for giving me this opportunity to speak now. Today, being the International Women's Day, I extend my best wishes and hearty congratulations to women and men also.

Today, I rise to share my views on the formation of the Indian Agricultural Service. Not only I but the entire august House will appreciate and agree with me that there is no culture without Agriculture. India is predominantly an agricultural country. More than 70 per cent people depend on agriculture and the population in our country is increasing considerably day by day. As of today, we stand second in the globe. So, there is a new challenge for the country to provide food grains to the growing population.

If we look at the agricultural scenario, the varietal potentiality available in the plants and their variety, due to the research work done in the country, has been

exploited and it is coming close to saturation level. Nothing can be done now. If you look at the geographical area under agriculture, the 90 per cent cultivable area has been brought under cultivation and it is getting reduced. It is at the level of saturation. The ground water availability also has been exploited to the maximum extent. Now, it is also close to saturation. So, there is a need and urgent demand to look forward to exploit the available area. We have to look forward to improve production and productivity in the animal husbandry sector wherein 90-95 per cent gap is there. Our country has to look at it and work on that.

Fortunately India is a peninsular country. We have oceans on three sides and there is enough fish and fish products which can be tapped. There is enough science and technology available in our country. To use all this, we need to move in a new direction and for this purpose, there is an urgent need to have an Indian Agriculture Service on par with other All India Services like IAS, IPS, IES etc. Dr. Swaminathan, the renowned scientist of our country, has also recommended for the creation of this service. The All India Federation of Agriculturists Associations has also recommended for the creation of Indian Agriculture Service. But due to the bureaucratic bottleneck, this matter is not being taken forward. So, we have to urgently create this Indian Agriculture Service.

Secondly, the Technology Missions like the National Horticulture Mission, Food Security Mission, Cotton Technology Mission, Technical and Oilseeds Mission, Pulses and Technology Mission shall have to be handled by professionals. Now these are being handled by people who do not have knowledge on these subjects. Then, there is also an urgent need for restructuring the Ministry of Agriculture. So, I would request this august House to think over this matter and resolve to have an Indian Agriculture Service.

SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMRAJANAGAR): Madam Speaker, I associate myself with the matter raised by Shri Rajaiah Siricilla.

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): Madam Speaker, I associate myself with the matter raised by Shri Rajaiah Siricilla.

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM): Madam Speaker, I associate myself with the matter raised by Shri Rajaiah Siricilla.

SHRI VISHWA MOHAN KUMAR (SUPAUL): Madam Speaker, I associate myself with the matter raised by Shri Rajaiah Siricilla.

SHRI JAYANT CHAUDHARY (MATHURA): Madam Speaker, I associate myself with the matter raised by Shri Rajaiah Siricilla.

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर): महोदया, मैं आपका और पूरे सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। चारों जो हमारे मुख्य खंभे हैं, चर्चा के दौरान आया कि उनमें सबमें महिलाएं हैं और आप स्वयं हमारी, इस सदन की संरक्षिका बैठी हैं। यह सर्वोच्च सदन है और इस सर्वोच्च सदन में आप जैसा संरक्षक रहते हुए भी अगर इस सदन के सदस्य की जान-माल की सुरक्षा नहीं की जा सकती तो यह सदन सुरक्षित नहीं रह सकता है। मैं जिस प्रदेश से आता हूं, वहां भी हमारी मुख्यमंत्री हमारी बहन सुश्री मायावती जी हैं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुझे वर्ष 1991 से जब मैं विधायक भी नहीं था, तब भी मेरे पास गनर था। वर्ष 1996 से लेकर वर्ष 2004 तक एक-चार की गारद हमारे साथ लगी थी, दो सुरक्षा गनर थे। मुलायम सिंह जी की सरकार में भी हमारे पास एक-चार की गारद बनी रही। चूंकि हमने बहुजन समाज पार्टी छोड़ दी है, आई.बी. की रिपोर्ट कहती है कि राजाराम पाल को गंभीर खतरा है। तीन-तीन बार मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने के बाद भी, आई.बी. रिपोर्ट जाने के बाद भी, एल.आई.यू. की रिपोर्ट जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जी...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह विषय यहां के लिए नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री राजाराम पाल : हमारी बात सुनिये।...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : महोदया, यह आरोप गलत है।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.00 p.m.

13.08 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.02 hrs

The Lok Sabha re-assembled at two minutes past Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377 *

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Those Members, who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over slips at the Table of the House within 20 minutes.

Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time and the rest will be treated as lapsed.

* Treated as laid on the Table.

(i)Need to take steps to check the degeneration of social values in the society.

श्री जितेन्द्र सिंह मलिक (सोनीपत): आज समाज में हर तरफ भ्रष्टाचार, चोरी, लूट-मार के साथ-साथ औरतों व बच्चों पर अत्याचार की खबरें लगातार अखबार व टीवी चैनलों पर सुनने को मिल रही हैं। निश्चित तौर पर भारतीय समाज आज सांस्कृतिक रूप से संक्रमण काल से गुजर रहा है। लोग निश्चत तौर पर संयम और सादगी का जीवन त्याग कर पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करते नजर आ रहे हैं। नैतिक मूल्यों का दिन-प्रतिदिन ह्रास हो रहा है। ऐसे हालात में सामाजिक संस्थाओं के साथ-साथ सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे सभी प्रयत्न किए जाएं जिससे समाज में संतुलन पैदा हो। इनमें मीडिया का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार का ये दायित्व बनता है कि जिस तरह निजी टीवी चैनलों पर रियल्टी प्रोग्रामों में अश्लीलता दिखाई जाती है उसे रोके तथा कड़े कानून बनाकर हर तरफ फैले भ्रष्टाचार और लूटमार से सख्ती से निपटे।

(ii)Need to facilitate implementation of rural development works in Barmer Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर): मेरे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर के अंतर्गत 73 गांव ऐसे हैं जो आजादी के 64 साल के बाद भी आज विकास की सुविधा से महरूम हैं एवं दयनीय जीवन जी रहे हैं। पानी के लिए मटकी लेकर इस से पन्द्रह किलोमीटर, शिक्षा हेतु दस से चालीस किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। एक गांव से दूसरे गांव तक पैदल यात्रा करनी पड़ती है। राष्ट्रीय मरू उद्यान एक्ट के तहत इन 73 गांव के लोगों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के कार्य रोक दिए गए हैं। इस एक्ट के कारण यहां के लोग अपने खेतों को सिंचाई के लिए ट्यूब बैल कनेक्शन नहीं लगा पा रहे हैं। इन्दिरा नहर योजना से सिंचाई का लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसान अपनी जमीन बेच नहीं सकते हैं और किसान क्रेडिट कार्ड के अभाव में ऋण भी नहीं ले सकते हैं। उनके घरों में बिजली पहुंचाने पर इस एक्ट से प्रतिबंध है। इस एक्ट के कारण अनेक लोग अन्य शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। अगर किसी को शिकायत हो तो सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी से सम्पर्क करना पड़ता है जो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। यहां के लोगों कमी वित्तीय हालत इतनी खराब है कि वे बाड़मेर तक नहीं जा सकते हैं तो कैसे वे सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच पाएंगे। इस एक्ट से जिन सुविधाओं पर पाबन्दी लगी है, वे विकास के लिए अत्यंत जरूरी हैं। इस सबके कारण यहां के लोग आन्दोलन करने के मूड में हैं।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस एक्ट में संशोधन किया जाए और सामाजिक एवं आर्थिक विकास की जो सुविधाएं यहां के किसानों को अन्य क्षेत्रों की तरह मिल सके, वैसी सुविधाएं पाने का हक यहां के लोगों को भी है।

(iii) Need to amend the relevant provision of the Constitution to provide benefits of promotion and seniority to people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): मैं सदन का ध्यान अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के राजकीय कामिकों को पदोन्नति के साथ परिणामिक वरिष्ठता का लाभ दिए जाने की ओर आकर्षित करते हुए यह बताना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत दिनांक 16.11.1992 तक सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को राजकीय सेवाओं में उनकी जनसंख्या के अनुपात में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर आरक्षण प्रदान किया जाता रहा है।

इन्दिरा साहनी प्रकरण में उच्चतम न्यायालय की नौ जज की संविधानिक पीठ ने दिनांक 16.11.1992 को संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए राजकीय संवाओं में पदोन्नति में आरक्षण को सही नहीं माना तथा यह आदेश दिया कि इन वर्गों को पदोन्नति में आरक्षण केवल अगले 5 वर्ष तक ही यथावत रखा जाएगा। भारत सरकार ने इस विसंगति को दूर करने के लिए 77वें संविधान संशोधन की दो जज पीठ ने दिनांक 10.10.1995 से जोड़ा।

उच्चतम न्यायालय की दो जज पीठ ने दिनांक 10.10.1995 को वीरपाल सिंह चौहान प्रकरण में तीन जजों की पीठ ने दिनांक 01.03.1996 को व पांच जजों की पीठ ने दिनांक 16.09.1999 को सामान्य वर्ग के राजकीय कार्मिकों को वरिष्ठता में "रिगैनिंग " का लाभ देते हुए "कैच अप रूल " प्रतिस्थापित किया जिससे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के राजकीय कार्मिकों को पदोन्नति तो मिलेगी लेकिन पदोन्नति के साथ परिमाणिक वरिष्ठता का लाभ नहीं मिलेगा। इस विसंगति को दूर करने के लिए भारत सरकार ने 85वें संविधन संशोधन को दिनांक 17.06.1995 से लागू किया।

उच्चतम न्यायालय की पांच जजों की पीठ के समक्ष 77वें व 85वें संविधान संशोधनों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा चुनौती दी गई। उच्चतम न्यायालय को दिनांक 19.10.2006 को एम. नागराज प्रकरण के नाम से अपना निर्णय दिया। जिसमें इन संवैधानिक संशोधनों को सही तो करार द या परन्तु कहा कि सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वर्गों के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण देना चाहती है तो इस हेतु उन्हें इन वर्गों में सामाजिक पिछड़ेपन, राजकीय सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व एवं सरकार के काम की दक्षता पर प्रभाव के संबंध में आंकड़े एकत्रित कर आधार तैयार करना होगा। इन शर्तों के कारण वर्ष 1995 से अब तक इन वर्गों के लोगों को पदोन्नति का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है तथा इन वर्गों में सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिल पाने के कारण निराशा का भाव व्याप्त हो रहा है। राजस्थान,

उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों के हाई कोर्ट के द्वारा एम. नागराज के निर्णय का सहारा लेकर विपरीत निर्णय दिए हैं।

अतः मैं मांग करता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 16(4ए) के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के राजकीय कार्मिकों को पदोन्नति के साथ पारिमाणिक वरिष्ठता का लाभ मिल सके इस हेतु तत्काल प्रभाव से संविधान में संशोधन की सरकार पहल करे।

(iv)Need to provide special financial package to the Government of Maharashtra to assist farmers of the State particularly in Bhiwandi Parliamentary Constituency.

श्री सुरेश काशीनाथ तवारे (भिवन्डी): मेरे संसदीय क्षेत्र भिवंडी एवं महाराष्ट्र में किसानों को पर्याप्त सब्सिडी नहीं मिलने के कारण किसानों की हालत चिन्ताजनक है। आजादी के 63 वर्ष बीतने के बाद भी किसानों की हालत में जितना सुधार होना चाहिए था, नहीं हो पाया है। किसान लगातार कर्ज में डूबते जा रहे हैं। किसानों के खेती करने की जरूरत की चीजें खाद, बीज, डीजल, कीटनाशक दवाएं, खेती का सामान ट्रैक्टर, औजार आदि सामानों के मूल्यों में लगातार वृद्धि जारी है। राज्य सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। लेकिन केन्द्रीय सरकार से भरपूर मदद की आवश्यकता है। इसीलिए महाराष्ट्र राज्य को किसानों के हित में विशेष पैकेज दिए जाने की आवश्यकता है।

अतएव केन्द्र सरकार से मांग है कि मेरे संसदीय क्षेत्र भिवंडी एवं पूरे महाराष्ट्र राज्य के किसानों के हित में महाराष्ट्र राज्य को विशेष पैकेज दिए जाएं और बिजली, डीजल, खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं, ट्रैक्टर आदि में 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाए।

(v)Need to construct a railway line between Chennai to Puducherry parallel to East Coast Road.

SHRI S. ALAGIRI (CUDDALORE): The East Coast Road between Chennai and Puducherry is a road parallel to coastal area. A lot of people travel by this road. So this road witnesses heavy traffic jam on a daily basis which causes inconvenience to the people who use this road. Fatal accidents take place due to jam and congestion. It is requested that a railway line parallel to East Coast road between Chennai to Puducherry may be constructed as soon as possible to relieve the people from jam and congestion on East Coast Road.

(vi)Need to expedite the establishment of the proposed Desalination Plants in islands of Lakshadweep

SHRI HAMDULLAH SAYEED (LAKSHADWEEP): I would like to draw the attention of the Government to the Desalination Plant which was built in the year 2005 in Kavaratti Island. It is the first of its kind in India. It can generate one lakh litres of potable water for drinking and other household purposes. The work was completed within 8 months. There is a proposal to construct six desalination plants in six islands. Intially these six projects were to be completed in March 2009. But the projects have been inordinately delayed.

I, therefore, request and urge the Government to intervene in the matter immediately by issuing fresh time limit to ensure that these desalination plants are built so that the people in these areas could get potable water for their usage. Government should ensure to stuck to the stipulated time period for their completion.

(vii) Need to undertake necessary measures to make Deoghar in Jharkhand a Mega Tourist Destination

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): Deoghar, district of Jharkhand's Santhal Pargana, is a religious capital of Eastern India, where Lord Shiva's Dwadash Shaktipeeth and one of the Jyotirlings is situated and is visited by over 5 crore pilgrims every year. Besides this, prominent personalities are also associated with this place.

The Ministry of Tourism, Government of India, although have included Deoghar in the list of Mega Tourist Destination, but a sincere effort in convergence from all the Ministries/department of Government of India is required to make this a real Mega Tourist Destination of India.

Therefore, I urge the Government to take necessary steps to make Deoghar a Mega Tourist Destination.

(viii) Need to protect the interests of employees working on tempory basis in Government Departments and PSUs in the country

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): आज भारत के सर्वोच्च न्यायाल के निर्देश के आलोक में विभिन्न सरकारी संस्थाओं और सार्वजनिक लोक उपक्रमों आदि में अस्थायी श्रमिकों को नियुक्त किया गया है और देश में लाखों लोग इसके तहत कार्यरत हैं, परन्तु ऐसे अधिकांश मजदूरों और कार्मिकों के लिए उचित पारिश्रमिक, सेवा का स्थायीकरण, सामाजिक सुरक्षा और भविष्य निधि की चिन्ता नियोक्ता को नहीं है। संबंधित आउटसोर्सिंग एजेन्सी ऐसे मजदूरों और कार्मिकों को सरकार द्वारा निर्धारित देय वेतन और सुविधाओं से वंचित रखते हैं। परिणामतः ऐसे लोग कम वेतन पर कार्य करने को विवश हैं।

अतः सरकार को ऐसे अस्थायी प्रकृति के मजदूरों और कार्मिकों की वरीयता और कार्यानुभव का समय-समय पर आंकलन करना चाहिए और इनके बेहतर भविष्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नियामक आयोग की स्थापना की जाए और विभागीय रिक्तियों में इनकी सेवा का समायोजन करने और स्थायी पद पर नियुक्ति प्रदान करने की प्राथमिकता का निर्धारण किया जाए।

(ix)Need to set up a CGHS dispensary in Indore, Madhya Pradesh

SHRIMATI SUMITRA MAHAJAN (INDORE): The Central Government employees working in Indore and desperately in need of CGHS dispensary. Indore being the financial capital of Madhya Pradesh, is having more than 20000 Central Government employees. Most of them are retired persons getting merely Rs.1000 for their medical facilities. Today, a one-time visit to a doctor costs more than Rs.1000 for a normal person with all the tests and medicines and we can imagine the financial burden of a retired person. Old age needs more of medical attention. The Central Government Employees Coordination Committee has also arranged four MIG Quarters for housing the dispensary. In July 2003, Hon'ble Minister had announced the opening of CGHS dispensary in Indore but it is yet to be implemented. Even the High Court of Madhya Pradesh has given direction to the Central Government for the opening of the dispensary, which has not yet been complied. I would like to request the Central Government through you to open dispensary immediately to facilitate the employees/pensioners.

(x)Need to check the rising prices of essential commodities

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): भारत की जनसंख्या 100 करोड़ से भी अधिक है तथा हमारे देश की 40 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। पिछले दो वर्षों से मंहगाई दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आम आदमी जो दाल रोटी खाकर गुजारा करता है उसके लिए दाल रोटी खाना दूभर हो गया है। रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं जैसे गैस, पेट्रोल, दालें, तेल, सब्जियां, प्याज सबकी कीमतें आसमान छू रही हैं। एक तरफ देश के कई प्रदेशों में अनाज गोदाम न होने के कारण सड़ जाता है परन्तु आम आदमी को खाने को नहीं मिलता। महंगाई में कोई कमी नहीं हो रही है। मैं आपके माध्यम से इस अति गंभीर एवं आम आदमी से जुड़े लोक महत्व के मुद्दे पर केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि सरकार इस आसमान छूती मंहगाई को कम करने की दिशा में गंभीर प्रयास करे।

(xi) Need to construct a new bridge over river Kosi in Khagaria district, Bihar to facilitate smooth traffic on N.H.107

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया): बिहार राज्य अंतर्गत खगड़िया जिला के एन.एच. 107 पर कोशी नदी पर डुमरी घाट पुल क्षतिग्रस्त होने से इस पर आवागमन का परिचालन पूर्णरूप से बंद कर दिया गया है, जिससे उत्तर बिहार के सहरसा, मधेपुरा, सुपौल एवं अररिया जिलों के लोगों का राजधानी पटना तथा दक्षिण बिहार से सीधा सम्पर्क भंग हो गया है। इससे उन क्षेत्रों में सभी सामानों यथा खाद, बीज, सीमेंट, सरिया, धातु एवं बाहर से आने वाले खाद्य सामग्री की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई है। इससे आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है।

अतः जनहित में एन.एच. 107 पर अवस्थित कोशी नदी पर डुमरी घाट पुल का निर्माण किया जाये।

(xii) Need to fix the royality on coal on ad-valorem basis

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): The Twelfth Finance Commission has observed that Government of India has not been revising the royality rates as regularly as provided for, particularly in case of coal and lignite. The Commission has recommended that the rate of royalty should be fixed on ad-volorem basis. The Huda Committee has also recommended ad-valorem royalty system and this is more commonly used internationally. Orissa has the longest coal fields in the country. Orissa Government has proposed for fixation of royalty at 20% of sale price on ad-volrem basis.

However, royalty has been revised as per hybrid formula which has a fixed component and a variable competent. As in Orissa, most of the coal belongs to F grade, revised royalty works out to be Rs.75/- per tonne as compared to prerevised rate of Rs.65/- per tonne. Thus there has been an increase of Rs.10/- per tonne in absolute term and approximately 15% in percentage term. Increase of 15% over a period of five years does not even take care of inflation. Thus, in real terms, there has been no increase in the royalty rate.

I, therefore, urge upon the Government to completely shift from the hybrid rate to ad-valorem regime of royalty. The rate of royalty on coal should be fixed for all grades of non-cooking coal at 20% of sale price of coal. This should be the sale price as reflected in e-auction prices and not the long term linkage prices which are regulated and do not reflect the time value of the coal.

(xiii) Need to provide adequate civic and medical facilities to civilan population residing in cantanment areas in the country

श्री गजानन ध. बाबर (मावल): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान देश के समस्त छावनी बोर्डों की ओर दिलाना चाहता हूं। छावनी बोर्डों के अंतर्गत रहने वाले सिविल नागरिकों को सुविधाओं का अभाव है। इन क्षेत्रों में सैनिकों के घरों में काम करने वाले लोग रहते हैं या फिर वे लोग जिनकी जमीन छावनी बोर्ड स्थापित करने के लिए अधिग्रहित कर ली गई है, वे रहते हैं। ये लोग बहुत गरीब हैं। इनको सुविधाएं दिए जाने हेतु समस्याओं की सुनवाई नहीं हो पाती है।

महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद छावनी बोर्डों की संख्या सबसे अधिक है। छावनी बोर्डों की सत्ता छावनी कानून के तहत चलायी जाती है। नगरपालिका कोष, सांसद तथा विधायक कोष से छावनी क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। अतः भारत सरकार को रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत देश के समस्त छावनी बोर्डों के अंतर्गत पड़ने वाले नागरिक क्षेत्रों के समुचित विकास के लिए अलग से बजट प्रावधान करना चाहिए जिससे यहां रहने वाले गरीब नागरिकों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

छावनी बोर्डों की स्थापना सन् 1924 में ब्रिटिश शासन काल में हुई थी तब से अब तक इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आबादी में भारी वृद्धि हुई है इनके मकानों की मरम्मत तथा विस्तार की अनुमति नहीं दी जाती है जिससे इन लोगों का जीवन मुश्किलों से भरा है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि या तो छावनी बोर्डो को भीड़ वाले इलाकों से हटाकर दूसरी जगह स्थानान्तरित कर दिया जाए या इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को दूसरी जगह मकान बनाकर बसाया जाए।

छावनी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को सैनिक अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाये तथा छावनी बोर्डों में सिविल इंजीनियरों की भर्ती की जाये ताकि क्षेत्र का समुचित विकास हो सके तथा बोर्डों में चुने हुए लोक प्रतिनिधि को निर्णय लेने का अधिकार दिया जाए।

(xiv)Need to strengthen and convert bridge number 244 at Bodinaickanpatti under Salem Division, Southern Railway, Tamil Nadu into RCC BOX Bridge

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): The existing Railway under bridge number 244 situated at Bodinaickanpatti, near Suramangalam Railways Junction which comes under Salem Railway Division, Southern Railway, Tamil Nadu needs to be strengthened and converted into RCC BOX. The urgent necessity for the conversion in RCC BOX has already been appraised many times. The Salem Railway Divisional Authority also had sent a proposal to strengthen the bridge. But for want of fund the proposal was stalled. This is a long felt need. Therefore, I request the Ministry of Railways to act on this and fulfil the much awaited expectation in the current financial year (2011-2012) itself.

(xv) Need to set up Kendriya Vidyalayas in Tenkasi and Rajapalayam towns in Tenkasi Parliamentary Constitutency, Tamil Nadu

SHRI P. LINGAM (TENKASI): My Tenkasi Lok Sabha constituency consists of 6 Assembly constituencies, four of them come under Tirunelveli district while two come under Virudhunagar district and all these six assembly constituencies have got seven muncipal towns namely (i) Tenkasi (ii) Shencottah (iii) Kadayanallur (iv) Sankaran Kovil (v) Puliangudi in Tirunelveli district alongwith (vi) Srivilliputhur and (vii) Rajapalayam in Virudhunagar district. All these towns and surrounding places have many Central Government offices but none of these towns have Kendriya Vidyalayas to cater to the needs of the children of Central Government Employees and this is a matter of great concern.

Srivilliputhur too is emerging as the foremost educational district in the entire State of Tamil Nadu, Rajapalayam, the growing industrial city is adjacent to it. Tenkasi, the popular and ancient town on the borders of both the States of Tamil Nadu and Kerala alongwith Rajapalayam may be considered for setting up Kendriya Vidyalayas. Hence, I urge upon the Union Government to take steps to set up Kendriya Vidyalayas in both Tenkasi and Rajapalayam towns.

(xvi) Need to provide adequate share of water from river Ganga to Bihar and provide funds for prevention of land erosion in the State

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): गंगा नदी बिहार की सीमा में बक्सर में प्रवेश करती है। बिहार प्रदेश सूखा और बाढ़ कटाव दोनों का दंश झेलता है। अत्यधिक दोहन के कारण गंगा नदी में वर्षाकाल के अतिरिक्त पानी ना के बराबर रहता है जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वर्षाकाल के दिनों में बक्सर से लेकर आरा तक गंगा के किनारे के गांव तथा गांव के बाहर की जमीन में भयानक कटाव होता है। कटाव पीड़ित लोगों के विस्थापन की कोई व्यवस्था नहीं है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि गंगा के पानी के प्रयोग पर बिहार की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही उपरी तटवर्ती राज्यों को अनुमति दी जाए तथा कटाव को रोकने के लिए बने राष्ट्रीय कार्यक्रम से अधिक आवंटन दिया जाए साथ ही विस्थापितों के पुनर्वास की उचित व्यवस्था की जाए।

(xvii) Need to provide financial assistance to all the people seeking help from Prime Minister's National Relief Fund.

SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM): The Prime Minister's National Relief Fund (PMNRF), which caters to the medical needs of various types of drastically sick patients from every state in the country has been rendering very good service over the past years. However, the fund is not able to help all those who see assistance, since this number is very large and the requirement for funds is enormous. This is despite the fact that all cases that reach the PMNRF are genuine. Those who are left without being helped, naturally, get upset with the Government, especially the MP of the constituency to which they belong.

The rising cost of medicines is adding to the burden of critically ill patients and those who take care of them. Under such circumstances, the financial support that reaches them from the PMNRF is very much needed. I, therefore, appeal to the Hon'ble Prime Minister that the Government should extend some assistance to all those who seek financial help. Even if the quantum of financial assistance is lowered, the Government should endeavour to give assistance to all those who come seeking help. This will help avoiding unnecessary criticism of the MP regarding partiality. I, therefore, request the Hon'ble Prime Minister to use his good offices in this matter and issued relevant orders to the concerned authorities.

14.04 hrs.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) – 2010-11

MR. DEPUTY-SPEAKER: Item Nos. 17 and 18 are to be taken up together.

Motion moved:

"That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2011, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 5, 7, 9, 11 to 23, 26, 29 to 33, 35, 40 to 43, 45 to 51, 53 to 55, 57 to 62, 64, 65, 67 to 74, 77, 79 to 81, 83 to 88, 90, 92 to 98, 100 and 103 to 105."

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): सभापति जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार रखने के लिए मुझे आमंत्रित किया।

हमारे वित्त मंत्री जी ने पिछले वर्ष 26 फरवरी को जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने एक बहुत मार्मिक और सही बात कही थी कि -

> "The Union Budget cannot be a mere statement of Government's accounts. It has to reflect the Government's vision and signal the policies to come in future."

यह बहुत सही बात है, यह होना चाहिए। बजट न केवल आँकड़ों का खेल हो, बल्कि बजट में उन नीतियों का और उस सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन का दिशा संकेत ही नहीं, बल्कि उस तरफ बढ़ने के कदम भी होने चाहिए। नई सरकार बनने के बाद उनका जो बजट था, उसमें उन्होंने यह कहा, लेकिन न तो पिछले साल इस सिद्धांत का पालन हुआ और न इस साल ही इस सिद्धांत का पालन हो रहा है। इस बार इस बात को उन्होंने नहीं दोहराया, बल्कि बजट के आंकड़े संतुलित करके संसद के सामने रख दिए और इस आशा से रख दिए कि शायद लोग इस भुलावे में आ जाएंगे कि बहुत अच्छा बजट देश के सामने रखा गया है। अब हमें यह देखना है कि वर्ष 2011-12 का बजट क्या कहता है, किधर जाता है और यह किसके लिए बना है? क्या यह बड़े आदमियों के लिए बना है या यह आम आदमी के लिए बना है या गरीबों के लिए बना है या परिगणित जातियों और जनजातियों के बना है या किसानों के लिए बना है या बेरोजगार नौजवानों के लिए बना है या असंगठित मजदूरों के लिए बना है या इसमें जनजातियों के लिए कुछ कहा गया है। किसके लिए बना है? देश की आम आबादी के लिए बना है या बहुत छोटे तबके के लिए बना है, यह देखने की बात है। इस बजट भाषण के पैरा 4 में हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा है-

> "We have to ensure a stronger fiscal consolidation to enlarge the resource space for private enterprise and addressing some policy constraints. We have also to improve the supply response of agriculture to the expanding domestic demand. Determined measures on both these issues will help address the structural concerns on inflation management."

पैरा 7 में आप फिर कहते हैं-

> "Corruption is a problem that we have to fight collectively."

And very lightly also, उसको आगे देखेंगे, उसका कोई जिक्र है या नहीं। इस तरह से पांच बातें मुख्य रीति से बजट की शुरूआत में वित्त मंत्री जी ने उठायी। वित्तीय प्रबंधन, फिसकल मैनेजमेंट, ग्रोथ, विकास, इनफ्लेशन पर नियंत्रण, महंगाई पर नियंत्रण, कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट और भ्रष्टाचार का उन्मूलन। इन पांचों बातों पर यदि हम इस बजट को कसें तो बड़ी निराशा होगी।

महोदय, इस बजट को देखें तो हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा था कि मैंने खर्च तो ज्यादा किया, लेकिन राजकोषीय घाटा पिछले साल के 5.5 प्रतिशत से घटाकर जीडीपी का 5.1 प्रतिशत कर दिया है। अब ज़रा आंकड़ों की करामात पर गौर करें। वर्ष 2009-10 में वास्तविक घाटा 418482 करोड़ रूपये था। वर्ष 2010-11 में अनुमानित था, 381408 करोड़ और इसका संशोधित वर्ष 2010-11 में हुआ 400998 करोड़ और वर्ष 2011-12 में अनुमानित है, 412817 करोड़। यानी वर्ष 2009-10 में जो वास्तविक घाटा था, उससे भी कम दिखाया जा रहा है। अब जरा इस बात को देखिए कि वर्ष 2010-11 में जो संशोधित राजकोषीय घाटा था, वह अनुमान से लगभग 20 हजार करोड़ रूपए, 19590 करोड़ रूपए बढ़ गया। यानी 381408 करोड़ रूपए से बढ़कर 400998 करोड़ रूपए हो गया। इस बार भी यदि यह समझा जाए कि यह 412817 करोड़ पर नहीं रहेगा, इससे कहीं ज्यादा जाएगा, तो हालात बहुत बिगड़े हुए हैं।

महोदय, यह इसलिए हुआ, क्योंकि 3जी की नीलामी से छप्पर फाड़ कर आमदनी हुई है। पिछले बजट में कहीं उसका जिक्र नहीं था। लेकिन हजारों करोड़ की आमदनी छप्पर फाड़ कर मिल गई, जिसका पहले अंदाज़ नहीं था, लेकिन आ गई। जिसके कारण राजकोषीय घाटा 5.5 से घटकर 5.1 प्रतिशत पर आ गया। इसमें वित्त मंत्री जी की करामात नहीं है। इसमें वित्तीय प्रबंधन की कोई करामात नहीं है। इसमें उनके बजट के प्रवाह का कोई योगदान नहीं है। 3जी की नीलामी से जो बहुत सा पैसा आ गया, यह उसकी करामात है। आप एक बात और देखें कि वर्ष 2010-11 में जीडीपी 69.35 लाख करोड़ थी।

तब 3,81408 करोड़ का घाटा 5.5 माना गया था। सन् 2010-11 में जीडीपी करंट प्राइसेस पर थी, लेकिन मुद्रा विस्तार के कारण जीडीपी, जिसे हम नोमिनल जीडीपी कहते हैं, वह बढ़ कर 59.35 लाख करोड़ से 78.78 लाख करोड़ हो गई। वित्त मंत्री जी ने ऐलान कर दिया कि इन्होंने घाटा 5.1 परसैंट कर दिया पर यह इनफ्लेशन की वजह से हुआ। मिडटर्म पॉलिसी स्टेटमेंट जो दिया जाता है, उसमें भी इन्होंने यह स्वीकार किया है कि हम मुद्रा विस्तार की वजह से राजकोषीय घाटा कम रखने में सफल हुए। अगर मुद्रा विस्तार न होता तो क्या होता, तो यह घाटा 5.1 परसैंट की जगह 5.8 परसैंट होता। यानी आप आंकड़ों की बाजीगरी से यह समझा रहे हैं कि आम जनता को इस बात का पता ही नहीं लगेगा कि मुद्रा विस्तार से जीडीपी की मात्रा कैसे बढ़ गई और उसकी वजह से वह घाटा कम हो गया। लेकिन अगर इस मुद्रा विस्तार को निकाल

दें या आप छप्पर फाड़ कर जो आमदनी हुई, उसे निकाल दें तो यह 5.8 परसैंट जाएगा, यह कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अब आप जरा नॉन प्लान व्यय को देखें। सन् 2010-11 में इसका एस्टीमेट 7,35,657 करोड़ था। यह जब रिवाइज्ड हुआ तो 8,21,552 करोड़ हो गया। सन् 2011-12 में 8,16,182 करोड़ का अनुमान है। ये इतना रहेगा नहीं, ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, सरकार के पास पैसे कहां हैं? इस व्यय को करने के लिए पैसे कहां हैं? अगर आप प्लान व्यय को देखें तो सन् 2010-11 में 3,73,092 अनुमान था और रिवाइज 3,95,000 हुआ। सन् 2011-12 में एस्टीमेट 4,41,547 करोड़ है। इन सब के लिए रिसोर्सेस कहां से आएंगे? वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हमें रिसोर्सेस लाने हैं। आपका इनफ्लेशन, मुद्रा विस्तार पर कोई नियंत्रण नहीं है। कच्चे तेल की कीमतें बेहिसाब बढ़ रही हैं और खाद्यान्नों के दाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसी हालत में यह कहना कि यह जो सन् 2011-12 का कुल खर्चा 12,57,729 करोड़ रखा गया है, यह निरर्थक है। इसका कोई मतलब नहीं है। पता ही नहीं है कि यह आंकड़ा कहां जाएगा। आप बार-बार कह रहे हैं कि प्राइस राइज़ हो रही है। अगर क्रुड ऑयल के दाम बढ़ गए तो हम नहीं जानते कि कहां जाएंगे। फिर आप कहते हैं कि यह बजट रिफार्म्स का एक खाका पेश करेगा। सवाल यह है कि आपको रिफार्म चाहिए या अर्थव्यवस्था के मौलिक सिद्धांत ठीक करने चाहिए। लोगों को खाना और रोजगार मिले, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो, कृषि का विकास हो, यह जरूरी है या आप रिफार्म्स, जीएसटी लाओ, ये लाओ, वे लाओ, इधर करो, वह जरूरी है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि इस वक्त हमारी मौलिक आवश्यकताएं क्या हैं। अगले साल थ्री-जी की नीलामी से कोई छप्पर फाड़ आमदनी की गुंजाइश नहीं है। इस साल आप नोमिनल जीडीपी की वृद्धि से राजस्व घाटा घटा कर दिखा रहे हैं। अगले साल का आपने जो 4.6 परसैंट घाटा दिखाया है, कोषीय फिस्कल डेफिसिट, ये कैसे रह पाएगा? यह सवाल है, जो आपको हमें बताना एवं समझाना है कि हम ऐसा प्रबंध करेंगे कि ये निश्चित रूप से 4.6 परसैंट रहेगा। मुझे नहीं लगता कि आप इसे इतना रख सकें। अब आप कहेंगे कि हम उधार ले लेंगे। अगर आप बजट को ठीक से देखें तो लगभग 4,70,000 करोड़ रुपए उधार के चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इससे चिन्तित है। वह कहता है कि लिक्वीडिटी तंग हो गई है। बैंकों में जमा होने वाली राशि का ग्रोथ, उसका विकास कम है और बाजार में उधार की मांग बढ़ रही है। अगर आप इंडस्ट्री एवं व्यापार को बढ़ाएंगे तो उन्हें पैसा चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, वे बैंकों से पैसा लेंगे, तो बैंकों के पास पैसे होने चाहिए। आर.बी.आई. कहता है कि लिक्विडिटी कम है। वह स्क्वीज हो रही है। अगर आप बाजार से उधार लेंगे, सरकार पैसा बाजार से

उठा लेगी, तो आम उद्योगों के लिए कहां से पैसा आएगा, फिर ब्याज दर बढ़ जाएगी, क्योंकि उधार के लिए राशि कम हो जाएगी? जब बाजार से आप ले लेंगे, तो उद्योगों को पैसा कहां से मिलेगा? फिर आप कहेंगे कि ये उद्योग अगर ऐसे चलेंगे, तो नॉन-कॉम्पीटीटिव हो जाएंगे। अगर उन्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, उन्हें ब्याज का ज्यादा रेट देना पड़ेगा, तो उद्योग नॉन-कॉम्पीटीटिव हो जाएंगे। इसका असर आपके एक्सपोर्ट पर होगा और अगर एक्सपोर्ट पर असर होगा, तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम होगा। इसलिए इस बात को पूरी तौर पर और इंटीग्रेटेड रूप में देखने की जरूरत है। इससे महंगाई की आंच और तेज होगी। खर्चे बढ़ेंगे। सरकारी प्रोजैक्ट्स या तो आपको कम करने पड़ेंगे या वे ठप्प हो जाएंगे। आपकी ग्रोथ यानी विकास कहां से होगा? मंत्री जी ने कहा है कि वित्तीय प्रबन्धन और विकास बड़े महत्वपूर्ण मसले हैं। मुझे दिखाई नहीं देता कि इसमें से आप कोई विकास कर पाएंगे या आप देश में महंगाई पर नियंत्रण कर पाएंगे।

महोदय, एक और विरोधाभास है। सरकार अर्थव्यवस्था का विस्तार चाहती है और मौद्रिक नीतियों पर अंकुश भी रखना चाहती है। अगर तेल के दाम बढ़ेंगे, तो यह आप कैसे कर पाएंगे। इसके साथ-साथ अगर आप खाद्य सुरक्षा बिल ले आए, तो उसके लिए पैसा कहां से लाएंगे? अगर आप उस बिल को ले आए और लागू किया, तो कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए। इसका बजट में प्रावधान कहां है? अगर आप फूड सिक्योरिटी बिल को लाने की बात कर रहे हैं और ले आए और लागू कर दिया, तो उसके लिए धन का कोई प्रावधान आपने इसमें नहीं किया गया है। हालांकि उसे लागू करने की कठिनाइयां अलग हैं, वह भी अपने आप में एक गोरखधंधा है, लेकिन मैं आपके इरादों को मान लूं कि आप उसे लाने वाले हैं और ले आए, तो यह बहुत अच्छी बात होगी। इससे मुझे बड़ी खुशी होगी। फूड सिक्योरिटी बिल जैसा भी है, वैसा ही लाकर अगर आपने लागू कर दिया, तो मैं समझूंगा कि आपने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, हालांकि फूड सिक्योरिटी बिल यूनीवर्सल होना चाहिए या टार्गेटेड होना चाहिए, सीमित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह एक अलग सवाल है। अगर आपने इस सीमित बिल को भी लागू कर दिया, तो मैं आपकी बड़ी तारीफ करूंगा। मुझे बड़ी खुशी होगी, अगर आप यह कर सकें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप यह कर पाएंगे।

महोदय, अगर आप और देखें। फिर आप कहते हैं कि एम.एन.आर.ई.जी.ए. में जो मजदूरी है, उसे आप कंजूमर प्राइस इंडैक्स के साथ जोड़ देंगे, तो कितना पैसा और बढ़ाएंगे, इसके लिए पैसा कहां से लाएंगे? ये वित्तीय प्रबन्धन के बड़े कठोर सवाल हैं, जो आपके सामने हैं और जिन पर आपको गहराई से विचार ही नहीं, बल्कि संसद और देश को समझाना होगा कि आप यह करामात कैसे कर पाएंगे? कहीं से

छप्पर फाड़ कर कोई आमदनी होने वाली हो, तो वह बताइए या इसके लिए क्या इंतजाम करेंगे, वह बताइए?

महोदय, श्री रंगराजन जो आपके आर्थिक मामलों के सलाहकार हैं और बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी हैं, वे कहते हैं कि सरकार सारे मॉनीटरी और फिस्कल तरीके अपना कर महंगाई 8.23 परसेंट से घटाकर 4 या 5 परसेंट तक ले आएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि कैसे ले आएगी? तेल के दाम बढ़ जाएं, अनाजों के दाम बढ़ जाएं, बाजार में लिक्विडिटी न हो, मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर ग्रोथ न हो, एक्सपोर्ट न बढ़े, तो आप कहां से ले आएंगे? इसे देखकर तो मुझे लगा कि यह बिलकुल हवाई बात है, बिलकुल निरर्थक बात है। आर.बी.आई. कहती है कि अन्तर्राष्ट्रीय खाद्यान्न व अन्य वस्तुओं के बढ़ते दाम तथा कच्चे तेल की मूल्य वृद्धि इन प्रयत्नों पर पानी फेर देगी। इसका प्रभाव इनर्जी पर भी पड़ेगा। इनर्जी के मूल्यों पर भी पड़ेगा और वह फिर आपके सारे प्रोडक्शन को नॉन-कॉम्पीटीटिव बनाएगी। इसलिए यह सवाल है कि आप कैसे वित्तीय प्रबन्धन करेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है कि आपने जैसे ऊंची बातें कही हैं उन्हें आप पूरा कर पाएंगे या नहीं या उनका कितना हिस्सा आप पूरा कर पाएंगे, उसे लागू भी कर पाएंगे या नहीं, यह सवाल है?

महोदय, वित्त मंत्री ने कहा कि कराधान के द्वारा, टैक्सेशन के द्वारा इस बार उन्होंने कोई रिसोर्स नहीं किया, तो वे पैसा कहां से लाएंगे, कहां से पैदा करेंगे? अगर बाजार से उधार लेंगे, तो इसका परिणाम मैं बता चुका हूं उद्योगों पर पड़ेगा। उद्योग नॉन-कॉम्पीटीटिव होंगे, एक्सपोर्ट कम होगा और फॉरेन एक्सचेंज कम आएगा। या फिर आप डिस-इन्वैस्टमेंट करेंगे। यह बाजार की हालत पर निर्भर करेगा। पिछले साल आपने 40 हजार करोड़ रुपये की बात कही थी, 20-22 हजार करोड़ रुपया आपको मिला। अब इस साल अभी बाजार की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखें तो बाजार लड़खड़ा रहे हैं। इसलिए इस बार आप कितना डिस-इन्वैस्टमेंट करेंगे, किस हद तक जाएंगे, यह भी साफ नहीं है। बाजार आपका साथ देगा या नहीं देगा, इसके लिए आप कोई प्रार्थना करेंगे तो बात अलग है।

फिर आप कहेंगे कि एफ.डी.आई. और एफ.आई.आई. बढ़ाएंगे, एफ.डी.आई. लाएंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कहेंगे कि आप आइये। आप जानते हैं कि एफ.आई.आई. तो उड़न छू हो जाते हैं। जहां उन्हें ज्यादा पैसा दिखाई देता है, वहां चले जाते हैं। आपका स्टॉक मार्केट उसे पैसा देगा तो यहां रहेंगे, नहीं तो कहीं और जाएंगे, वहां चले जाएंगे। ये एफ.आई.आई. वालों की हरकतें हम कई दफा देख चुके हैं। पहले साउथ ईस्ट एशिया में यह हो गया। ये क्राइसिस तो ये लोग पैदा करते जाएंगे और आपके हाथ में वह नहीं है। आपके हाथ में उनका नियंत्रण नहीं है और एफ.डी.आई. अभी बढ़ नहीं रहा है।

अब आप चाहते हैं कि एफ.डी.आई. रिटेल सैक्टर में आ जाये। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप एफ.डी.आई. को कभी भी रिटेल में मत लाइये। देखिये, मुझे पता नहीं, आप ये रिपोर्ट्स पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, यह कॉमर्स कमेटी की तरफ से रिपोर्ट है, जिसमें बहुत स्पष्ट रीति से फॉरेन एण्ड डोमैस्टिक इन्वैस्टमेंट इन रिटेल सैक्टर को मना किया हुआ है। रिटेल सैक्टर में बड़ी पूंजी आप मत लाइये, वह चाहे लोकल हो, डोमैस्टिक हो या फॉरेन हो। आप इस देश को तबाह कर देंगे, अगर आप यहां रिटेल के अन्दर विदेशी पूंजी लाएंगे। आप इस बात को समझ लीजिए कि अनाज मॉल्स में पैदा नहीं होता। वहां टी.वी. रखे जा सकते हैं, वहां लैपटॉप्स रखे जा सकते हैं, ऐसी चीजें रखी जा सकती हैं, लेकिन अनाज तो खेत में पैदा होता है। अगर वहां पैदा नहीं होगा तो मॉल्स में क्या है। हमने देखा है, सारी दुनिया में क्या हालात थे, वालमार्ट के खिलाफ क्या हो रहा है, कैरीफोर के खिलाफ क्या हो रहा है।

हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था को आप तबाह मत कीजिए। यह परम्परा से चली आई है। इसमें सुधार कीजिए, इसके सुधार के मैं खिलाफ नहीं हूं। आप रिटेल में जो सुधार आवश्यक हैं, एक आम व्यापारी की दृष्टि से, चीजों की गुणवत्ता की दृष्टि से, फेयर प्रैक्टिसिज़ की दृष्टि से, साफ-सफाई की दृष्टि से तो यह बात समझ में आती है, लेकिन अगर आप उसे तबाह करेंगे तो रिटेल सैक्टर एग्रीकल्चर के बाद इस देश के अन्दर सबसे बड़ा एम्पलायमेंट जैनरेटिंग सैक्टर है। आप उस पर अपनी नज़र मत डालिये। यह राहू और केतू आप और जगह ले जाइये, लेकिन यहां पर मत लाइये।

मैं आपको इसमें बता रहा हूं, क्योंकि मैं इस देश में घूमता हूं। आप भी घूमते हैं, लेकिन आप जरा बड़े लोगों के पास ज्यादा जाते हैं, जबकि मैं छोटे लोगों के पास जाता हूं। मेरी कांस्टीट्वेंसी में खुदरा व्यापारी हैं। वहां बड़े मॉल्स नहीं हैं। वे रो रहे हैं, जब सुनते हैं कि आप रिटेल सैक्टर में एफ.डी.आई. लाना चाहते हैं। वे सोचते हैं, वे बन्द हो जाएंगे, जब दुकानें खत्म हो जाएंगी, जब वे बाहर हो जाएंगे। मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस रिपोर्ट को पढ़ लीजिए। मुझे पता नहीं कि आप पढ़ते हैं या नहीं। आप इसको रद्दी की टोकरी में डाल देते होंगे, मगर यह आपकी स्टेंडिंग कमेटी ने बहुत सोच-समझ कर रिपोर्ट दी है, विचार करके दी है, घूम-फिर कर दी है। देश में जहां बड़े मॉल्स बने हैं, उन्होंने वहां भी जाकर देखा है, वे छोटे व्यापारी से भी मिले हैं। उसके साथ सुझाव भी दिये गये हैं कि अगर मॉल्स खोलने हैं तो कैसे खोले जायें, कौन खोले, कहां खुलें, लेकिन आप बराये मेहरबानी रिटेल के ऊपर दया कीजिए। रिटेल और कृषि, इन दोनों पर आप दया दृष्टि रखिये, क्रूर दृष्टि मत रखिये। अगर आपने यह दृष्टि क्रूर कर ली तो भगवान भी इस देश को नहीं बचा सकता।

अगर आप एक सफल वित्त मंत्री के नाते इस देश में कुछ करना चाहते हैं तो रिटेल सैक्टर को सुधारिये, इसको मजबूत कीजिए, क्योंकि यह हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आपकी डोमैस्टिक बचत बहुत

कुछ उसी मात्रा पर निर्भर करती है। जब सारी दुनिया में मैल्ट डाऊन हुआ, उसको बचाने वाला सबसे बड़ा कुशन यही है। इसी की वजह से आप बचे हैं। आप यह मत समझिये कि आप सरकारों की वजह से बचे हैं- नहीं। अगर हम बचे हैं तो इन लोगों की वजह से, जिन्होंने उस सारे दबाव को झेला और गांवों तक जाने को रोक दिया। आप इस बात को गहराई से समझिए। भारत की अर्थव्यवस्था को, इसकी परम्परागत अर्थव्यवस्था को समझिये। हां, 21वीं सदी के अनुसार इस परम्परा में जो सुधार करने हैं, उतने सुधार जरूर कीजिए। उसमें कोई आपका विरोध नहीं करेगा, परन्तु इसको नष्ट मत कीजिए।

मेरे पास अभी आफ्थोलमोलोजिस्ट्स आये थे, चश्मे की दुकान वाले आये थे, वे घबरा रहे थे कि ये जो गांवों में बैठे हुए चश्मे वाले हैं, ये क्या करेंगे, अगर आप चश्मे में एफ.डी.आई. ले आये।

सारा काम हिंदुस्तान में हो रहा है। सारी टेक्नॉलाजी हिंदुस्तान को मालूम है। कौन सी टेक्नॉलाजी बाहर से आएगी? अगर लाना है तो वहां के इंजीनियर एप्वाइंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा बहुत विज्ञान भी जानता हूं और टेक्नॉलाजी भी जानता हूं। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि इस पर गहराई से सोचिए और इस रिपोर्ट पर ध्यान दीजिए, तब आपको पता लगेगा कि वास्तविक चीजें क्या हैं? देश में भयंकर तबाही आएगी, जिस दिन आप बड़ी पूंजी वालों को रिटेल में ले आएंगे। एक आदमी हवाई जहाज भी बेचे और सब्जी भी बेचे, यह कैसा तारतम्य है? एक आदमी टेलीविजन भी बेचे और सुई भी बेचे, क्या तारतम्य है? ब्रांडेड और मल्टी ब्रांड के चक्कर में मत डालिए, हम सब समझते हैं कि किस तरह से सिंगल ब्रैंड के अंदर भी घपले हो रहे हैं। आप दुकानों में झांककर देखिए कि उसके अंदर क्या-क्या हो रहा है? इस पर आप गहराई के साथ ध्यान दीजिए। आप घरेलू बचत बढ़ाकर अपने लिए रिसोर्सेज ला सकते हैं। रिजर्व बैंक भी कहता है कि घरेलू बचत बढ़ाइए। आरबीआई के गवर्नर ने भी कहा है कि अगर विकास दर बढ़ानी है, तो बचत को बढ़ावा देने के लिए बैंकों में जमा ब्याज की दरें बढ़ाइए और साथ ही कहता है कि लोन की दरें घटाइए। क्या सरकार ऐसा कर सकती है? क्या आपमें हिम्मत है कि आप इस तरह के कदम उठा सकें। अगर आप बैंकों में बचत लाएंगे तो बैंकों की लिक्विडिटी बढ़ेगी। अगर आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग को, इंडस्ट्री को कांपटीटिव बनाना है, तो लोन रेट्स कम करने होंगे। इस अंतर को, इस चीज को सरकार बैंकों के प्रबंध में सुधारकर कर सकती है, अपने खर्चे कम करके कर सकती है। अपने यहां पिलफ्रेज को रोककर कर सकती है। स्कीम्स के अंदर जो भारी भ्रष्टाचार, भारी पिलफ्रेज है, उसे रोककर कर सकती है। साथ ही साथ जो आप कारपोरेट हाउसेज को लूट करने की जो छूट दे रहे हैं, उसे रोककर हो सकती है।

आरबीआई के गवर्नर की एक चिंता और भी है - बढ़ते हुए करेंट एकाउंट डेफीसिट। इसका सीधा प्रभाव अर्थव्यवस्था के स्थायित्व पर पड़ेगा। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत के करेंट एकाउंट

डेफीसिट को शार्ट टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट से आप पूरा करें, यह ठीक नहीं है। यह बहुत रिस्की है और खतरे से खाली नहीं है। दीर्घावधि एफडीआई जो किसी इन्फ्रास्ट्रक्चर में आता है, एसेट फार्मिंग के रूप में आता है, वह स्थायी होता है, जो आपको परिपक्वता के साथ इस गैप को रोकने में मदद करता है। भारत या तो कामर्शियल बारोइंग कर रहा है या एफआईआई द्वारा इसे कर रहा है। ये दोनों रास्ते ठीक नहीं हैं। कामर्शियल बारोइंग आपसे जब मांगी जाएगी, आपको उसे वापस करनी पड़ेगी और एफआईआई जैसा मैंने बताया कि वह उड़न-छू होता है, जब चाहे उड़कर चला जाता है। आपका यह असंतुलन बहुत खतरनाक है। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार वर्ष 2011-12 में करेंट एकाउंट डेफीसिट जीडीपी के चार पर्सेंट तक जा सकता है। यह खतरनाक है। दो पर्सेंट लिमिट होती है, बहुत हुआ तो ढाई पर्सेंट हो, जिसके आते ही खतरा होने लगता है। यह देखिए कि अगर आपका पूंजी प्रवाह स्थायी नहीं हुआ, तो विदेशी उधार पर बहुत ज्यादा निर्भरता सोवरेन डेट क्राइसिस की तरफ भेज देगी। यह वर्ष 1991 में हो चुका है। इसलिए आप करेंट एकाउंट डेफीसिट को खत्म कीजिए। वित्तीय प्रबंध की दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि आप करेंट एकाउंट डेफीसिट को कम करें।

आपने लक्ष्मी जी से प्रार्थना की है कि भगवती लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं और आपको इतना धन दें कि आप यह प्रबंध कर सकें। आप अब अपने ऊपर निर्भर नहीं रह रहे हैं, आप अपने पुरूषार्थ पर निर्भर नहीं कर रहे हैं। अब आप लक्ष्मी जी की सेवा में जा रहे हैं। ...(व्यवधान) पहली बात तो आपको यह बताऊं ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें। आप उनको बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : धन का असली मालिक कुबेर है। लक्ष्मी जी धन देने में कृपा कर सकती हैं, डायरेक्शन दे सकती हैं, मगर धन कुबेर के पास है।

आप कुबेर की उपासना कीजिए। मगर इससे भी बड़ी बात यह है कि आप 21वीं शताब्दी में है। अब धन लक्ष्मी जी के पास नहीं है, सरस्वती जी के पास चला गया है। अब नॉलेज बेस्ड सोसाइटी का समय है। अब ज्ञान को हम धन में परिवर्तित कर रहे हैं।...(व्यवधान) कुबेर खा गए, अब सरस्वती के पास चला गया है। It is a knowledge society now. इसमें आप ज्ञान को धन में परिवर्तित कर रहे हैं। It is a knowledge based society. 21st century is based on knowledge. यह ज्ञान पर आधारित है। ज्ञान की अधिष्ठात्री सरस्वती है। मुझे खतरा यह है कि आप सरस्वती कहेंगे तो आपके बंगाल के मार्कसिस्ट आपको भगवाधारी कहने लग जाएंगे। कहेंगे कि आप अर्थव्यवस्था का भगवाकरण कर रहे हैं। डॉ. जोशी ने

शिक्षा का भगवाकरण किया था और आप वित्त व्यवस्था का भगवाकरण कर रहे हैं। उससे डरिए मत। सरस्वती की उपासना कीजिए। ज्ञानाधारित समाज बनाइए। लोगों को प्रशिक्षित कीजिए। टैक्नीकली एडवांस देश बनाइए और पेटैंट अधिक से अधिक कीजिए।...(व्यवधान) आज उससे पैसा...(व्यवधान) आज लक्ष्मी की उपासना से पैसा नहीं है।...(व्यवधान) आज ज्ञान की उपासना कीजिए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : टोका-टाकी मत कीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशा: थोड़ा शान्त रहना अच्छा होता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने दृष्टिकोण को भी ठीक कीजिए।

अब केन्द्रीय बजट के एक और पहलू की तरफ ध्यान दीजिए। ये कारपोरेट इनकम टैक्स में हर रोज 245 करोड़ रुपये माफ कर रहे हैं, रिवैन्यू फोरगोन। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि लगभग इतनी ही राशि प्रतिदिन भारत से हवाला कारोबार द्वारा विदेशों में जा रही है। इस वर्ष आपने 4,60,972 करोड़ रुपये राजस्व छोड़ा जिसमें 88,263 करोड़ रुपये आयकर छोड़ा। इसी से आप प्रतिदिन 245 करोड़ रुपये छोड़ रहे हैं। 1,98, 291 करोड़ रुपये आपने उत्पाद कर में छोड़े जो आजकल 2जी स्कैम के जो आंकड़े आ रहे हैं, उससे ज्यादा है। सीएजी ने 1,76,000 करोड़ रुपये प्रिजम्पटिव लॉस बोला है और आपने एक्साइज़ में 1,98,291 करोड़ रुपये दान कर दिए। फिर कस्टम में 1,74,418 है। यह लूट आज की नहीं है, वर्ष 2005-06 से जो आंकड़े मेरे पास हैं, मैंने देखा तब आप 2 लाख 9 हजार 108 करोड़ रुपये तीनों में मिलाकर दे रहे थे। अब 4,60,972 करोड़ रुपये दे रहे हैं यानी दुगुने से ज्यादा। आपने वर्ष 2005-06 से आज तक जो कुल राजस्व छोड़ा है, वह 21 लाख 25 हजार 23 करोड़ रुपये है। यह आपने किसको दिया है? किसान को, खेती को, बेरोजगार आदमी को, शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स को, महिलाओं को, किसको दिया है? यह आपने कारपोरेट हाउसेज़ को दिया है। यह आपने क्यों दिया? पांच साल में दुगुने से ज्यादा हो गया यानी 101.2 प्रतिशत। आप कहते हैं कि हमने एक्साइज़ इसलिए छोड़ी कि आम आदमी को राहत मिलेगी क्योंकि यह उत्पाद शुल्क है, इनडायरैक्ट टैक्स है। यह कम हो जाएगा। क्या वह टैक्स आम आदमी तक गया है? आपने पिछले पांच सालों में सदन के सामने कोई विवरण रखा है कि हमने इतना एक्साइज़ में छोड़ा था और यह आम आदमी को स्थानान्तरित हो गया, transferred to the common man. कुछ नहीं। आप देखें, यह सिर्फ वर्ष 2008 की वैश्विक मंदी के कारण नहीं है, यह छूट तो आप वर्ष 2005-06 से दे रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि हम जो कुछ कह रहे हैं, पुअर मैन्स इंटरस्ट कर रहे हैं। यह एक और तरीका है लूट करवाने का। अभी श्री साईनाथ में एक आर्टीकल में लिखा है -- this is

corporate socialism. गरीब आदमी के नाम पर कारपोरेट को फायदा पहुंचाना। बड़ों को छूट और गरीब की लूट, यह इसका सिद्धान्त है। आप देखिए कि आपने किस पर कस्टम्स घटाए। सोने, हीरे और ज्वैलरी के ऊपर कस्टम्स घटाए। यह कहा गया कि इसे आपने इसलिए किया ताकि इनका एक्सपोर्ट बढ़े।

इसमें काम करने वाले जो गरीब कामगार हैं, उनकी नौकरी बची रहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सूरत, जहां हीरों का काम होता है वहां से हजारों लोग उड़ीसा और बिहार में लौटकर वापस आ गये, क्योंकि काम बंद हो गया था। उनका काम रुका नहीं था। सूरत में कुछ लोगों ने डायमंड के क्षेत्र में आत्महत्या भी की थी। इसलिए यह कहना कि अगर आपने कस्टम ड्यूटी कम की है और उसका फायदा उनको मिला, तो जी नहीं। अगर मिला होता, तो मुझे बहुत खुशी होती। लेकिन आप गरीब के नाम पर कारपोरेट हाउस को लाभ पहुंचा रहे हैं। इस देश में नारा है कि गरीबी हटाओ--गरीब को हटा दो। आदमी सब बड़े-बड़े रहेंगे और गरीब हट जायेगा, तो गरीबी हट गयी। इसी तरह से बड़ों को छूट और गरीब को लूट-- यह सिद्धांत आप कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि हमने यह इसलिए दिया, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज घाटे में चल रही थीं या उनको तकलीफ थीं, तो ऐसा भी नहीं है।

वर्ष 2005-06 में जिन कम्पनियों को आपने राजस्व छोड़ा है, देखा है, उनका लाभ 4.8 लाख करोड़ रुपये, वर्ष 2007-08 में यह लाभ 7.11 लाख करोड़ रुपये, वर्ष 2008-09 में, जो ग्लोबल मेल्टडाउन का साल था, यह लाभ 6.65 लाख करोड़ रुपये और वर्ष 2009-10 में यह बढ़कर 8.24 लाख करोड़ रुपये हो गया, तो फिर आप रेवन्यू फोरगो क्यों कर रहे हैं? उनका लाभ बढ़ता जा रहा है। किस चीज की वजह से आप रेवन्यू फोरगो कर रहे हैं? क्यों? वे अगर घाटे में हों, उनको नुकसान हो रहा हो या इंडस्ट्री बंद हो रही हो और आप उन्हें राहत दे रहे हो, तो समझ में आता है। लेकिन यह क्या हो रहा है? ...(व्यवधान) वर्ष 2005-06 से अब तक रेवन्यू फोरगो 21 लाख 25,023 करोड़ रुपये है। It is about half a trillion dollars. ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी की रिपोर्ट के अनुसार इस देश से विदेशी बैंकों में अवैध ढंग से गया धन 462 बिलियन डालर--लगभग हाफ ट्रिलियन है। आपने जो छूट घरानों की दी है, वही विदेशों में काले धन के रूप में जमा हो गयी है। यह क्या हो रहा है? गरीब आदमी का पेट काटकर, खेती को सुखाकर, रिटेल को बंद करके आप काला धन विदेशों में दे रहे हैं। यही वजह है कि आप काला धन विदेशों से लाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपकी नीति के अनुसार वहां गया हुआ है। यह कोई क्रिमिनल कौन्सप्रीरेंसी से नहीं गया। ...(व्यवधान)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Will you yield for a second?

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : Yes, please.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : The figures, which you have quoted of $ 462 billion is from 1948 to 2008 and not from 2005-2006.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : I have quoted for 2009-2010 also for the profit earned by them. आपकी सरकारी नीति के अनुसार काला धन ट्रांसफर हो रहा है। किसी क्रिमिनल एक्टीविटीज की वजह से नहीं हो रहा। यह वह धन है, जो आपकी पालिसी के कारण जा रहा है। ...(व्यवधान) अब कृषि और अन्न का संकट ...(व्यवधान) आप देखें ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांति बनाये रखें।

...(व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : आपकी सरकार...(व्यवधान) पीडीएस लागू नहीं करना चाहती, बल्कि जो पीडीएस है ...(व्यवधान) उसे भी ठीक ढंग से लागू नहीं करना चाहती। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : अब तो कहा जा रहा है कि हम कैश ट्रांसफर करेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि कैश ट्रांसफर इस देश में कैसे हो सकता है? मैक्सिको और ब्राजील के उदाहरण दिये जाते हैं। मुझे मालूम है कि वहां कैसे होता है। लेकिन यहां आप कहते हैं, अभी मैंने अखबार में पढ़ा, पता नहीं कहां तक सही और कहां तक गलत है कि आप सस्ते दाम पर गैस सिलेंडर गरीब आदमी को देंगे। गरीब आदमी गैस सिलेंडर कहां रखेगा, चूल्हा कहां खरीदेगा? गैस सिलेंडर जब यहां से जायेगा, तो वह ब्लैक मार्केट में नहीं जायेगा, इसकी क्या गारंटी है? केरोसिन जा रहा है, तो वह भी जा सकता है। सवाल यह है कि आपका सिस्टम ठीक होना चाहिए, डिलीवरी का सिस्टम ठीक होना चाहिए। ...(व्यवधान) आपने कहा कि हम कैश ट्रांसफर बैंक में कर देंगे, पोस्ट आफिस में कर देंगे। क्या गांवों में आपके इतने बैंक हैं? क्या पोस्ट आफिस के पैसे उन्हें ठीक से मिलते हैं? ...(व्यवधान) आप इन सब पर गहराई से विचार कीजिए कि सिस्टम क्या होगा? कैश ट्रांसफर हो, अगर ठीक ढंग से हो, उसका इंतजाम आप कर सकें, सदन को कनविंस करें, देश को कनविंस करें कि उसमें पिलफ्रेज नहीं होगी। उसमें भारी मात्रा में कदाचार-दुराचार नहीं होगा। यह एक बड़ी बात होगी, अगर आप कर सकें।

मुझे अफसोस है कि उसका बजट में कहीं हिसाब ही नहीं है कि आप उसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी भूखी जनसंख्या हिन्दुस्तान में है, उसको आप अनाज नहीं देना चाहते हैं, खाना नहीं खिलाना चाहते हैं, खास तौर पर जबकि खाद्यान्नों के दाम निरन्तर बढ़ रहे हों और दुनिया भर

में अन्न का संकट हो, चाइना में अन्न का संकट है, उनकी फसल फेल हो गयी है। अमेरिका में अन्न का संकट है, अफ्रीकन देशों में अन्न का संकट है। आज 37 देशों में फूड रॉयट्स हुए हैं और ऐसे हालात हैं कि हैती में, इसी सदन में और राज्य सभा में भी मैंने कहा था, मिट्टी के बिस्किट बच्चों को खिलाए जाते हैं। 37 देश अनाज पैदा नहीं कर पा रहे हैं। क्या आप भारत को भी उसी तरफ ढकेलना चाहते हैं कि आप अनाज पैदा मत करो? क्या आपका ख्याल यह है कि अनाज मॉल में और प्लास्टिक के डिब्बे में मिल जाता है, थैली में मिल जाता है? अनाज खेत में पैदा होता है, किसान पैदा करता है। उसके लिए जमीन, बीज, पानी, खाद आदि का इंतजाम करना पड़ता है, बाजार का इंतजाम करना पड़ता है, किसान को अच्छा दाम मिले, इसका इंतजाम करना पड़ता है। आपका इकोनोमिक सर्वे कहता है कि वर्ष 2009-10 में प्रति व्यक्ति अन्न की उपलब्धता वर्ष 1955 और 1959 के बीच के साल से यानी 50 साल पहले जितना प्रति व्यक्ति अनाज मिलता था, उससे कम है। शर्म आनी चाहिए हमें, इस देश के सांसदों और अधिकारियों को। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता श्रीलंका में हमसे ज्यादा है, नेपाल में ज्यादा है, बांग्लादेश में ज्यादा है। हमारे देश की यह हालत है, जबकि सबसे अधिक उपजाऊ जमीन यहां है, सबसे अधिक लोग खेती में यहां काम करते हैं, सरकार रोज खेती का नाम लेती है, मगर अन्न की उपलब्धता गिर रही है। मैल-न्यूट्रिशन्ड स्टेट बन रही है, एक कुपोषित देश, मैल-न्युट्रिशन्ड पापुलेशन महाशक्ति नहीं बन सकती। एक सशक्त, पेट भरा हुआ, भुजाओं में बल वाला मजदूर भी चाहिए काम करने के लिए। मुझे एक चाइनीज मिला था, वह कहने लगा कि आप हमारे मजदूरों का विरोध कर रहे हैं, आप कर नहीं सकेंगे। मैंने पूछा क्यों? वह बोला कि हमारा हट्टा-कट्टा मजदूर बहुत ज्यादा काम कर सकता है, हिन्दुस्तान का मजदूर मरा-गिरा, कुपोषित है, मैल-न्यूट्रिशन्ड है, वह काम नहीं कर सकता। इस बात पर आप ध्यान दीजिए कि इस देश के अंदर क्या हो रहा है?...(व्यवधान) आपका इकोनोमिक सर्वे कहता है कि पिछले सालों में जितना पूंजी निवेश हुआ है देश की अर्थव्यवस्था में, कृषि में उसका केवल 7.5 प्रतिशत हुआ है और कृषि 58 प्रतिशत लोगों का जीवनयापन कराती है। आप वहां पूंजी निवेश कैसे करेंगे? कैसे बढ़ाएंगे? अगर आप इस कारपोरेट छूट या लूट को उधर न देकर, उसका आधा हिस्सा भी इधर दे दें, तो इस देश के किसान आपका गुण गाएंगे। देश के किसान याद रखेंगे कि प्रणब मुखर्जी नाम का एक वित्त मंत्री हुआ था, जिसने कारपोरेट लूट को बंद करके किसानों को छूट दी।...(व्यवधान) यह बहुत बड़ी बात होगी।...(व्यवधान) मगर मुझे नहीं लगता है कि आपमें हिम्मत है यह काम करने की। मेरे सामने चिदम्बरम जी, जो वर्ष 2004 में वित्त मंत्री थे, का बयान है। आपने कहा था:

"कृषि क्षेत्र में अत्यधिक निवेश की आवश्यकता है। ऐसा निवेश ऋण सक्षम निजी निवेश तथा वर्धित सार्वजनिक निवेश के माध्यम से करना होगा। मेरी मंशा कृषि में निवेश को बढ़ाने हेतु राजकोषीय उपायों के प्रयोग करने की भी होती है"।

लेकिन अब जरा देखें कि आपने किया क्या है। आपने 14744 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह योजना व्यय का मात्र 2.46 प्रतिशत है। वर्ष 2010-11 में यह अनुपात 2.86 प्रतिशत है। इसलिए कृषि का निवेश घट गया है, बढ़ा नहीं है। चिदम्बरम साहब तब से कह रहे हैं, आपके बगल में ही बैठे हैं। इन्हीं का भाषण है, यह भी वित्त मंत्री थे कि इसे बढ़ना चाहिए। हम समझते थे वर्ष 2004 से 2011 आ गया, कम से कम इसे अगर दो गुना या ढाई गुना नहीं, तो ड्योढ़ा बढ़ना ही चाहिए, लेकिन यह घट गया।...(व्यवधान) फिर आप कहते हैं कि कृषि की विकास दर बढ़ाने पर बहुत जोर दिया गया है और इन्द्र भगवान से आपने प्रार्थना की है। इन्द्र भगवान बड़े खतरनाक हैं, जरा से में उनका सिंहासन डोलने लगता है, तो वे अच्छे-अच्छों की तपस्या भंग करा देते हैं, कहीं मेनका भेज देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, चलने नहीं देते हैं। इस देश में पूजा होती है गोवर्धनधारी गोपाल श्रीकृष्ण की, जो पशुपालन और कृषि करते हैं, जिनका भाई बलराम है, जिसके कंधे पर हल है।

यहां हम हलधर की पूजा करते हैं, यहां हम गोपाल कृष्ण की पूजा करते हैं। हमारे देश में इन्द्र भगवान का कोई मंदिर आपको नहीं मिलेगा। हम जानते हैं कि वह खतरनाक चीज हैं। वैसे भी जल का देवता वरुण है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें बोलने दें। बीच में टोका-टाकी ठीक नहीं है।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : आपने 2007 में जो नेशनल फार्म पालिसी इस सदन में रखी थी, उसकी घोर उपेक्षा की है। किसानों को एक सुनिश्चित आय का बंदोबस्त नहीं किया है। कृषि विकास को किसानों की वास्तविक आय की विकास दर से नहीं जोड़ा है। युवा किसानों को खेती को जीवन पद्धति और लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए आकृष्ट नहीं किया गया है। खेती और खेता आधारित उद्योगों का एक इंटीग्रेटिड एक्शन प्लान नहीं है।

मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि कुछ मित्रों ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के आसापास के गांवों का सर्वे किया, एक लाख लोगों से मिलने के बाद एक भी नौजवान नहीं मिला जो कृषि को अपनाना चाहता हो। क्यों! जिस देश में कृषि अर्थव्यवस्था का मूल 58 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हों, वहां का नौजवान खेती में नहीं जाना चाहता। वह उसे जीवन पद्धति के तौर पर नहीं अपनाना चाहता। क्यों, क्योंकि

उसे मालूम है कि प्रणब दा की दृष्टि उधर नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि सरकार की नज़र बड़े औद्योगिक घरानों की तरफ है। उसे मालूम है कि सरकार उसे खेती की तरफ नहीं जाने देना चाहती।

मैं कहना चाहता हूं कि यदि रखें चीन और अमेरिका में बढ़ते हुए अन्न संकट को दोहराते हुए कहना चाहता हूं कि उसे अनदेखा न कीजिए। चिदम्बरम साहब ने अपने बजट भाषण में कहा था कि जल किसी भी सभ्यता की जीवन रेखा होती है। ठीक बात है। हमें चेतावनी दी गई है कि 21वीं शताब्दी में विश्व को सबसे बड़े संकट का सामना जल संकट के रूप में करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने प्रस्ताव किया कृषि से जुड़े सभी जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण तथा पुनर्स्थापना के लिए बड़ी योजना आरम्भ की जाए। चालू वित्त वर्ष के दौरान हम कम से कम पांच जिलों में प्रायोगिक योजनाओं से शुरूआत करेंगे। हम देश के पांच क्षेत्रों में से प्रत्येक में कम से कम एक जिले का चयन करेंगे। कहां हैं वे जिले और कहां हैं वे क्षेत्र? किन निकायों का विकास हुआ है, किन एक्वाबाडीज़ का विकास हुआ है? कौन से तालाब ठीक किए गए हैं और कौन से कुएं ठीक किए गए हैं? जल कहां है, जल का भारी संकट आने वाला है। पीने के पानी का भी और सिंचाई के जल का भी संकट आने वाला है। मुम्बई में अभी आया है कि दो दिन तक पानी नहीं मिलेगा, दिल्ली में मिलना बंद हो गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस बारे में आपने क्या किया है? आप इसके लिए कैसी नीति बनाएंगे?

चिदम्बरम जी का 2004 में बजट भाषण था -

> ''राजीव गांधी पेयजल मिशन को मिशन मोड के रूप में कार्यान्वित करने का इरादा था, परंतु हाल के वर्षों में नए कार्यक्रम उभर कर आए हैं और मूल मिशन को भुला दिया गया है। 75,000 से अधिक निवासियों को अभी भी पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। सरकार का इरादा सभी पेयजल स्कीम्स को राजीव गांधी पेयजल मिशन के अंतर्गत लाने का है।''

इसका जिक्र आपके बजट में नहीं है। पीने के पानी का क्या होगा, सिंचाई के पानी का क्या होगा? इन्द्र भगवान ऊपर से पानी देंगे या नहीं देंगे, उस पर निर्भर न रहें।

मैं आपको बताता हूं, आप देखिए इस मामले में अगर आपको सीखना है तो हमारे देश की परम्परा से सीखिए। हमारे देश की खेती के लिए कहने से पहले मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि फूड प्राइस में जो आप स्पेकुलेशन करते हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग उसे बंद कर दीजिए। मेरे पास एक लेख है देवेन्द्र शर्मा का, जो एक फूड पालिसी एनेलिस्ट हैं। वह लिखते हैं -

Author and columnist Alex Preston wrote in New Statesman in August, 2010:

> "I was a trader at ABN Amro in March, 2007 when the bank launched the first product that allowed retail investors to speculate in rice prices. In 2008, at the height of the food crisis, a marketing

> email went out from ABN pointing out that rice inventories were at an all-time low. Now we are told was the moment to invest in one of the world's most important food crops before prices rose further. And this was at a time when street children in Haiti were eating cakes made of mud, and hundreds of millions across the globe were threatened with starvation. A few months later global prices of rice, wheat and corn touched an all-time high. By early 2008, food riots had taken place in 37 countries while Goldman Sachs was accused of profiteering as millions went hungry, the UN Special Rapporteur on the Right to Food, Olvier De Schutter categorically pointed out to speculation in food prices as the main reason behind the surge in 2008 food prices."

यह आज फिर से वही स्थिति आ रही है। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि आप इससे बचिये। मैं आपको बताओं कि हमारे देश में ईसा से कई शताब्दी पहले कौटिल्य ने क्या कहा था। Kautilya indicated that agriculture should receive policy and administrative support from Government. For production of crop, supply of good seed and other purchases; inputs need to be arranged, assistance have been provided to make available other resources, such as, labour, machinery, implements and bullocks. Contingency plans were made for alternative crops. In case, the monsoon fails or floods occur, irrigation was provided wherever water source existed. Arrangements were made to protect crops, harvest and to safely store them. यह कृषि की इस देश में व्यवस्था थी। वह यह भी कहता है कि the work of the above men shall not suffer on account of any want of ploughs, and necessary implements or bullocks. आज वह फर्टिलाइजर्स, सीड और पानी के तौर पर आ गया है, इलैक्ट्रिक्स सप्लाई के तौर पर आ गया है। Nor shall there be any delay in procuring for them the assistance of blacksmith, carpenters, basket sellers, rope-makers as well as those who catch snakes and similar persons. Any loss in production because of the above persons should invite fine equal to the loss. क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है। ...(व्यवधान) आपने कहा है कि कृषि ऋण को जमा करने पर तीन परसेंट की छूट दी जाएगी यानी 7 परसेंट से घटकर 4 परसेंट हो जाएगी। माननीय वित्त मंत्री जी क्या आपके पास इस बात के आंकड़े हैं? कौन किसान है जो 7 परसेंट पर ऋण ले रहे हैं और वे कितनी बड़ी जोत के आदमी हैं? कौन किसान है जो 7 परसेंट ऋण लेने के लिए तड़फड़ाते रहते हैं और उन्हें ऋण मिलता नहीं

है, उनकी क्या जोत है? किन किसानों ने समय पर वापस किया है? जो बड़ा किसान है और वही 7 परसेंट पर लोन लेता है, समय पर वापस कर देता है और तीन परसेंट की छूट ले लेता है। लेकिन छोटा किसान जो है उसका क्या हाल है? हमें पूरे आंकड़े चाहिए? पिछली बार आपने बड़ा हल्ला मचाया था कि 60 हजार करोड़ किसानों को दे दिया, लेकिन वह सब आपने बैंकों को दिया, किसानों को नहीं दिया, बैंकों का एनपीए कम कर दिया। हम आपसे आंकड़े चाहते हैं।

हम आंकड़े चाहते हैं कि किसानों की आत्महत्या अभी तक बंद क्यों नहीं हुई? माननीय वित्त मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आपकी नीति होनी चाहिए - ऋण मुक्त किसान, रोजगार युक्त ग्रामीण नौजवान, तब होगा भूख मुक्त और समृद्ध हिंदुस्तान। गांव के नौजवान को रोजगार दीजिए, किसान को ऋणमुक्त कीजिए, उसे एक सुनिश्चित आमदनी दीजिए। एक सरकारी कर्मचारी काम करे या न करे उसकी आमदनी, पेंशन, दवाइयां सुनिश्चित है लेकिन एक किसान 24 घंटे 12 महीने काम करे, बीमार हो जाए तो दवाई नहीं है, मर जाए तो कफन नहीं है। आप कैसा किसान पैदा कर रहे हैं, आप उसके साथ क्या व्यवहार करना चाहते हैं। 58 प्रतिशत लोगों के लिए कोई सामाजिक और स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट्स मैं नेशनल रुरल मिशन की देख रहा हूं जो सीएजी ने दी है।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): यह आंकड़ा 58 प्रतिशत नहीं 65 प्रतिशत है।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : मैं तो इन्हीं का आंकड़ा दे रहा हूं। आप देखिये वह क्या कहते हैं। वह रिपोर्ट कहती है कि हैल्थ सेंटर्स के क्या हालात हैं। Bihar – in a PHC, the operation theatre was used as a medical store. While in three PHCs, minor operations were carried out in wards.

> "In Uttar Pradesh, in Banda and Etawah districts, the premises of sub-centres at Baragaon and Akbarpur respectively were used as a cattle shed for villagers. In Bahraich district, three out of four wards of CHC Risia were used as a meeting hall and store for vaccines and one OT was used as a delivery room. In Barabanki district at PHC Suratganj, Leprosy clinic was running while the PHC, Jaswantnagar in Etawah district was under the occupation of the Tel

> In West Bengal, in four districts, the staff quarters of 24 PHCs were in a dilapidated condition and were being used by villagers for storing straw, cow dung cakes, etc."

यह ग्रामीण स्वास्थ्य योजना में है। यह सीएजी की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है। क्या हालात हैं? आप इस रिपोर्ट को पढ़ लीजिए, देख लीजिए, ऐसे पी.एच.सी. बने हैं, जिनमें भूसा रखा जा रहा है। ऐसे पी.एच.सी. बनें हैं, जिनमें पी.डी.एस. की स्कीम का अनाज रखा जा रहा है। यह क्या हो रहा है? आप बार-बार कहते रहिए कि हमने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कार्य किया है। आपके ग्रामीण स्वास्थ्य में आयुर्वेद का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। हमारे देश की यूनानी और होम्योपैथी का जिक्र नहीं है। आप उनको कौन सा पैसा दे रहे हैं और वे क्या उसका उपयोग कर रहे हैं? 10 हजार से ज्यादा आयुर्वेदिक छात्र जो क्वालीफाइड हैं, बी.एम.बी.एस., सैकड़ों की तादाद में यूनानी छात्र, हजारों की तादाद में होम्योपैथी के छात्रों को आप वहां नियुक्त नहीं कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो आप उन्हें एलोपैथी के डॉक्टर से कम तनख्वाह देना चाहते हैं। आपका अब एक नया सिस्टम आया है कि ग्रामीण लोगों के लिए एक नया कोर्स बनाएंगे। सब-स्टैंडर्ड कोर्स बनाएंगे। यह कैसा मज़ाक है। आप क्वालीफाइड लोगों को नियुक्त नहीं करते हैं और क्वैक्स बनाकर, अधूरे लोगों को गांव वालों को देना चाहते हैं। भगवान के वास्ते ग्रामीण स्वास्थ्य के साथ यह मजाक बंद कीजिए, ग्रामीण महिलाओं की प्रसूति के साथ मज़ाक मत कीजिए, उनकी डिलीवरी के साथ मज़ाक मत कीजिए। उनके बच्चों की वैक्सीनेशन एवं सारी चीजों के लिए मजाक बंद कीजिए। आपकी ये कैसी योजनाएं हैं? हम चाहते हैं कि आप इन रिपोर्ट्स को पढ़ा करें। पानी का आपने जिक्र किया। पानी की रिपोर्ट तो और भी मजेदार है। एक्सलरैटिड इरिगेशन बैनीफिट के 44 प्रोजेक्ट हैं, जिनको

बताया गया है कि कम्पलीट हो गए हैं और पैसा भी चला गया है। मैंने 44 फोटोग्राफ्स दिए हैं। आप यह रिपोर्ट ले सकते हैं। यह रिपोर्ट संसद मे पेश हो चुकी है। देखिए कैसे-कैसे लोग हैं और क्या स्थिति है? यह कम्पलीट प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें पानी नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमने किसान को पानी दे दिया है। मैं इन बातों से बहुत दुखी हूं। ऐसा कोई राज्य नहीं है मध्यप्रदेश में भी है, बिहार में भी है, गुजरात में भी है, आंध्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी है। ये दिखाया गया है कि ये कम्प्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं। मैं किताब के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि क्या स्थिति है। क्या ये कम्प्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं, कहीं घास उगी हुई है, कहीं पानी ही नहीं है, बल्कि कई जगह तो ऐसी हैं, जहां प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं कि आपने किसान को पैसा दे दिया, वे उपज बढ़ाएं, खेती बढ़ाएं। वे कैसे उपज और खेती बढ़ा सकते हैं? खेती और उपज बढ़ाने के लिए आप दी गई सिफारिशों को पढ़िए कि सीएजी ने सिंचाई और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के लिए क्या कहा है और मनरेगा के लिए क्या कहा है। आप सोशल सैक्टर के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। आम आदमी को पैसा नहीं जा रहा है। आम आदमी को सुख-सुविधा नहीं मिल रही है। आप सभी स्कीमों को रिस्ट्रक्चर कीजिए। बिना ऐसा किए आप कुछ नहीं कर सकते हैं।

महोदय, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी ने गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं वर्षगांठ के लिए बहुत कुछ कहा है।

15.00 hrs.

लेकिन आप पी.सी.रॉय को क्यों भूल गये? वह भी बंगाल के हैं। उनका भी जन्म 1861 में हुआ था। उन्होंने ही बंगाल कैमिकल की स्थापना की थी। वह कैसे थे, कितने विद्वान थे, इसको भी मैं दो लाइन पढ़कर सुनाता हूं तो आपको पता लगेगा कि आपने किस व्यक्ति की अवहेलना की है। फ्रैन्च वैज्ञानिक वरथोल ने उनके लिए लिखा कि आपने पहली बार हमें यह साबित किया कि एशिया में भी रसायन विज्ञान उतना ही विकसित था जितना कि यूरोप के देशों में बल्कि उसके पहले के समय से था। फ्रेन्च आरकाइव्स में यह लिखा गया है कि आचार्य पी. सी. रॉय का काम रसायन शास्त्र के इतिहास के लिखने में कितना जबर्दस्त है लेकिन आप उनको भूल गये। बंगाल कैमिकल्स को आप पैसा दे रहे हैं लेकिन उसके संस्थापक पी.सी.राय को भूल गये। क्यों? क्योंकि उनको कहा जाएगा कि वह भगवावादी थे, वह दाढ़ी रखते थे, साधारण रूप में रहते थे, भारतीय संस्कृति के उपासक थे और हिन्दू कैमिस्ट्री लिखी थी। उनकी किताब का नाम हिन्दू कैमिस्ट्री था।...(व्यवधान)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: This is not fair. Shri P.C. Roy is definitely a respectable man.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : But you have not done anything for him.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: On what occasion?

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : You have not done anything for his 150th Anniversary…. (*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: It is not correct. We have taken over Bengal Chemicals.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : You might have taken over Bengal Chemicals but what are you doing on his 150th Anniversary?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: That is a different story.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : Why not? That is why I am saying that you do not remember him. Why can you not announce some very strong and very viable 150th Anniversary programme for him? It will give a message to the scientists of India. It will give a message to those who feel proud in the scientific heritage of this country. सवाल इस बात का है जिससे भारत की वैज्ञानिक परम्पराओं में विश्वास बनेगा। हम कितने समय से विज्ञान की साधना करते आ रहे हैं। यह ज्ञान लोगों को पता होना चाहिए। आप बताना चाहते हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा था, फ्रान्स और जर्मनी में क्या हो रहा था। भारत में क्या हो रहा था, यह क्यों नहीं बताना चाहते? भारत के आम आदमी को उसका अभिमान क्यों नहीं देना चाहते?

मालवीय जी के लिए आपने क्या किया? मालवीय जी चार बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। मालवी जी के चित्र आपने यहां लगा रखे हैं। मालवीय जी ने इस देश में ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई थी। आज भी वह सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जहां तक फैकल्टीज का सवाल है, आपने एक छोटी कमेटी बनाई और आपने ऐसी कमेटी बनाई कि मैं वहां का सांसद हूं, मुझे भी उसमें शामिल नहीं किया। मेरी समझ में नहीं आता कि आप क्यों मालवीय जी से परेशान हैं? मालवीय जी भी भारतीय सभ्यता के, हिन्दू सभ्यता के पुजारी थे। ...(व्यवधान) इसलिए जो भारत में, जो हिन्दू संस्कृति में अभिमान रखता हो, उसको काट दो। जो भारत की परम्पराओं के अनुसार चलना चाहता हो, उसे काटो। यह क्या बात आप कर रहे हैं? वोट के लिए आपने गुरुदेव चूंकि नाम वोट के लिए अच्छा है, आपने किया। मैं उसका तो बहुत स्वागत करता हूं लेकिन एएमयू के दो सेंटर्स केवल केरल और बंगाल में इस बार क्यों

खोले? यह मांग तो बहुत पुरानी थी। पिछले साल क्यों नहीं खोले? पैसा आपके पास नहीं है लेकिन आपने ये खोल दिये। केरल में चुनाव होना है, बंगाल में चुनाव होने हैं, इसलिए एएमयू की दो शाखाएं खोल दीं। क्या बात कर रहे हैं?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I did it last year, not this year. I did it last year and this year I have extended it.

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : वही मतलब है। पिछले साल तो आपने चुपके से कुछ किया जिसे नोटिस नहीं किया गया। इस बार आपने हल्ला मचाकर किया ताकि लोग देख लें।

सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि दुनिया भारत के मॉडल की बहुत प्रशंसा करती है। दुनिया करती होगी। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के लिए भी यही कहा गया था कि महान नेता हैं। दुनिया के लोग बोलते हैं, हम भी मानते हैं। लेकिन इस मॉडल को हम क्या करें जिसमें अनऑरगेनाइज्ड लेबर का हिस्सा नहीं है, जिसमें किसान पिस रहा है, जिसमें गरीबी बढ़ रही है, जिसमें डिसपैरिटी बढ़ रही है, जिसमें महंगाई बढ़ रही है, इसलिए इस मॉडल का हम क्या करें क्योंकि 5 या 7 प्रतिशत लोगों के लिए अगर आकाश छूती हुई इमारतें बन रही हैं, अगर दो आदमी के रहने के लिए 27 मंजिल की बिल्डिंग बनने को आप विकास मानते हैं और बाकी 2 कमरों में 27 आदमी न रह पाएं, अगर इसको आप विकास मानते हैं, लेकिन मैं ऐसे विकास से सहमत नहीं हूं।

इस देश के विकास का यह मतलब नहीं है। हम इस मॉडल को अस्वीकार करते हैं। जब तक कोई मॉडल इस देश की बड़ी आबादी के जीवनस्तर को ऊंचा नहीं उठाता, इस देश के असंगठित मजदूरों, किसानों और रिटेल व्यापारियों के जीवन को ठीक नहीं करता, ग्रामीण युवाओं को रोजगार और सुशिक्षित, स्वस्थ जीवन के लिए आशान्वित नहीं करता, देश को अस्वीकार्य है। यह स्वीकार नहीं हो सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश में उबलते हुए आक्रोश को देख लीजिए। वित्त मंत्री जी, शायद यहां बैठे हुए हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ...(व्यवधान) लेकिन मुझे देश के अनेक राज्यों में आज एक आक्रोश दिखाई दे रहा है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान) *

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : इस मॉडल ने अमरीका को तबाह कर दिया, यूरोप को तबाह कर दिया। इस मॉडल से चीन भी बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है, उसने अपने मॉडल में सुधार किया। भारत को अपना

* Not recorded.

मॉडल बनाना चाहिए। भारत के सामने जो आर्थिक विकास के मुद्दे हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए। आप कहना चाहते हैं कि आईएमएफ वर्ल्ड बैंक ही ठीक हैं तो मैंने अभी पढ़कर सुनाया है कि 37 देशों में आज विध्वंस की स्थिति है। आप भारतीय मॉडल बनाएं, भारत की जनता के लिए मॉडल बनाएं तो हम उसका स्वागत करेंगे लेकिन इस वर्तमान मॉडल को देश का आम आदमी कभी स्वीकार नहीं करेगा। मुलायम सिंह जी, आप स्वीकार करेंगे, नहीं करेंगे। आप बताइए स्वीकार करेंगे। अंत में मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि आप भी स्वीकार नहीं करते, आप अंदर से सहमत हैं लेकिन आप लाद देते हैं तो क्या करें? मंत्री जी, आपने आंगनवाड़ियों की मानदेय को बढ़ाया, अच्छा किया है और बढ़ना चाहिए। आप उसे मानदेय ही रखें, आप इसे वेज़ या वेतन न बनाएं। आपने एससी और एसटी बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की स्कीम में कुछ इज़ाफा किया, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन आपने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जो भेदभाव किया है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। आपने लद्दाख को 100 करोड़ रुपए दिए, बहुत अच्छा किया लेकिन जम्मू को सिर्फ 150 करोड़ रुपए क्यों दिए? ...(व्यवधान)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Joshiji, that is the first instalment.

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : आपने जम्मू की आबादी, जनसंख्या और आवश्यकता को देखते हुए सिर्फ 150 करोड़ रुपए दिए? इसलिए क्योंकि वहां इलैक्शन नहीं हैं। ...(व्यवधान) एमपी जम्मू में ज्यादा हैं, आप ही के साथ हैं, आप क्या बात कर रहे हैं?...(व्यवधान)

आखिर में मुझे कहना है कि यह बजट सिवाय बढ़ती हुई गरीबी के, सिवाय लूटे जाने की इजाजत के गरीबों को और कुछ नहीं देता है। मुझे इस बजट में और कोई सराहनीय काम दिखाई नहीं देता है जिसके लिए आप अपने को शाबाशी देना चाहते हैं। यह बजट बड़े आदमियों के लिए, बड़े आदमियों द्वारा और बड़े आदमियों के वास्ते बनाया गया है। इसमें गरीबों का कोई जिक्र नहीं है सिवाय उनकी बढ़ती हुई गरीबी के। मैं इस बजट के तमाम आंकड़ों और तमाम प्रस्तावों से बहुत चिंतित हूं। जैसा मैंने पहले कहा कि आप वित्तीय प्रबंध को ठीक कर सकें तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद दूंगा। लेकिन जो तथ्य हैं, उन्हें देखकर संदेह होता है कि आप इसे पूरा कर सकेंगे।

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज प्रणब दा द्वारा प्रस्तुत सामान्य बजट के समर्थन पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे कई बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आदरणीय जोशी जी के बाद अपना वक्तव्य दे सकूं। वे बड़े पंडित हैं, बहुत विद्वान हैं इसलिए उनके बाद हमें कुछ ऐसी चीजें कहने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है जिनका अपने में कोई मतलब हो। मैं एक बात से जरूर अचंभित था, यह बजट भाषण से संबंधित नहीं है, जोशी जी आदरणीय प्रणब दा की बात पर आपत्ति व्यक्त कर रहे थे और कह रहे थे कि लक्ष्मी जी से हमने भत्ता मांगा है। अरे, जिसने श्री राम से सत्ता मांग ली उसे लक्ष्मी के भत्ते से क्या दिक्कत होनी चाहिए, यह मुझे समझ में नहीं आता। यह अलग बात है इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे।

मैं पहले बजट के उन मूल मुद्दों पर आता हूं, क्योंकि जोशी जी ने शुरू में कहा कि वित्त मंत्री जी ने आंकड़ों के घेर में हम लोगों को फंसाने की कोशिश की, लेकिन कुछ वह भी उस चक्कर में फंस गये। मैं भी उनके बहुत से आंकड़े नहीं समझ पाया, क्योंकि पहली बार जिंदगी में यह सुनाई पड़ा कि रेवेन्यू फॉर ग्रोन और बाहर जो काला धन जाता है, उसमें कोई कनैक्शन होता है। यह इन्होंने इकोनोमिक्स की कोई नई थ्योरी बताई है। आदरणीय चिदम्बरम साहब यहां बैठे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वह भी उसे समझने की कोशिश करें, प्रणवदा भी समझने की कोशिश करें।

अब इन चीजों से अलग बात करते हैं। सबसे पहले जब हम किसी भी बजट का विश्लेषण करते हैं तो जो देश की आंर्थिक स्थिति है, उसका वर्णन करना आवश्यक है। यह ठीक है कि हम लोग कभी उस पर ध्यान देते हैं और कभी नहीं देते हैं। लेकिन किसी भी राज्य सरकार या सरकार की जो एक मूल

15.11 hrs.

(Shri P.C. Chacko in the Chair)

जिम्मेवारी होती है तो वह यह होती है कि हम मूल विकास के रथ को चलायें। उसमें अलग-अलग खंड किस तरह से विकसित होते हैं या नहीं होते हैं, कभी उसमें आचार-विचार होता है, कभी उसमें कुछ कमजोर पड़ते हैं और जहां कमजोर पड़ते हैं, वहां हमें सरकार को सचेत भी करना चाहिए और इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि वह वर्ग या वह खंड भी उसी तरह से विकसित दर पर चले। लेकिन इस दुनिया में पिछले चार-पांच साल की थरथराती हुई अर्थव्यवस्था के बीच एक ऐसी अर्थव्यवस्था, जिसके बारे में भले ही जोशी जी कहते हों कि जिसमें इंडियन मॉडल नहीं है, लेकिन जिस अर्थव्यवस्था को स्थापित करने में, जिसके चरित्र को स्थापित करने में पिछले 10 साल की, 15 साल की हर सरकार ने बराबर का योगदान दिया है। कहीं किसी ने भिन्न मत नहीं रखा है। मैं इस बात को भी यहां रखना चाहता हूं। अगर यह कहना चाहते हैं कि पक्ष-विपक्ष इस अर्थव्यवस्था को अगर अलग करने का कोई तरीका अपनाता है तो उस

थरथराती हुई अर्थव्यवस्था के बीच में, उन सब संकेतों के बीच में कि हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है, उन सब संकेतों के बीच में कि घिरती हुई दुनिया की अर्थव्यवस्था के बीच में हमारे जैसा गरीब देश शायद सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। हमारी इस सरकार ने इस देश के लोगों के साथ काम करते हुए, यहां के मजदूर, यहां के किसान, यहां के हर वर्ग के व्यक्ति को साथ लेते हुए थरथराती हुई अर्थव्यवस्था में 8.6 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त की है। यह अपने आप में भले ही आंकड़ा हो सकता है, लेकिन यह आंकड़ा हमें दिशा-निर्देश भी देता है और यही नहीं इस 8.6 को यदि आप और विखंडित करें तो हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि का होता है, उसमें आज हमने 5.4 प्रतिशत की विकास दर दी है। इसी पर जब पिछले साल विकास दर नहीं दिखाई देती थी या एक या दो प्रतिशत पर हम चलते थे तो सारा सदन एक होकर चिंता व्यक्त करता था और वित्त मंत्री जी से कहता था कि साढ़े नौ प्रतिशत की विकास दर से ज्यादा बेहतर है कि हम चार-पांच प्रतिशत भले ही कृषि में ले आएं। आज हमारी सरकार 8.6 प्रतिशत के साथ-साथ पांच प्रतिशत की विकास दर कृषि में लाई है।

महोदय, जैसे वित्त मंत्री जी ने अपने खुलते हुए पन्नों में कहा कि कहीं तो उसका संबंध, जिन नीतियों पर हम पिछले पांच सालों से चल रहे थे, उसका कुछ न कुछ तो संबंध होगा। आदरणीय जोशी ने खुलते ही 2004 के उस भाषण का वर्णन किया, जो चिदम्बरम साहब ने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम कृषि पर विकास केन्द्रित करेंगे, कृषि के ऋण का हम विस्तार करेंगे, हम इर्रिगेशन प्रोग्राम में पैसा देंगे। जो हमारे जलाशय, तालाब आदि हैं, जो मरते चले जा रहे हैं, उनमें पैसा देंगे। बाद में उन्होंने और बात करते हुए यह भी कहा कि वह तथ्य में कहां हैं। शायद जिस तरीके से उन्होंने उन रिपोर्टों का वर्णन किया कि वे हमें पढ़नी चाहिए, शायद एआईबीपी की या जब चिदम्बरम जी वित्त मंत्री थे तो वह बार-बार वर्णन करते थे कितने जलाशयों को हमने पुनर्जीवित किया। शायद उन रिपोर्टों को उन्होंने पढ़ा होता तो आज वह भी कोट कर देते तो हो सकता है कि आज इस बात की चर्चा करने की मुझे आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इसके लिए हमें वित्त मंत्री जी को साधुवाद देना चाहिए कि 8.6 प्रतिशत इस साल और हमें पूरा विश्वास है कि अगले साल से हम वापिस 9 दशमलव के विकास रथ पर फिर से चढ़ेंगे, जो विकास रथ दुनिया में मंदी होने के कारण हमारे यहां रुका था।

मुझे याद है इसी सदन में तीन साल पहले जब दुनिया की आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा रही थी और यहां चर्चा चल रही थी, तब कुछ और सांसद यहां पर थे। आदरणीय मुलायम सिंह जी यहां नहीं थे, लेकिन और साथीगण यहां मौजूद थे और सबने इस बात के लिए हमें सचेत किया था कि हम लोग गलत कांफीडैन्स में बैठे हैं, दुनिया की अर्थव्यवस्था में यह देश चरमरा कर इतनी बुरी तरह से गिरेगा कि इस देश की नीतियां उसे संभाल नहीं पायेंगी। मेरे ख्याल से सारे संकेतों के बीच इस देश के प्रधान मंत्री और हमारी

सरकार की नीति और हमारे मंत्रियों ने जिस तटस्थता से इस देश की अर्थव्यवस्था की रक्षा की है, मेरे ख्याल से पूरे सदन को उन्हें धन्यवाद देना चाहिए और उनका साधुवाद देना चाहिए।

महोदय, आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक्सपोर्ट्स के बढ़ते हुए तरीकों के बारे में बताया है। कुछ ऐसे आंकड़े भी बतायें हैं, जिनका थोड़ा सा मैं उल्लेख भी करना चाहूंगा, वैसे मैं चाहता नहीं हूं कि आंकड़ों में हमारा भाषण दबे, लेकिन इसकी एक व्याख्या करने की आवश्यकता होती है।

आज हमारा टैक्स रेवेन्यू पिछले वर्ष के मुकाबले 25 परसेंट के करीब बढ़ा है। इसके कारण आज हम दो लाख करोड़ रूपये के करीब राज्यों को दे पाये हैं। यह मैं खास इस कारण से कहना चाहता हूं कि जब भी कभी राज्यों में राजनीतिक चर्चाएं होती हैं और पक्ष-विपक्ष की कुछ बातें होती हैं तो अकसर, खासकर वे राज्य सरकारें, जिनमें यूपीए के या उसके घटक दल के लोग राज्य नहीं करते हैं, उनसे कहा जाता है कि अगर भारत सरकार ने हमें पैसा दे दिया तो कौन सा अहसान कर दिया। यह तो वित्तीय कमीशन है, वह बांटता है। मैं मानता हूं कि कोई अहसान नहीं करते हैं, लेकिन अगर साल दर साल आपको दिया हुआ पैसा बढ़ रहा है तो वह इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इस सरकार ने विकास दिया है और कर ज्यादा इकट्ठा किया है। अगर पिछले साल 13, 300 करोड़ रूपया मिलता था तो आज 13,350 करोड़ रूपया मिल रहा है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कोई किसी पर अहसान करता है, लेकिन भारत सरकार न केवल अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन मुस्तैदी से करती है, बल्कि इस तरह से करती है कि वह अपने विकास के लिए तो है ही, उन राज्यों में भी पैसा दे, जहां की राज्य सरकारें भले ही हर दिन भारत सरकार को कोसती हों। हम उसमें कभी पीछे नहीं हटते हैं और कोशिश करते हैं साल दर साल राज्य सरकारों को उनके हक का पैसा हम अपनी मेहनत से पूरा करें। इसीलिए राज्य सरकारों को दिया जाने वाला पैसा आज पिछले वर्ष की बनिस्पत 23 प्रतिशत बढ़ा है। आज 2 लाख 1 हजार 773 करोड़ के करीब रूपया राज्य सरकारों को बांटा गया है। फिजिकल डैफीसिट की बात करते हैं, जोशी जी ने बखूबी बताया कि 35 या 50 हजार करोड़ के करीब हमें 3जी के लाइसेंस की फीस के बारे में जानकारी दी जाये और उस कारण से पूरा का पूरा घाटा 5.5 से घटकर 5.1 प्रतिशत के करीब हो गया है।

महोदय, मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूं कि अगर जोशी जी इन्हीं आंकड़ों को और ध्यान से देखेंगे तो पायेंगे कि 35 हजार करोड़ के करीब तो हमने पहले ही एस्टीमेट कर रखा था कि वह इससे मिलेगा और उससे कुछ ही ज्यादा पैसा हमें मिला है। जो हमारा असली में 5.5 परसेंट से घटकर 5.1 परसेंट तक डैफीसिट कम हुआ है, उसमें मुख्य कारण वे हैं, जो टैक्स बायोन्सी की बात की जाती है। हर क्षेत्र में कहीं 15 हजार करोड़, कहीं 20 हजार करोड़, कहीं 8 हजार करोड़ के करीब भारत सरकार ज्यादा इकट्ठा कर पायी है। केवल यही बात नहीं है कि आज यह सारा का सारा पैसा हमने निकालकर अपने घाटे को कम

करने में लगाया है। मैं सांसदों को बताना चाहता हूं कि मूल इन्फ्रास्ट्रक्चर के इलाके में हमने जितना पिछले साल बजट किया था, उस पर इस साल इस सरकार ने 30 हजार करोड़ रूपया ज्यादा धन इकट्ठा करके निवेश किया है। उसके बावजूद घाटा कम करने में हम सफल हुए हैं। घाटा कम करने का एक कारण यह होता है, हमें अर्थशास्त्री बताते हैं कि अगर आप घाटा कम रखेंगे तो उसका असर अंततः इंफ्लेशन पर भी पड़ता है। हम सब जानते हैं कि इस समय हमारे, हमारे देश और हमारे लोगों के सामने अगर शायद सबसे बड़ी चुनौती है तो वह बढ़ते हुए इंफ्लेशन की है। जो अब जरूर पिछले कुछ महीनों में कम हुआ है, लेकिन उसका एक राक्षस स्वरूप अभी भी बहुत बुरे तरीके से हमारे सामने है। मैं इंफ्लेशन कंट्रोल की बात जरूर कहना चाहता हूं क्योंकि बार-बार यह बात कही जाती है कि बजट इस पर खामोशी साधे हुए था। इसमें उन बातों का वर्णन नहीं किया गया जो आगे चलकर महंगाई की दर को कम सकती हैं। यह बात निरर्थक है। अगर आप ध्यान से वित्त मंत्री जी के पैसेजेज को बार-बार पढ़ेंगे, वित्त मंत्री जी के भाषण के साथ-साथ जो बाकी कागज हमें दिये गये हैं, अगर आप उन्हें धीरे-धीरे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि विशेषकर चार इलाकों में हमारी सरकार ने कोशिश की है। सबसे पहले मॉनीटरी पॉलिसी पर लांग टर्म इम्पैक्ट के लिए उन्होंने इम्पैक्ट किया है, मैं उसकी पेचीदगियों में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें लोगों को बहुत ज्यादा रूचि होगी, लेकिन उसका एक या दो परसेंट के करीब अंततः इंफ्लेशन को कम करने में असर पड़ेगा। आज कृषि में जो बूस्ट दी गयी है, ऐसा क्यों है कि सामान्यतः पिछले आठ या दस साल से हमारे यहां जो दलहन का उत्पादन होता था, वह प्लैटो की तरह चलता चला जा रहा था। पिछले एक, डेढ़ साल के बाद दलहन का उत्पादन पहली बार पिछले दस-बारह सालों में हिन्दुस्तान में बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कृषि में पैसा निवेश किया गया है। वित्त मंत्री जी का जो छह हजार गावों में दलहन को बढ़ाने के लिए विशेष पैसा देने का आयोजन था, उससे भी इसमें कहीं न कहीं अंतर आया है, एक फर्क पड़ा है। आज ऑयल सीड्स में शायद अगर मेरे आंकड़े गलत न हों तो पहले शायद हम लोग 246 लाख टन बनाते थे, आज 274 लाख टन के करीब हमारी प्रोडक्शन बढ़ी है। ऑयल सीड्स में इसलिए आवश्यकता है क्योंकि आज भी हम अपना 50 परसेंट के करीब तिलहन बाहर से आयात करके लाते हैं, इसलिए उसका महंगाई पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आज इन्होंने एग्रीकल्चर में बूस्ट करके वेयरहाउसिंग की बात की है। वर्ष 2007 में इस देश में केवल 1.7 लाख टन की वेयरहाउसिंग की कैपेसिटी थी और तब एक लाख सात हजार टन के करीब हमारे एफसीआई के गोदामों में खाद्य जाता था। आज वह चार लाख 70 हजार टन के करीब है। उसे अगर हम चाहते हैं कि किसी भी माध्यम से चाहे आने वाले नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल के बाद उसे बांटना पड़े, लेकिन उसे रखने के लिए अगर हम वेयरहाउसिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ायेंगे तो वह कहां जायेगा?

बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि 2000 से पहले की सरकारों को हो सकता है कि ज्ञात न हो या यह बात उनके ज़हन में न आई हो, या हो सकता है इस तरफ उनकी कोई रुचि ही न रही हो, लेकिन किसी सरकार ने भी इस वेयरहाउसिंग कैपेसिटी को हिन्दुस्तान में बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। पिछले तीन-चार सालों में यह यूपीए की ही सरकार है जिसके समय में आज डेढ़ लाख मीट्रिक टन क्षमता की वेयरहाउसिंग बन गई है, 40 हज़ार टन रूरल गोदामों में बन रही है और बाकी अन्य कार्यक्रमों में बन रही है। मुझे उम्मीद है कि अगले साल तक दो लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की वेयरहाउसिंग कैपेसिटी हमारे पास बढ़ेगी। यह सुनने में बड़ी एक्सप्लोज़िव चीज़ लगती है, लेकिन जब उसका असर आता है तो उसका असर खाद्यान्न सुरक्षा में और किसान जहाँ भंडारण कर सकता है, उस पर सही सही फील्ड पर दिखेगा। एक और बहुत बड़ी बात उन्होंने डिस्ट्रिब्यूशन के नैटवर्क को बदलने की बात कही है। बड़े विस्तार से जोशी जी ने बात कही कि एफडीआई को आप रीटेल में नहीं लाइए। मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाऊँगा। इतना कहूँगा कि वित्त मंत्री जी और बाकी सरकार जब भी इस पर कोई कदम ले तो बड़े ध्यान से ले। लेकिन एक चीज़ के बारे में मेरे दिल में ज़रूर दर्द हुआ। राजनीति से पहले जिन क्षेत्रों में मैं काम करता था, वहाँ जब रेडीमेड गारमैन्ट की फैक्ट्री आई तो किसी ने जुलाहे के बारे में भाषण संसद में क्यों नहीं दिया, यह मैं संसद में पूछना चाहता हूँ। जब इसी देश में और ऐसी चीज़ें आने लगीं कि हमारा इंडिया गेट पर जो पॉपकॉर्न बेचने वाला था, वह बाहर हो गया क्योंकि पोटैटो चिप्स आने लगे, तब संसद में इस तरह की चर्चा क्यों नहीं हुई, या एनडीए के छः साल के राज में उसको विपरीत क्यों नहीं कर दिया गया कि वापस वह आदमी आकर अपना काम कर सके। मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा, लेकिन अगर व्यवस्था बदलती है तो व्यवस्था को बदलने के लिए कुछ कारगर कदम लोग उठाते हैं। मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि ऐसे उदाहरण इस देश में हुए हैं। मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करता हूँ जो मुझे हिन्दुस्तान के मध्य प्रदेश के एक आदमी ने मुझे बताई थी। मैं उसके साथ एक बस स्टॉप पर बैठा हुआ था और वह आदमी मूँगफली बेच रहा था। यह बात करीब 1998-99 की होगी और एक दौर चल रहा था कि बाहर से पोटैटो चिप्स की कंपनियाँ आ रही थीं, बाहर से नए-नए कपड़े बनाने की कंपनियाँ आ रही थीं, नई-नई गाड़ियों का निवेश हो रहा था और उन वर्षों में एक उदीयमान भारत की, शाइनिंग भारत की नींव रखी जा रही थी। उस समय उस आदमी ने मुझसे कहा कि साहब आपकी जेब में पाँच रुपये हैं? मैंने कहा कि हैं। वह कहने लगा कि मैं आपकी जेब से पाँच रुपये निकाल लूँ तो उसको क्या कहा जाएगा? मैंने कहा चोरी कहा जाएगा। वह कहने लगा कि मेरे पास बचपन से सिर्फ मूँगफली बेचने का यह कारोबार है। मेरे माँ-बाप ने, प्रकृति ने, भगवान ने मुझे केवल मूँगफली बेचने वाला बनाया है। मैंने कहा कि वह तो बनाया है। वह कहने लगा कि यदि कोई विदेशी कंपनी आकर मेरी मूँगफली का कारोबार मुझसे ले जाती है, तो उसे तो चोरी नहीं कहा

जाता, उसे विकास कहा जाता है। मैं केवल यह कह रहा हूँ कि उस परिभाषा से भी हम थोड़ा बचें। कहीं न कहीं हमारी आर्थिक नीतियाँ उन चीज़ों पर असर करेंगी जिससे लोगों के रोज़गार पर असर हो तो मैं एफडीआई की बात नहीं कर रहा। सारे रोज़गारों पर मुझे इसलिए दर्द होता है कि शायद इससे पहले हमारे वित्त प्रबंधन करने वाले तमाम मंत्रियों की रीटेल पर आवाज़ है जिसको सुनने की उन्होंने हिम्मत की। शायद उस गरीब की भी हिम्मत की होती, तो जो थोड़े बहुत दुष्परिणाम आर्थिक विकास के हुए, शायद वे आज हमें देखने को न मिलते। अब मैं आता हूँ कि सरकार कहाँ से पैसे लाई, कैसे पैसे लाई, इसके बारे में मैंने कहा है। उसके निवेश की भी बहुत आवश्यकता होती है।

आज हम लोग कृषि पर कितना खर्च कर रहे हैं? जोशी जी ने कहा कि कृषि में बखूबी पूरा खर्च नहीं हो रहा है। वह खर्च कहाँ किया जा रहा है, वह सबसे आवश्यक बात होती है। क्योंकि राज्यों पर भी यह बात निर्भर है कि एग्रीकल्चर में वह क्या स्पैन्डिंग करे। पिछले साल अगर हम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर 6700 करोड़ रुपये के करीब खर्च कर रहे थे तो इस साल वित्त मंत्री जी ने 7760 करोड़ रुपये के करीब इसमें पैसा दिया है। उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ों पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया है, उसका मैं विशेष उल्लेख करना चाहता हूँ। पिछली बार जब उन्होंने कहा था कि हिन्दुस्तान के पूर्वी अंचलों में हरित क्रांति का कभी असर नहीं हुआ, मैं एक छोटे पैसे से उसकी शुरूआत करता हूँ तो कुछ लोग हँसे भी थे इस संसद में इतने कम पैसे से शुरूआत हो रही है। उन्होंने कहा था कि यह शुरूआत है, आगे आगे देखिये। उस शुरूआत को, उस पहल को वित्त मंत्री जी ने आगे बढ़ाते हुए और अधिक पैसा ईस्टर्न स्टेट्स में ग्रीन रिवॉल्यूशन को बढ़ाने का दिया है। मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और आशा करूँगा कि जिस तरह से हरित क्रांति ने पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दक्षिण हिन्दुस्तान के कुछ राज्यों और जिलों का चेहरा बदला है, वहीं पूर्वी हिन्दुस्तान में कुछ बहुत गरीब इलाके हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके पास कृषि की क्षमता तो बहुत है लेकिन क्षमता पूर्ण करने के लिए साधन नहीं हैं। इस नयी हरित क्रांति से उनको असर पड़ेगा।

मैंने आपसे दलहन की बात कही थी कि छह हजार गांव प्रोत्साहित किए गए हैं। इस बारे में और ज्यादा असर डालने की जरूरत है। आप को यह जानकर खुशी होगी, जो मैंने कहा था कि 135, 140, 145 लाख टन की खरीद का जो प्लेटो बना हुआ था, उसे हमारे किसानों ने अपनी मेहनत से और हमारी सरकारों के थोड़े-बहुत योगदान से ब्रेक किया और पिछले साल 167 लाख टन के करीब दलहन का उत्पादन उन लोगों ने किया है। आज यह छोटी पहल आगे जाकर एक सकारात्मक रूप लेगी।

महोदय, ऑयल सीड्स और ऑयल पॉम पर एक नई योजना की घोषणा की गई है। एक जमाना था जब पामोलीन ऑयल बाहर से आता था और बहुत से लोग इसको खाने से परहेज करते थे, लेकिन अब वह समय चला गया है। आजकल यह तेल घर-घर में, रेस्टोरेंट्स और छोटे ढाबों में जाता है। इसका हम

स्वयं उत्पादन शुरू करेंगे। इससे तीन लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी होगी। इससे हमारी तिलहन की कीमतों पर असर पड़ेगा।

महोदय, मंत्री जी ने वैजीटेबल क्लस्टर्स की बात की है। इसकी शुरूआत इन्होंने मेट्रो सिटीज़ से की है, क्योंकि शहरों पर सब्जी की कीमतों का सबसे ज्यादा असर पड़ता है। उसके साथ-साथ मैं तीन-चार कार्यक्रमों का भी उल्लेख करना चाहूंगा। हमारे किसानों को कहा जाता है कि तुम जो रागी, ज्वार और बाजरा बोते हैं, वह देश हित में नहीं है। आप तो केवल धान या गेहूं लगाइए क्योंकि खाद्य सुरक्षा इनसे होगी। हमारे पुराने कृषि के पंडित कहते थे कि इन पुराने अनाजों को नहीं हटाया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत से ऐसे मिनरल्स और विटामिन्स हैं, जो शायद इन नये खाद्यान्नों में हमें नहीं मिलेंगे। लेकिन हरित क्रांति के बाद इन मिलैट्स के बारे में इस तरह की बात इस देश में फैलायी गई थी। मैं वित्त मंत्री जी के भाषण का स्वागत करता हूं जिन्होंने कहा है कि इन अनाजों के पुनर्जीवन की आवश्यकता है। मेरा वित्त मंत्री जी से एक छोटा सा निवेदन है कि राज्यों में कृषि विभाग 30 साल से ज्वार और बाजरा का तिरस्कार करते आ रहे हैं, यदि आप इसको चलाने की कोई पद्धति बनाते हैं तो उन साइंटिस्टों की पद्धति से अलग कोई पद्धति बनाइए, क्योंकि जिन लोगों ने इसको तिरस्कृत समझा है, शायद वे इनका विकास नहीं कर पाएंगे। आपने प्रोटीन सप्लीमेंट में एनीमल फीड की बात की है। फॉडर डेवलपमेंट का कार्यक्रम चल रहा है। कृषि विशेषज्ञों से बात करने पर वे बताते हैं कि आने वाले समय में सबसे बड़ी समस्या जानवरों के चारे और अनाज के बीच होगी। वित्त मंत्री जी ने 25 हजार गांवों में फॉडर डेवलमेंट की बात की है। यदि आप इसको पायलट रूप में ले रहे हैं तो ठीक नहीं है, अन्यथा इस तरह का कार्यक्रम 6 लाख गांवों में चलना चाहिए। ऑर्गेनिक कृषि की काफी दिनों से बात चल रही थी। लेकिन स्पैसीफिकली वित्त मंत्री जी इसे स्कीम के रूप में लेकर आए हैं, जो कि स्वागत योग्य है। मुझे इस बात की खुशी है कि देश का एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनिक कृषि को आज महत्वपूर्ण समझ रहा है। आज से 10-15 साल पहले जैविक कृषि की बात करने वाले पर लोग हंसते थे, उसे रूढ़िवादी व्यक्ति कहते थे। मैं मानता हूं कि आधुनिक कृषि ने इस देश में काम किया है। इस देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया। लेकिन उसके कारण हम पारम्परिक कृषि को भूल गए थे और उसको नीचे दिखाने की प्रवृत्ति हमारे यहां बन गई थी। आज उसी के दुष्परिणाम हैं कि भिण्डी में कैमिकल मिलता है, इसके कारण हम सेब नहीं खा पाते हैं। जैविक कृषि के प्रोत्साहन से हम एक बैलेंस और सस्टैनेबल कृषि के ग्रोथ की ओर बढ़ सकेंगे।

एग्रीकल्चर क्रेडिट की जो बात बताई है, जोशी जी अभी यहां बैठे नहीं हैं, जोशी जी पूछ रहे थे कि आपने जो यह क्रेडिट बढ़ाया है, यह किस के लिए है। आज जो 4,75,000 करोड़ के क्रेडिट की सीमा बांधी गई है कि इतनी कम से कम ले जानी चाहिए, जोशी जी, उसमें अगर दो शब्द और पढ़ लेते तो उसमें साफ

अंकित था कि यह स्माल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए किया जाता है। स्माल और मार्जिनल फार्मर्स की जमीन पर क्या परिभाषा है, जोशी जी इस बात को जानते हैं या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे कम से कम या यहां जो सांसद बैठे हुए हैं, उन्हें पता चलेगा कि यह जो फोकस था, ये उन कृषकों के लिए है, जो छोटी जमीनों पर काम करते हैं। आज नाबार्ड की री-स्ट्रेंथनिंग की बात पर बहुत बढ़िया कहा गया, हम सब जानते हैं कि नाबार्ड का जितना भी काम रहा है, सकारात्मक रहा है। आज अगर नबार्ड को दस हजार करोड़ रुपया वित्त मंत्री जी ने ज्यादा दिया है तो उस सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए दिया है, जिसने पिछले बीस सालों में अपनी मेहनत से हमारे उन बैंकों को, जो प्रॉयरटी सैक्टर लैंडिंग में न पड़ता हों, उनकी तरफ देखते तक नहीं थे। उन नाबार्ड के अधिकारियों ने और उस संस्था ने धीरे-धीरे प्रोत्साहित करके कृषि और एनिमल हसबैंड्री में क्रेडिट देने की आदत जो बैंकों को डाली है, उसमें उसने सराहनीय कदम रखा है। उसके लिए मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं, मैं इसमें एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा कि एफसीआई की काफी साल पहले, जब चिदम्बरम साहब वित्त मंत्री थे तो उस समय एफसीआई के री-स्ट्रक्चरिंग की बात की गई थी। पिछले चार-पांच सालों से मैं देख रहा हूं कि एफसीआई के री-डेवलपमेंट या री-स्ट्रक्चरिंग के प्रॉयरटी की जो बात थी, वह कहीं न कहीं चर्चा से बाहर चली गई। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उस पर दोबारा फोकस की बात करें। वित्त मंत्री जी ने यह भी कहा है कि एपीएमसी के एक्ट को राज्यों में मोडिफाई करना चाहिए, उनमें शायद एपीएमसी के एक्ट को मोडिफाई करने का राज्यों की तरफ से जो काम आना चाहिए था, वह नहीं आया है। मुझे मालूम है कि शायद पूरा सदन उसमें समर्थन करेगा। हम सब को मिल कर अपने-अपने राज्यों में अपनी-अपनी सरकारों से निवेदन करना चाहिए कि एपीएमसी एक्ट में जो बदलाव लाने की आवश्यकता है, उसे लाएं। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में हमें जो आज दिक्कतें मिल रही हैं, शायद आगे चल कर वे दिक्कतें कम हों। इन्फ्रास्ट्रक्चर के बूस्ट की बात आती है, पिछले साल की बनिस्पत आज 23 परसैंट के करीब कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग में इस बजट में ज्यादा पैसा दिया गया है और 2,14,000 करोड़ के करीब आज हम लोग इसमें ज्यादा पैसा निवेश कर रहे हैं। यह बात भी बहुत सराहनीय है कि कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर में जो फंडिंग है, आज प्लॉन एक्सपेंडीचर का 49 परसैंट के करीब आता है। आज 50 परसैंट के करीब पैसा, इस देश की जो मूलभूत संरचना है, उसे सुदृढ़ करने में और नये निर्माण करने में प्लान में हम लोगों ने खर्च किया है। जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूवल मिशन की बात वित्त मंत्री जी ने की है। उसमें उन्होंने दिल्ली मेट्रो की बात की। मैं स्वयं उस इलाके से आता हूं, इसलिए मैं उस चीज का विशेष स्वागत करूंगा। लेकिन मैं वित्त मंत्री जी से एक आग्रह जरूर करूंगा कि वे अपने द्वारा शहरी विकास मंत्री जी को भी बताएं कि मेट्रो

कनेक्टिविटी को हम केवल बड़े शहरों की मेट्रो से न जोड़ें। आज जो हमारे छोटे एवं मध्यम वर्ग के शहर हैं, वे सब के सब आज से दस साल बाद मेट्रो की शेप ले लेंगे। आप चाहे कानपुर, नागपुर या सूरत की बात करें, ये सब आज उस स्थिति पर हैं, दस-15 साल के बाद कोई दिल्ली, मुंबई और पुना का रूप ले लेगा। तब हम संघर्ष कर रहे होंगे कि इन बिगड़े हुए शहरों को हम किस तरीके से सुधार सकें। अपने प्रयासों से इन जगहों पर भी, जवाहरलाल नेहरू अरबन रिन्यूवल मिशन के अंदर चाहे हाउसिंग की बात हो या उनके म्युनिसिपल कार्पोरेशंस के रिफार्म की बात हो या मेट्रो लाइंस के प्लानिंग की बात हो, ये कम से कम आज से कर दें तो कल उन जमीनों पर, जहां आप न्यू हाउसिंग एवं न्यू इन्वेस्टमेंट्स प्लान करेंगे, शहर के लोगों को भी पता रहेगा कि नये आने वाले हमारे शहरों का क्या स्वरूप होता है। इसलिए नये आने वाले शहरों के समझे और जाने हुए स्वरूप के साथ-साथ वे अपनी जिन्दगियों को जोड़ेंगे। रोज जो बात होती है कि कभी कालोनियां एवं कभी झुग्गियां टूट रही हैं तथा कभी इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए जगह नहीं मिल रही है, कम से कम आगे ये दिक्कत नहीं होगी। जो आदमी जानबूझ कर गलत काम करता है, उसके लिए तो हमेशा पुलिस एवं अन्य कई चीजें हैं, जो उसे रोक सकती हैं। आज सोशल सैक्टर के फंडिंग की बात होती है और इसमें इनक्लुसिव ग्रोथ की बात कही गई है। इसमें मैं चाहता हूं कि सदन और हम लोग विशेष मंत्री जी का स्वागत करें। राइट टू एजुकेशन या राइट टू वर्क की बात हो रही है। उसमें यह पहला वर्ष है, जब हमने राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया है और पहले वर्ष के आते-आते हमारे वित्त मंत्री जी ने शिक्षा विभाग को दस हजार करोड़ रुपए एडिशनल देने की बात की है, जो 24 परसैंट के करीब पिछले साल से ज्यादा हैं। बार-बार जो चीज कही जाती थी कि राइट टू एजुकेशन के लिए आप फंड कहां से लाएंगे। वित्त मंत्री जी ने यह दर्शाया है कि हमारी राजनीतिक प्रॉयरटीस हैं।

सभापति महोदय, जब पैसा लगाने की बात आती है, वहां सरकार बढ़-चढ़ कर उन प्रॉयर्टीज में पैसा अवश्य लाकर देती है। एम.जी.एन.आर.जी. की बात कही है, जो कहा गया है कि उसे सी.पी.आई.एल. से जोड़ा जाएगा, कंजूमर प्राइस इंडैक्स और एग्रीकल्चर्ल लेबर्स को आपस में जोड़ने की जो बात कही गई है। मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया में ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि किसी भी सरकारी कार्यक्रम को कंजूमर प्राइस इंडैक्स के साथ जोड़ा गया है। वैसे हमेशा होलसेल प्राइस इंडैक्स के साथ जोड़ा जाता है। मुझे यह उम्मीद है कि सी.पी.आई.एल. से जोड़ने के बाद, बार-बार हमारी जो चर्चा होती थी या विवाद होता था कि हमारे पास जो बेसिक रेट्स मनरेगा के अन्दर होने चाहिए वह दुविधा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और जो हमारे लेबरर्स हैं, उन्हें न्यायोचित पैसा जरूर मिल पाएगा।

महोदय, भारत निर्माण में पैसा निवेश करने की बात कही गई है। आने वाले इस वर्ष में लगभग 58 हजार करोड़ रुपए हम भारत निर्माण योजना में देंगे। इसमें पी.एम.जी.एस.वाई. है, इसमें ए.आई.बी.पी. है, इसमें राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना की बात है, इसमें मनरेगा की बात है। इसमें मैं एक-दो बात जरूर जोड़ना चाहूंगा। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का हर राज्य में अलग-अलग तरह का अनुभव है। मूलतः देखें, तो अनुभव अच्छा रहा है, लेकिन मैं इस माध्यम से राज्य सरकारों से भी विनम्रता से अपील करना चाहूंगा कि वे लोग भी राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्दर जो फेसिलिटीज दी जा रही हैं, उससे ऊपर जाकर काम करें। अगर आपको भारत सरकार की ओर से गांव तक बिजली ले जाने या बस्ती के प्रत्येक घर में एक बल्ब देने के लिए पैसा मिल रहा है, तो वह तो आप करें, लेकिन अपने संसाधनों से इससे और आगे जाकर लोगों को बिजली पहुंचाने की कोशिश करें। इस काम में सरकारें अपने आपको सकारात्मक रूप में जोड़ेंगी, तो राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना को वहां तक पहुंचाने की जो व्यवस्था है, उससे आगे जोड़ कर, दोनों सरकारें, राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर इस देश की जनता की बेहतर सेवा कर पाएंगी।

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): भारत सरकार की ओर से राज्य सरकारों को पैसा नहीं जा रहा है।

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): महोदय, वह अलग बात है। इस समय मैं बजट में पैसा देने की बात कर रहा हूं। हर राज्य का अलग अनुभव हो सकता है। ...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की ओर से पिछले दो वर्षों से उत्तर प्रदेश को एक पैसा भी नहीं गया है। ...(व्यवधान)

श्री सन्दीप दीक्षित : शैलेन्द्र जी, वह अलग बात है। मैं उसमें नहीं पड़ना चाहता हूं। सभी साथी वहीं बैठे हुए हैं।

महोदय, आज स्किल्ड डैवलपमेंट की बात कही गई है, हायर एजूकेशन संस्थाओं की बात कही है। जोशी जी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी के दो केन्द्र खोलने के लिए अपनी टिप्पणी करते समय, जो कम से कम बाकी संस्थाएं थीं, जिनके लिए पैसा दिया जा रहा है, उन पर पता नहीं क्यों टिप्पणी कर दी। मैं इस बात से अचम्भित हूं कि उन्होंने यह कहा, चूंकि इस साल कहीं चुनाव था, इसलिए हम किसी चीज को ज्यादा जोर-शोर से कह रहे हैं। पहली बार मैंने सुना है, हो सकता है कि उनकी आदत रही हो कि जिस साल चुनाव हो, उस साल बिलकुल ही नहीं बोलेंगे, बाकी साल बोला करेंगे? हो सकता है कि राजनीति में यह एक नई सीख हो? हमने तो यह सोचा था कि चुनाव वर्ष ही ऐसा एक वर्ष आता है जब हम पांच साल का व्याख्यान जनता के सामने करते हैं। जनता हमें खाली वोट नहीं देती है। जब कुछ देते हैं, तब वह देखती है कि इस क्या इस व्यक्ति को हमें दुबारा मौका देना चाहिए? मैं तो गर्व से कहता हूं कि अगर हम अपनी एचीवमेंट्स को नहीं कहेंगे, तो कोई और नहीं कहेगा। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी बात कहें और हमने किसी के सामने क्या कहा है, इस बारे में हम जनता के बीच में जाकर बेहिचक अपनी बात को कहें।

महोदय, अब स्वास्थ्य की जहां तक बात आती है, मैं बताना चाहता हूं कि इस मद में यहां से 20 परसेंट पैसा बढ़ाया गया है। जोशी जी ने जो हैल्थ मिशन की रिपोर्ट पढ़ी, मुझे पता नहीं, रिपोर्ट में उन्हें केवल वही राज्य मिले, जिसमें कहीं भी यू.पी.ए. के किसी राज्य की अथवा उसके किसी घटक की बात नहीं कही। उन्होंने बंगाल की बात कही। उनके बगल में, उनके साथी बैठे हैं, उन्होंने बिहार की बात कही, उन्होंने उत्तर प्रदेश की बात कही और वहां की चरमराती अर्थव्यवस्था की बात कही। मैं तो यही जानना चाहता हूं कि भारत सरकार से गए हुए पैसे का दुरुपयोग क्या उन्हीं राज्यों में हो रहा है, जहां एन.डी.ए. की सरकार है या पूरे हिन्दुस्तान में हो रहा है, यह मुझे उनकी रिपोर्ट से पता नहीं लगा। हो सकता है कि उन्होंने कुछेक पैराग्राफ पढ़े हों, क्योंकि सिलैक्टिव रीडिंग उनकी पूरी बजट स्पीच का एक हिस्सा था कि कुछ-कुछ अंश निकाल कर पढ़ लो, तो बेध्यानी में उन्होंने शायद वे अंश पढ़ लिए, जो अन्ततः उनके लिए ठीक नहीं पड़ते थे, लेकिन वह अलग बात है।

महोदय, आज बी.आर.जी.एफ. के पैसे बढ़ाने की बात होती है। बी.आर.जी.एफ. में पैसा बढ़ाया गया है। आज जम्मू-कश्मीर के लिए ज्यादा पैसा दिया गया है। आज लैफ्टिंग विंग एक्स्ट्रीमिज्म एक्टीविटीज में ज्यादा पैसा बढ़ाया गया है। मैं आज यहां एक बात आप सबकी तरफ से वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी, आपने अपने भाषण में कहा कि जो हमारे लैफ्ट विंग एक्ट्रीमिज्म से अफैक्टेड

डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें इस साल हम 25 और अगले साल 30 करोड़ रुपए हम देंगे और उसमें हम सांसदों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। अगर ऐसा कोई तौर-तरीका है, तो मैं वित्त मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि एम.पी.एल.ए.डी. स्कीम छोड़ दीजिए, हमें भी 25-30 करोड़ रुपए हर साल दीजिए और हमारी भागीदारी बढ़ा दीजिए, फिर हम कभी एम.पी.एल.ए.डी. नहीं मांगेंगे। अगर लैफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिज्म जिले में आप यह कर सकते हैं, तो मैं तो यह कह रहा हूं कि यह ज्यादा सकारात्मक काम है कि जितना विकास का पैसा है, उसके विकास में आप सिर्फ हमारी भागीदारी डाल दीजिए, फिर हमारा विवेक है, हमारी हिम्मत है कि हम उसमें कुछ सकारात्मक असर ला सकें या न ला सकें। एम.पी.एल.ए.डी. का झंझट छोड़िए। हमें पूरे जिले के विकास में डाल दीजिए, हम पूरी तरह आपके साथ हैं और मैं जानता हूं कि अगर आप यह करेंगे तो जोशी जी भी आपके लिए उस तरफ से बैठकर ताली बजाएंगे।

बात फ्यूचर एजेण्डे की आती है। मैं फ्यूचर एजेण्डे की भी थोड़ी बहुत बात करना चाहता हूं। जो फ्यूचर एजेण्डे की बात आती है, इसमें 2-3 चीजें हैं। खासकर दो महत्वपूर्ण चीजों पर माननीय वित्त मंत्री जी ने आपका ध्यान आकर्षित किया, एक डायरैक्ट टैक्स कोड पर और एक जनरलाइज़ सेल्स टैक्स पर। मैं अपने इस भाषण के माध्यम से, आदरणीय अध्यक्ष जी के माध्यम से, वित्त मंत्री जी के माध्यम से तमाम राज्य सरकारों से यह अपील करूंगा कि जी.एस.टी. को ज्यादा ध्यान से देखें। आपको शायद याद होगा कि जब हिन्दुस्तान में वैट लगाया जा रहा था तो तमाम राज्यों को अलग-अलग डर थे। कुछ लोग कह रहे थे कि हमारा पैसा कम हो जायेगा, कुछ लोग कह रहे थे कि इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, लेकिन वैट आने के बाद हर राज्य सरकार ने देखा कि उसकी आमदनी बढ़ी, सेल्स टैक्स में बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हुआ और व्यापारियों का, लोगों का भी यह कहना था कि सेल्स टैक्स के बनिस्बत आज वैट में कम दिक्कतें आती हैं और सरकारी आफिसरों द्वारा जो हमारा दोहन हुआ करता था, उसमें कमी आई है। मुझे यह उम्मीद है कि जी.एस.टी. के कारण और डायरैक्ट टैक्स कोड, इन्कम टैक्स में जिसकी बात कर रहे हैं, उससे भी हम लोगों को बहुत बेहतर फर्क पड़ेगा।

मैं एक बात और वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा, चूंकि रिफॉर्म्स की बात आ रही थी। आज हमारी सरकार राइट टू एजुकेशन लाई है, एक तरफ राइट टू वर्क में सुनिश्चित किया है कि कम से कम 100 दिन का रोजगार हर व्यक्ति को मिले, हर परिवार को मिले, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है और शायद हर सांसद का यह अनुभव है कि जो क्षेत्र इस देश में कम से कम न केवल गरीब वर्ग, बल्कि निम्न इलाके के वर्ग के व्यक्ति के जीवन को भी तोड़ देता हू, वह स्वास्थ्य है। मेरे ख्याल से अब समय आ गया है कि इस साल अगर हम राइट टू फूड का बिल लाये हैं तो अगले साल राइट टू फ्री हैल्थ की भी अब बहुत आवश्यकता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी अस्पताल को, किसी व्यक्ति को, किसी डॉक्टर को अपना काम करने देने

की, अगर आप सब को नहीं कर सकते तो कम से कम यह निवेदन है कि बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए तो राइट टू फ्री एंड गुड प्राइमरी हैल्थ की बात करें, क्योंकि उसमें कुछ चीजों की दिक्कत कम आती है। हमारे पास सरकारी अस्पताल हैं, हमारे पास पी.एच.सी. हैं, लेकिन आज उनके सामने दिक्कत क्या आ रही है कि आज एक डॉक्टर निपुणता प्राप्त करके किडनी का ऑपरेशन कर रहा है और दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में बेचारा 30 हजार रुपये तनख्वाह पाता है तो बगल में मैक्स अस्पताल है, जहां वह मरीज अगर वह 10 रुपये दिन के रोजगार से पैदा करता है तो वहां उस मरीज से वह 10 लाख रुपये लेता है और 10 लाख का उसको 50 परसेंट मिलता है तो कितने ऐसे हमारे सर्जन हैं, जो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रुके रहेंगे और मैक्स अस्पताल में नहीं जाएंगे, क्योंकि यह एक मानवीय आकर्षण होगा। लेकिन कितने दिन तक आप अपने डॉक्टरों को रोक पाएंगे। यह कहना कि हम दोनों व्यवस्थाएं साथ-साथ चलाएंगे तो और चीजों में तो व्यवस्थाएं साथ-साथ चल सकती हैं, लेकिन स्वास्थ्य में मुझे नहीं लगता कि ये दोनों व्यवस्थाएं साथ-साथ चलती रहेंगी। क्योंकि, अन्ततः क्या होगा कि हमारे जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, क्योंकि डॉक्टर टीचर की तरह नहीं हैं, जो साल दो साल में निपुण होकर, पक कर आ जायें। डॉक्टर आठ, दस, 15 साल में निपुणता हासिल करता है और जब वह निपुणता हासिल करेगा तो वह अपने इलाके के अस्पताल से निकलकर चाहे मैक्स में चला जायेगा या अपोलो में चला जायेगा या कहीं और चला जायेगा, जहां आप और हम तो सी.जी.एच.एस. से ऑपरेशन करवा लेंगे, लेकिन हमारे घर में काम करने वाला, हमारे परिवार को चलाने वाला जो व्यक्ति है, मेरी बेटी के साथ चलने वाली जो आया है या जो व्यक्ति बाहर सब्जी बेचता है, वह अपने बच्चों को वहां नहीं ले जा पाएगा। इसलिए सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा कि क्या हम एकीकृत राष्ट्रीयकृत स्वास्थ्य योजना की तरफ देख सकते हैं। मुझे मालूम है कि इसमें फाइनेंशियल कॉस्ट की बड़ी बात है, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक सुझाव जरूर आपके सामने रख रहा हूं।

मैं आखिर मैं एक बात और करूंगा। मैंने अभी बात सुनी है और मैं चीजें सुनता रहता हूं। हम लोग प्रशासनिक सुधारों की बात सुनते हैं, ब्लैकमनी कम करने की बात करते हैं, करप्शन को कम करने की बात करते हैं, लेकिन जब क्रियान्वयन की बात आती है, प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार इस बात को कहा है कि जो मंत्रियों की डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, उन्हें हम कम करेंगे, जो सरकार के करप्शन के तौर-तरीके हैं, वे कम करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसको जरूर कम करिये, क्योंकि आज इस देश में एक ट्रस्ट डैफीसिट है, इसलिए आपकी तरफ से कारगर कदम उठाने बहुत आवश्यक हैं, लेकिन उस डैफीसिट का क्या है, जहां हमारा आम आदमी रोज़ सरकारी अधिकारियों के डिस्क्रिशन से मरता है, वहां कौन

एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाएगा? कोई राज्य का रेवेन्यू मिनिस्टर नहीं है, जो हर एस.डी.एम. को कहता है या हर रेवेन्यू अधिकारी को कहता है कि जब भी आप प्रोपर्टी का रजिस्ट्रेशन करो तो ऊपर से 10 परसेंट मत लो। वहां कौन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाएगा। आज भी अगर ट्रेन में आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता है और ट्रेन में बैठना पड़ता है तो अगर आपके पास 50 रुपये का नोट नहीं है तो आप जनरल डिब्बे में बैठे रहिये और जिनके पास टिकट नहीं है, वे रेलवे में लेट जाते हैं और आपको जगह नहीं मिलती है, वहां पर प्रशासनिक सुधार कौन लाएगा?

आज जब हम पीडीएस की बात करते हैं, बीस किलो अनाज हर गरीब को मिलता है। उसको बारह किलो अनाज मिलता है, उसके बाद उसे लताड़ दिया जाता है। हर भाषा के स्थानीय शब्दों में उसे अपशब्द कहे जाते हैं, वह वहां से चला जाता है। वहां प्रशासनिक सुधार कौन लाएगा? मैं उस प्रशासनिक सुधार की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी के कदम सराहनीय हैं कि हम अपने पर अंकुश लगाएं लेकिन जिन पर अंकुश लगाने के लिए हमें जनता ने भेजा है, उन पर अंकुश कौन लगाएगा? यह आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। यह बजट का हिस्सा नहीं है, लेकिन सरकार के मंत्री यहां बैठे हैं, इसलिए मैं अपना एक निवेदन आपके सामने रखना चाहता था। ...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : जो गड़बड़ियां हो रही हैं, रेल मंत्री जी से कहिए। ...(व्यवधान)

श्री सन्दीप दीक्षित : सभी को दे रहे हैं। शैलेन्द्र जी, यह सब पर है। ...(व्यवधान) मैं यही आपसे निवेदन करता हूं कि अगर इस लड़ाई में हम और तुम हो गए, तो यह लड़ाई हम नहीं जीत पाएंगे, अधिकारी जीत जाएगा। इस लड़ाई में आपको और हमें एक होना है। इस लड़ाई में हम चाहे किसी वर्ग के हों, हम अपनी लड़ाई हर पांच साल बाद चुनावों में लड़ लेते हैं, लेकिन हमारा वोटर जो रोज की लड़ाई लड़ता है, वह आपकी और हमारी इस लड़ाई के कारण पिस जाता है, क्योंकि हम एक दूसरे के ऊपर आंखे गाड़ते हैं, उन पर आंखें नहीं गाड़ते हैं, जिस धरातल पर हमारे गरीब से रोज पैसा चूसा जा रहा है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, इसको पार्टी लाइन से उठकर इसमें संशोधन करें। वित्त मंत्री जी, मुझे लगता है कि आज की परिस्थितियों में जो बजट आप लाए हैं, उसने इस देश की स्थिति में हमें प्रगति दी है, प्रगति आगे आने वाले समय में मिलेगी। जितने भी यूपीए सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम हैं, उसमें आपने बढ़-चढ़कर पैसा दिया है। इन्फलेशन पर धीरे-धीरे आपने कंट्रोल करने की कोशिश की है, जिसके असर दिखे हैं। इसमें और ज्यादा मुस्तैदी से सामने खड़े होने की आवश्यकता है। आपने उल्लेख किया है कि करप्शन आफ ब्लैक मनी को देश में वापस लाने के लिए कदम उठाएंगे। हम जरूर यह विश्वास करेंगे कि आने वाले साल में धरातल पर भी उनका हमें असर दिखे। इस आशा से कि इसी मुस्तैदी से हमारी सरकार इस देश की

वित्तीय व्यवस्था का संरक्षण रखेगी, इसको सुरक्षित रखेगी और इस देश को प्रगति पर आगे ले जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का पूरा समर्थन करता हूं।

श्री अखिलेश यादव (कन्नौज): सभापति महोदय, मैं अभी भाषण सुन रहा था, उसमें जिक्र चल रहा था कि थरथराती अर्थव्यवस्था, अर्थनीति बनायी है या इस देश की थरथराती आर्थिक स्थिति बनायी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह थरथराती व्यवस्था कौन सी है? उसके बाद जब भाषण खत्म हो रहा था, जो इनकी सरकार है, सरकार की तरफ से जो बात कही गयी कि इलाज में, देश की राजधानी दिल्ली में भी इलाज को लेकर भी दो तरह के फासले या खाई हैं। अगर सरकारी अस्पताल में इलाज होगा तो कितने में डाक्टर करेगा और बाहर कितने में करेगा। इनकी ही पार्टी कभी-कभी इस बात की चिंता करती है कि भारत आखिरकार दो तरह का भारत कैसे बन गया? ये पहाड़ जैसी समस्यायें कहां से आ गयीं? देश को चलाने का सबसे ज्यादा मौका अगर किसी को मिला है तो इन्हीं लोगों को मिला है। इसके बावजूद भी जो सहूलियतें, सुविधायें और मदद किसानों और गरीबों को मिलनी चाहिए थीं, वह अभी तक नहीं मिल पायी हैं। यह सही है कि इंद्र देव की तरफ इन्होंने देखा है। सरकार इंद्र देव की तरफ देख रही है, जिनकी तरफ देखना चाहिए, उसकी अनदेखी इन्होंने हमेशा की है। सही मायने में अगर जीडीपी को बढ़ाना है, देश को खुशहाल बनाना है, तो किसान की तरफ ध्यान देना होगा। किसान को जो सुविधायें मिलनी चाहिए, वह अभी भी नहीं मिल पा रही हैं। इसीलिए इस सरकार को इंद्र देव की तरफ देखना पड़ रहा है। आज जो किसान तकलीफ में है, परेशानी में है, गरीबी में है, उसमें कहीं न कहीं इनकी ही जिम्मेदारी है। किसान आजादी के इतने सालों के बाद भी खुशहाल नहीं हो पाया है। हम अखबार में पढ़ते हैं कि सरकार की तरफ से कहा जाता है कि इक्वेटेबल ग्रोथ है, इन्क्लूसिव ग्रोथ है और सस्टेन ग्रोथ है। अगर ये सब बातें मैं सच मान लूं, तो यह दो तरह का भारत बनाने का काम कौन कर रहा है? किसान तकलीफ में है, उसे कोई सहूलियत नहीं मिल रही है। किसान को सही समय पर बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

किसानों को पानी, इरीगेशन की जो सुविधा मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पा रही है। किसान को फसल तैयार होने के बाद उसका लाभकारी मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। वहां धान की फसल अभी कहीं नहीं खरीदी गई है। धान का किसान देखता रह गया कि सरकार खरीदेगी या नहीं, लेकिन नहीं खरीदी गई। महंगाई लगातार बढ़ रही है। इसका सीधा असर किसान, गरीब और गांवों में रहने वाले लोगों पर पड़ रहा है। बिजली, पानी, खाद नहीं है। बिजली का इंतजाम कौन करेगा। इसलिए लोग कहीं न कहीं खेती से दूर हो रहे हैं। युवा वर्ग खेती से प्रभावित नहीं हो पा रहा है। किसान खेती से अपनी गुजर कैसे करेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। अब सवाल उठता है कि हरित क्रान्ति आएगी। हरित क्रान्ति से कितने लोगों को लाभ मिलेगा। कुछ इलाकों में केवल हरित क्रान्ति लाने से देश का लाभ नहीं होगा। तमाम प्रदेश ऐसे हैं जो खेती पर ही निर्भर हैं। वहां खेती से ही सुधार हो सकता है। इस सरकार

को गांवों की अर्थव्यवस्था ठीक करने का मौका कई बार मिला है। लेकिन अभी तक गांवों की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं हो पाई है, क्योंकि किसान को जो सहूलियत, मदद और लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता।

आज पूरा देश काले धन और महंगाई से चिंतित है। काला धन कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, इसके बारे में सरकार अभी तक खुलकर नहीं कह पाई है। काला धन बढ़ता जा रहा है।...(व्यवधान) उधर महंगाई भी बढ़ती जा रही है। महंगाई के लिए भी साफ तरीके से कोई योजना नहीं है कि आखिरकार महंगाई को कैसे रोका जाएगा। जो अड़चनें बताई गई हैं, मैं समझता हूं कि अगर काले धन को वापस लाने में अड़चनें हैं तो सरकार को कोई रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे काला धन वापस आए। आखिरकार काला धन कैसे कमाया जा रहा है, कहीं न कहीं इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है। सरकार के गलत कानून या गलत नीतियों की वजह से ही काला धन इकट्ठा हो रहा है।

बजट में बताया गया है कि ग्रामीण बैंक लोन के लिए 500 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए गए हैं। यह अच्छी बात है कि बजट में किसानों के लिए 500 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाने का इंतजाम किया गया है। लेकिन कितने ग्रामीण बैंक ऐसे हैं जहां से किसान ऋण ले पाएंगे। बजट में यह भी बताया गया है कि समय पर कर्ज चुकाने वाले किसान को कर्ज की ब्याज दर में तीन प्रतिशत की छूट दी जाएगी। किसान सिंचाई पर पूरी तरह निर्भर रहता है। कभी-कभी मौसम खराब होने या समय पर बरसात न होने से उसकी फसल आगे-पीछे हो जाती है। यह कहा गया है कि तीन प्रतिशत की छूट उसी किसान को मिलेगी जो समय पर पैसा वापस करेगा। मैं कहना चाहता हूं कि किसान को ज्यादा समय मिलना चाहिए। अरहर की दाल की पैदावार एक साल में तैयार होती है। अगर किसान लोन ले लेगा और उसे एक साल में नहीं चुका पाएगा तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है।

किसान गरीब है इसलिए वह अपना इलाज नहीं करवा पाता। गरीब किसान के लिए इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार को उनके लिए जो व्यवस्था उपलब्ध करवानी चाहिए, वह नहीं करवा पा रही है। डाक्टर पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। आज पांच लाख से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की जरूरत है, लेकिन वहां डाक्टर नहीं हैं। सरकारी अस्पतालों की हालत बहुत खराब है। वहां कोई इलाज नहीं करवा सकता। वहां इतनी खराब दुर्दशा है कि सही दवा नहीं है और डाक्टरों का इंतजाम भी नहीं है। यह स्थिति पैदा हो गई है। इलाज भी काफी महंगा है। गरीब व्यक्ति, किसान और आम आदमी अपना इलाज नहीं करवा सकता। एक परिवार में यदि एक व्यक्ति भी बीमार हो जाए तो उस परिवार में गरीबी आ जाती है। सरकार को सस्ता इलाज और सस्ती सुविधाएं देने का इंतजाम करना होगा।

गोरखपुर जैसे इलाके में जैपनीज़ इनसैफ्लाइटस कई वर्षों से फैली हुई है। मलेरिया से लेकर तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए सरकार को इंतजाम करना चाहिए। योजना है लेकिन कोई इंतजाम उपलब्ध नहीं है। इस बारे में कोई योजना नहीं है कि कैसे उन बीमारियों से लड़ा जायेगा, कैसे उन्हें दूर किया जायेगा।

सभापति महोदय, जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, तो रोजगार के अवसर कैसे प्राप्त होंगे, उसके लिए कोई ठोस योजनाएं नहीं हैं। उस संबंध में कोई योजनाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। युवाओं के लिए जितने रोजगार के इंतजाम होने चाहिए, उतने रोजगार नहीं हैं। वहां बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आज पढ़ाई बहुत महंगी है। वह इतनी महंगी है कि गरीब पढ़ नहीं सकता। सबसे पहले तो उसके एडमिशन का ही इंतजाम नहीं होता। अगर इंतजाम हो जाये, पढ़-लिखकर डिग्री भी हासिल कर ले, तो उसे नौकरी नहीं मिलती। आज पढ़ने-लिखने वाला युवा नौजवान बेरोजगार होता जा रहा है। आज स्थिति ऐसी पैदा हो गयी है कि बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगारों नौजवानों की फौज खड़ी हो गयी है। इसके लिए कुछ न कुछ ठोस कदम सरकार को उठाने चाहिए। जब तक ठोस कदम नहीं उठाए जायेंगे तब तक नौजवानों के लिए रोजगार के इंतजाम नहीं हो पायेंगे।

सभापति महोदय, भारत निर्माण की बात की गयी है, जिसमें तमाम योजनाएं हैं जैसे इंदिरा आवास योजना, नैशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना आदि हैं। लेकिन आप हकीकत में जानते होंगे कि मनरेगा में कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है। उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या इंतजाम किये गये हैं? मनरेगा के तहत इतनी मिट्टी खुद गयी, जिसका हिसाब-किताब लगाया जाये, तो दिखाई देगा कि एक महासागर खुद गया है। मनरेगा से इतनी मिट्टी खोद दी गयी है। कहीं न कहीं मनरेगा की वजह से किसानों को भी सीधे-सीधे मजदूरों का संकट पैदा हो गया है। उनकी खेती पर असर पड़ा है। कहीं-कहीं बिजली का इंतजाम नहीं हुआ है और जहां हुआ है वहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है।

सभापति महोदय, इंदिरा आवास योजना कई वर्षों से चल रही है। अभी भी गरीब लोगों को जितने घर मिलने चाहिए थे, वे नहीं मिल पाये हैं। उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यह जो जनरल बजट पेश हुआ है, उसमें किसानों की अनदेखी की गयी है। बजट में किसानो और युवाओं को निराश किया गया है। आज देश में जिस पैमाने पर युवा हैं, उस हिसाब से रोजगार के इंतजाम होने चाहिए, लेकिन वे नहीं हो पा रहे। इस बजट में कहीं भी ऐसा फैसला या ठोस कदम दिखाई नहीं दे रहे, जिससे रोजगार के इंतजाम हो सकें। किसानों के लिए बिजली से लेकर पानी तक का इंतजाम नहीं है। यह सही है कि कुछ फैसले ऐसे लिये गये हैं, जिससे किसानों को कुछ मदद मिलेगी। उनको ऋण में कुछ मदद मिलेगी,

लेकिन किसान के हित के लिए अभी भी ठोस कदम उठाने बाकी हैं। किसान के बिना इस देश की खुशहाली नहीं आ सकती, जीडीपी आगे नहीं बढ़ सकती। किसान अभी भी परेशान और दुखी है।

सभापति महोदय, यह कहा गया कि किसान की खेती बढ़ जायेगी। बजट में यह चर्चा आयी है कि आर्गेनिक फर्टिलाइजर का इंतजाम होगा। लेकिन आखिरकार आर्गेनिक फर्टिलाइजर कहां से आयेगा? उसका इंतजाम कैसे होगा, किसानों को कैसे मिलेगा और किसानों को उससे कैसे जोड़ेंगे? ये तमाम ऐसे पहलू हैं, जिन पर सरकार को बहुत ध्यान से देखना होगा। सरकार यदि इन पर ध्यान देगी, तभी उनकी यह योजना कामयाब हो सकती है। किसान की दुर्दशा की जिम्मेदार वे सरकारें रही हैं जिन्हें पहले तमाम बार शासन करने का मौका मिला है। इस बजट से किसानों को जो आशाएं थीं, वे पूरी नहीं हुई हैं। महंगाई के लिए भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। किसान का सामान बाजार तक पहुंच ही नहीं पाता। महंगाई के कारण वह अपना घर तक नहीं बना पाता। आज जो काला धन इकट्ठा होता जा रहा है, उसे रोकने के लिए सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। जो काला धन विदेशी बैंकों में पहुंच गया, उसे वापस लाने का कोई इंतजाम नहीं है।

सभापति महोदय, हमें उम्मीद है कि यह सरकार किसानों को और सुविधा उपलब्ध करायेगी और कर्ज माफी ही नहीं, बल्कि सस्ता कर्ज और ज्यादा सहूलियत देकर उनकी तकलीफों को कम करेगी।

16.00 hrs.

कालाधन जो बाहर चला गया, उसे वापस लाने का सरकार इंतजाम करेगी और युवाओं को जो रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, उसके लिए सरकार ठोस कदम उठाकर कुछ काम करेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी बड़े ज्ञानी हैं, संसदीय मामलों में भी प्रखर हैं एवं बहुत वरिष्ठ हैं। हम सब लोग उनको आदर करते हैं, लेकिन बजट आने से पहले हम लोगों ने सोचा था कि देश में कितनी समस्याएं हैं, गरीबी है, बेकारी है, गैर-बराबरी है, क्षेत्रीय असंतुलन है, इन तमाम चीजों का बजट में समावेश किया जाएगा, लेकिन सम्पूर्ण बजट दो बिन्दुओं पर केन्द्रित है - एक बिन्दु है विकास दर और दूसरा बिन्दु है कि फिस्कल डेफिसिट कैसे कम करना है। यह भी आवश्यक है देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए और इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने राजकोषीय घाटे को घटाया है, इसे वर्ष 2013-14 तक और घटाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन डा. जोशी ने ठीक ही कहा कि आखिर इतनी मदद आपको कहां से मिली। 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई, तो यशवंत सिन्हा जी का कहना है कि भारत सरकार को एक लाख करोड़ रुपये मिले, लेकिन आज मुझसे एक अर्थशास्त्री कह रहे थे कि इससे भारत सरकार को 67718 करोड़ रुपये मिले। जो भी हो, ज्यादा जानकारी माननीय वित्त मंत्री जी को होगी। आगे भी 3जी स्पेक्ट्रम से पैसा मिलने वाला है। अच्छी बात है कि जो राजस्व प्राप्ति होती है, उससे अगर राजकोषीय घाटा कम होता है, तो देश को लाभ होगा, देश को फायदा होगा, देश की तरक्की होगी, पैसा उसमें विनियोग होगा, लेकिन यह जो बजट है, इसका स्वरूप यथास्थितिवादी है।

16.01 hrs.

(Shri Inder Singh Namdhari *in the Chair*)

मैंने पहले कहा कि गरीबी मिटाने का इसमें कोई संकल्प नहीं है और संकल्प इसलिए नहीं है कि सरकार ने अभी तक यह नहीं तय किया है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग देश में कितने हैं और उनका सही आकलन कैसे होगा। सही आकलन करके गरीबी को मिटाने के लिए योजना के द्वारा कितना बड़ा प्रहार गरीबी पर किया जाएगा, ताकि लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठें। योजना आयोग का जो फार्मूला है और विश्लेषण है, स्वयं केन्द्र सरकार ने या योजना आयोग ने प्रोफेसर सुरेश डी तेंदुलकर की अध्यक्षता में जो कमेटी बैठाई, दोनों की रिपोर्ट्स में अंतर है। सरकार ने इसकी समीक्षा आज तक नहीं की कि तेंदुलकर कमेटी की जो रिपोर्ट है, वह स्वीकार्य है या नहीं, यद्यपि कमेटी की रिपोर्ट समर्पित है। वर्ष 1993-94 के आधार पर ग्रामीण और शहरी लोगों को मिलाकर 26 प्रतिशत था और वर्ष 2004-05 के आधार पर 27.5 प्रतिशत था। तेंदुलकर साहब कहते हैं कि वर्ष 1993-94 के आधार पर ग्रामीण और शहरी, दोनों मिलाकर 45.3 प्रतिशत और वर्ष 2004-05 के आधार पर 37.2 प्रतिशत था। यह जो इतना फर्क है, हम सोचते थे कि प्रणब बाबू इस मामले में कोई स्पष्ट नीति रखेंगे। गरीबी मिटाने के लिए, गरीबी का मूल्यांकन करने के

लिए, गरीबी तय करने का जो पैरामीटर है, वह सर्वमान्य हो और उस पैरामीटर से नीचे रहने वाले लोगों को ऊपर लाया जाए। इस बजट में प्रणब दा से बड़ी अपेक्षा थी, लेकिन यह पूरी नहीं हुई। टैक्स के बारे में इन्होंने कहा है कि दो बिल लाएंगे जिनमें से एक जीएसटी है। पहले वैट पर बहुत हल्ला था, बहुत से राज्यों ने विरोध किया था। धीरे-धीरे जब केन्द्र सरकार वैट ले आई, तो स्टेट का जो कॉमर्शियल टैक्स कानून था, उसको सरकार ने समाप्त करके वैट में समाहित कर दिया।

लेकिन जीएसटी कानून को लागू करने के लिए कम से कम 20 राज्यों की सहमति चाहिए। इस बात को भी वित्त मंत्री जी द्वारा अपने बजट भाषण में बताना चाहिए था कि अभी तक कितने राज्यों की सहमति मिली है। जहां तक हमारी जानकारी है, हो सकता है सही न हो, 14 या 15 राज्यों ने ही इस पर सहमति दी है। इन राज्यों में भी अधिकांश राज्य कांग्रेस पार्टी शासित हैं और उनमें भी कई छोटे-छोटे राज्य हैं। दूसरे जो राज्य हैं, अपेक्षाकृत बड़े राज्य हैं, वे इसका विरोध कर रहे हैं। यह ठीक है कि सब राज्यों का अपना-अपना इंटरेस्ट है और समर्थन करने वाले छोटे-छोटे राज्यों का भी अपना-अपना इंटरेस्ट है, क्योंकि वे ज्यादातर केन्द्रीय सहायता पर निर्भर रहते हैं। इसलिए जीएसटी के मामले में सरकार को अपना दृष्टिकोण जाहिर करना चाहिए। आपने अपने बजट भाषण में जो संकल्प लिया है, वह क्लियर करना चाहिए। यह ठीक है कि छोटे राज्यों का हित नहीं होना चाहिए। आपने जो संविधान संशोधन लाने की बात कही है, उसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसे राज्य जो गरीब हैं, जहां गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अधिकांश लोग हैं, जहां कुपोषण और अशिक्षा ज्यादा है, गैर बराबरी है, उनकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। आपने डायरेक्ट टैक्सेज़ कोड की बात कही है। यह एक अच्छी बात है और हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन इस मामले में आपको जल्दी करनी चाहिए।

हमारे देश का जो कृषि उत्पादन है, मैं उस बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। हमारे यहां पर हेक्टेयर ईल्ड दुनिया के कई देशों से कम है। ईल्ड इसलिए कम है, क्योंकि सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। अल्टीमेट क्रीएटेड पोटेंशियल जिसे सिंचाई विभाग कहता है कि यह हमारे यहां इतना है, उसका भी पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। जितनी कृषि योग्य भूमि है, उसके लिए हम सिंचाई की सुविधा देंगे, जो कि अभी तक नहीं दी गई है। यह जरूर है कि आपने लघु सिंचाई की छोटी-मोटी योजनाओं की व्यवस्था की है। इसके साथ ही आपने दूसरी हरित क्रांति की बात भी कही है और उसके लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इसके पहले भी प्रथम चरण में इतनी राशि की व्यवस्था की गई थी। अब आप ही सोचें कि 400 करोड़ रुपए में क्या दूसरी हरित क्रांति हो सकती है, मैं समझता हूं कि यह नहीं होने वाली है। इसलिए इस बजट में सिंचाई के मामले में आपको ध्यान देने की जरूरत है। बाढ़ से सुरक्षा करके, जल प्रबंधन करके हम सिंचाई की समुचित व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन इस पर लगातार कोई प्रावधान नहीं

किया जाता रहा है और न ही इस बजट में किया गया है। सन् 2009 के अंत तक जो अल्टीमेट क्रीएटेड पोटेंशिएलिटी थी, चरम सिंचाई क्षमता देश में थी वह 149.9 मिलियन हेक्टेयर थी, लेकिन उसमें सिर्फ 84.90 मिलियन हेक्टेयर का ही उपयोग किया गया है। मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आप फूड प्रोडक्शन में वृद्धि की बात करते हैं, लेकिन फूड सिक्योरिटी कैसे होगी, फूड इंफ्लेशन कैसे रुकेगा? आपने यह जरूर कहा है कि इस बार देश में अन्न का उत्पादन जरूरत से ज्यादा होगा। कृषि विभाग ने 230 मिलियन टन अनुमानित प्रोडक्शन की बात कही है। लेकिन जो सिंचाई की सृजित क्षमता है, उसका उपयोग राज्यों द्वारा नहीं हो रहा है। जैसे जीएसटी के मामले में आप राज्यों से बात करते हैं, इस मामले में भी आपको बात करनी चाहिए। फ्लड प्रोटेक्शन के अभाव में जल प्रबंधन नहीं हो रहा है। हर साल कई राज्यों में बाढ़ से तबाही होती है। ऐसे राज्यों में फ्लड प्रोटेक्शन के लिए, वाटर मेनेजमेंट के लिए, इरीगेशन के लिए आपको समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, जिसका इस बजट में जिक्र नहीं है।

मैं वित्त मंत्री जी अनुरोध करूंगा कि आप दूरदृष्टि वाले व्यक्ति हैं, जब भी यूपीए में कोई संकट या पेचीदा मामला आता है तो यह कहा जाता है प्रणब बाबू से बात करें, वह कोई न कोई फार्मूला निकाल लेंगे।

इस मामले में अगर कोई व्यवस्था आप नहीं करेंगे तो आपकी जो दूसरी ग्रीन रैवोल्यूशन की कल्पना है वह विफल हो जाएगी और जितना आपने तिलहन, दलहन, गेहूं, चावल और बाजरा के लिए लक्ष्य रखा है वह पूरा नहीं होगा। बिहार सहित कुछ राज्यों में आपने चावल और गेहूं पैदा करने के सघन अभियान चलाने का काम किया है वह 400 करोड़ रुपये में नहीं होगा।

जहां तक बेकारी की बात है तो सरकारी आंकड़ा है कि 4 परसेंट ग्रामीण इलाके में और 10 परसेंट शहरी इलाके में बेकारी है। लेकिन सरकार ने जो उत्तर दिया है उसके अनुसार अगर 80 करोड़ जनसंख्या हुई तो उसका लगभग 4 करोड़ हो गया और 10 परसेंट का 10 करोड़ हो गया। इस तरह से 14 करोड़ तो सरकार मानती है कि लोग बेकार हैं और वे बेकार कुशल और अकुशल दोनों हैं, क्योंकि सरकार के जवाब में यह बात नहीं कही गयी है कि ये जो चार परसेंट ग्रामीण और दस परसेंट शहरी लोग बेरोजगार हैं ये कुशल हैं या अकुशल हैं। ...(व्यवधान) महोदय, कालेधन के बारे में बहुत चर्चा होती है और इस पर सब लोगों ने चर्चा की है। माननीय प्रणब बाबू कालाधन नहीं निकालेंगे तो कौन निकालेगा? प्रणब बाबू पर किसी प्रकार की उंगलियां नहीं उठती हैं, ये बुजुर्वा नहीं हैं, ये सर्वहारा के लिए सोचने वाले आदमी हैं, गरीब के लिए सोचने वाले आदमी हैं, संसदीय जीवन का एक लम्बा इनका इतिहास है। सारे लोग इन्हें आदर से देखते हैं, मैं यह सही बात कह रहा हूं। इसीलिए माननीय प्रणब बाबू, कुछ उपाय आप कीजिए। क्योंकि जो पैसा आता है इसके बारे में सरकार की स्वयं की जो सूचना है वह मॉरिशस है। सरकार ने 128 देशों की

सूची कहीं दी है और उसमें मॉरिशस सबसे ऊपर है। मॉरिशस में पैसा कहां से आता है। टोटल जो डायरेक्ट इंवैस्टमेंट से पैसा इस देश में आता है उसमें से 42.15 परसेंट मॉरिशस से आता है। यह कहना मेरा नहीं है, यह सरकार का ही आंकड़ा है कि यह मॉरिशस से आता है। यह पैसा क्यों आता है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि हम दो समझौते विदेशों से करेंगे, डीआईए और डीटीए क्योंकि बगैर एग्रीमेंट के आदान-प्रदान नहीं होगा। वे देश कौन हैं जहां से पैसा आता है, बहामास, बरमुडा, ब्रिटिश वर्जिन आईलेंड्स, आईल ऑफ मैन, कैरीमैन आईलैंड, जरसी, मोनाको, सेंटर किट्स एंड नेविस, अर्जेंटिणा एंड मार्शल आईलेंड्स, ऐसे असंख्य देश हैं। इन देशों में पैसा जाकर छुपाया जाता है और पीआईएल के चलते सरकार ने कार्रवाई की है। सुप्रीम कोर्ट को हम धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि जो सदन नहीं कर सका, वह न्यायालय ने कर दिया। जर्मन सरकार ने वर्ष 2008 में जब सूचना दी थी तो इतने दिनों तक जिन लोगों ने करवंचना की, पैसा चुराया था, उनके बारे में सरकार ने जानकारी क्यों नहीं ली?

सरकारी दस्तावेजों में बीजेपी के बारे में उल्लेख किया है। कहा है कि आम चुनाव 2009 के दौरान कथित बीजेपी कार्यदल की अंतरिम सिफारिश में 500 बिलियन डालर यानी 25 लाख करोड़ रुपया और 1400 बिलियन डालर यानी 70 लाख करोड़ रुपये के बीच राशि का अनुमान लगाया गया।

A study titled 'The Drivers and Dynamics of Illicit Financial Flows from India 1948-2008' was released by the Global Financial Integrity (GFI). जीआईएफ के बारे में कहा गया है कि वर्ष 2008 में स्वतंत्रता के बाद यह अनुमान लगाया कि 2213 बिलियन डालर का नुकसान हुआ है। फिर कहा है कि वर्तमान में यह 400 बिलियन डालर कहा जा सकता है। सरकार कहती है कि हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम पता लगा सकें।

सभापति महोदय: आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री मंगनी लाल मंडल : काले धन के बारे में मंत्री जी मैं ही नहीं कहता, बल्कि देश की जनता जानती है कि आपके समय में अगर काला धन नहीं निकलेगा और जिन्होंने काला धन छुपा कर रखा है, अगर उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा, तो आने वाले समय में कांग्रेस सरकार के पास काला धन निकालने वाले वित्त मंत्री होंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता है।

सभापति महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री मंगनी लाल मंडल: हसन अली को आपने गिरफ्तार किया। आज समाचार में आ रहा था कि 500 बिलियन डालर उसके पास विदेशों में जमा है। हमारे रिजर्व में जो पैसा है, उससे ज्यादा पैसा उसके पास

है। वह पैसा एक दिन में जमा नहीं किया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट का सरकार पर प्रहार नहीं होता, तो शायद यह बात कभी सामने नहीं आती। इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

सभापति महोदय : मंगनी लाल जी, आप बैठ जाएं।

श्री मंगनी लाल मंडल : यह बजट गरीब विरोधी है। यह बजट गैर-बराबरी बढ़ाने वाला बजट है। यह बजट रोजगार विरोधी है। यह बजट गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की परवाह करने वाला नहीं है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

श्री मंगनी लाल मंडल : मैं इस बजट का विरोध करता हूं।...(व्यवधान) *

* Not recorded.

DR. RATNA DE (HOOGHLY): Sir, thank you. I am grateful to you for allowing me to speak. I welcome the Budget presented by the hon. Finance Minister, Shri Pranab Mukherjee.

The Budget of 2011-2012 needed a great balancing act. On one hand, there is challenge of sustaining growth momentum at the rate of nine per cent and on the other the UPA's supreme objective of inclusiveness had to be taken care of. Over and above, this year, there remained an added responsibility of containing inflation, which is a matter of great concern for all of us. And to top it all, the Finance Minister had to balance all these three objectives under the strict condition of fiscal consolidation. Now, the question is : Had he succeeded in doing so? To my mind, he has not only succeeded, but he has also displayed great pragmatism in doing so. This was not an easy task at all.

Now, coming to the growth, there is no doubt that this year's Budget is one for "Growth". Amidst the real concern of inflation and fiscal consolidation, it is nice to see the Finance Minister not compromising on this front at all. The great care which he has taken to boost infrastructure and education is most welcome. While infrastructure investment would ease supply bottlenecks on the physical front, a 24 per cent rise in education expenditure would meet the gap of much needed human-capital formation and Skill building. Needless to say, these two together would create a firm foundation for long-term growth story of India.

With this, one has to add his promise to introduce two path-breaking Bills, that is, GST and Direct Tax Code (DTC) in the next Parliament Session. These two, while implemented, would stimulate growth both from supply and demand sides.

Heartening to see that he has kept his commitment towards fiscal consolidation, and reduced fiscal deficit to 4.6 per cent of the GDP in the current fiscal. If the geo-political situation doest not create havoc with oil prices, then I do hope that he would be able to keep his commitments and thus encourage growth further.

The only area of concern is high Current Account deficit which, I am sure, he will find means in course of time this year to tackle.

Inclusiveness: UPA's overriding objectives of inclusiveness and rural development is a continuous process. It got its reflection in last two Budgets as well as in the present one. A staggering Rs. 58,000 crore had been allocated for 'Bharat Nirman', that is, rural infrastructure building, despite fiscal constraints. This is a rise of Rs. 10,000 crore as compared to last Budget. This money will go to rural roads, rural electrification, accelerated irrigation programme, drinking water, sanitation, and housing scheme in rural India.

This may be considered "Investment for agriculture", if not strictly Investment in agriculture." And in Indian context, it has been seen that it is such investment for agriculture by the Government which in turn encourage." Investment in agriculture by the private sector. Thus, much has been done for agricultural growth through such huge spending. Needless to say, such spending would boost rural empowerment and rural demand even in the short-term.

Empowering rural India does not stop here.

The Budget also declares to provide rural broadband connectivity to all 2,50,000 village Panchayats in rural India. This is a step which can empower rural people to great extent and save them from misinformation and exploitation.

UPA Government's flagship programme of employment guarantee of one person per family for 100 days goes unabated. A sum of Rs. 40,000 crore had been allocated again for MGNREGA this year. This not only creates the safety net against high food inflation, but also intends to protect their real wage by linking nominal wage to Consumer Price Index. This is extremely heartening. I do hope all administrative lacunae in the delivery system will be taken care of this time so that real needy gets the benefit.

The increase of remuneration of Anganwadi workers and helpers was long pending. By doubling their remuneration from Rs. 1500 to Rs. 3000, the Finance

Minister had benefited 22-lakh Anganwadi workers most of whom are women. This brings immediate cheer to all of us.

The increased coverage of National Health Insurance to cover mining workers and other associated unorganized industry is an excellent step; so is the empowerment of women through Self-Help Women's Development Fund of Rs. 500 crore this year.

UPA's commitment to Social Empowerment gets its reflection in its "Right to Education". Allocation was increased by 40 per cent this year. And a pre-matric scholarship scheme being introduced for four million needy students belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe categories in Class IX and X is extremely welcome. I would like to see more quality upgradation and teachers which should mean real empowerment.

Heartening to see, Finance Minister's efforts did not stop only at allocation of fund. He at least had ventured into the improvement of the delivery by introducing Direct Cash Transfer System in place of "subsidy in fertilizer and food." I would urge necessary administrative steps in this regard so that these schemes reach the real beneficiaries and do not get misused like in MGNREGA.

Now, I come to Inflation, as we all know is a matter of major concern for all of us, especially food inflation because it is food inflation which affects the poor relatively more.

Now the question is, had the Finance Minister addressed this issue sufficiently? To my mind, within the limited scope of budget-making he tried his best. It is true that all these measures are not sufficient to tackle inflation. Much also would depend on RBI's monetary management. To that extent. Inflation still remains a matter of worry.

To ease supply bottlenecks in Agriculture, several measures have been taken. I have already mentioned how the huge allocation for Bharat Nirman will ease bottlenecks in agriculture by encouraging of private investment. Moreover, all previous schemes relating to bringing Green Revolution to Eastern India,

development of 60,000 arid villages for pulses and oilseeds, still continue with further allocation of Rs.400 crore and Rs.300 crore respectively. Rs.300 crore have been allocated for promotion of Bajra, Jwar, Ragi and other millets.

On the credit front, additional amount has been made available to agriculture. Plus, Interest Rate Subvention had been hiked thereby reducing the effective Interest rate to four per cent for short-term crop loans. Enough has been provided to encourage cold storage which would take care of distribution efficiency. It is true that all these measures would ease production and distribution efficiency in case of food and other agricultural crops. But much more needs to be done to make agriculture productive and a viable job option for today's Indian youth.

Funds sent by the Central Government to the State of West Bengal are not utilised because the West Bengal Government is not in a position to contribute its share for implementation of the Central Government schemes and programmes. Financial position of the West Bengal Government is very poor. There cannot be two opinions about it. For example the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission where the State Government of West Bengal is not in a position to contribute its share. The JNNURM is not being implemented properly with the result that development is retarded and the ultimate losers are the people.

Before I finish I would like to congratulate the hon. Finance Minister for some of his touching efforts to Bengal. I will also urge upon him to roll back the five per cent service tax on healthcare. As a Doctor, I find it difficult to swallow. The allocation of Rs.3000 crore to NABARD or Rs.15,000 crore for revival of co-operative societies in handloom sector is a relief for three lakh handloom weavers as well as for me. His special thought about Senior Citizens over 80 years of age for whom tax exemption limit rises to Rs.5 lakh is really touching.

Allocation of Special Education Grant to IIT Kharagpur and IIM Kolkata make all of us in Bengal happy. Grant of Rs.50 crore to Aligarh Muslim University at Murshidabad was much needed. Last but not least, declaring the

prize money of Rs.1 crore in the name of Gurudev Rabindranath Tagore reminds whole of India the need for universal brotherhood, a value all of us cherish in Bengal since childhood.

Thank you again, sir, for allowing me to express my general view on the General Budget in this august House.

श्री लालू प्रसाद (सारण): महोदय, सरकार जो बजट लाई है, मैंने उसका मोटा-मोटा अध्ययन किया है और देखा है कि इसमें कृषि पर और अन्य चीजों पर बहुत कम टैक्स लगाने का प्रयास प्रणब दा ने किया है, मैं इसकी सराहना करता हूं। ऊंट के मुंह में जीरे की तरह देश की गरीबी, गुरबत, लाचारी और बेबसी है। इस देश में एक श्रेणी के लोग फैशन में बहस करते हैं कि जातपात और बिरादरी मिटनी चाहिए।

लेकिन यह जात-पात, बिरादरी मिटने का नाम नहीं लेती है। जब तक इस देश में चंद हाथों में नौकरियां हैं, शिक्षा चंद हाथों में कैद है और आज राजनीति में भी इसी तरह के लोग आ रहे हैं, जो कानून बनाते हैं, जो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामैन्ट, जो हायर लेजिस्लेचर की पावर है, लेकिन जब हम कानून बनाने लगते हैं तो हमारा ध्यान हर इनडिविजुअल पर पड़ता है कि इन इंटरैस्ट ऑफ दि स्ट्रांगर पीपुल हम जो कानून बनाने जा रहे हैं, इससे हम प्रभावित होते हैं कि नहीं, यह हम पर लागू होता है कि नहीं, यह परख लेते हैं, तभी इसमें लोग भाग लेते हैं। यह देश का दुर्भाग्य है। अगर इस देश की गरीबी, गुरबत और समाजवाद का मतलब, समतामूलक समाज का मतलब, गैर बराबरी का मतलब गैर बराबरी मिटे, सभी पंथ, सभी धर्मों में सभी भाई और बहन हैं, उधर हमारा ध्यान नहीं जाता है।

महोदय, इस देश की रीढ़ एग्रीकल्चर और पशुपालन है। पशुपालन के अलावा जो कृषि है, इसी सदन में कृषि मंत्री जी ने कहा था कि नॉर्थ इंडिया खासकर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और कोलकाता पर ग्लोबल वार्मिंग का असर पड़ने वाला है। हमारी पैदावार कम होने वाली है, बारिश कम होने वाली है। आज बिहार के समाचार पत्र को मैंने देखा, उसमें लिखा था कि 17 जिलों में पीने के पानी का अभाव है। वहां की सरकार ने, वहां के मुख्य मंत्री ने भी कबूल किया है, जो मैंने पढ़ा है। वहां जो वाटर लैवल है, वह पाताल लोक में जा रहा है। प्रणव बाबू आप पता कर लें कि आखिर हम शुरू से ही बिहार के लोग माइग्रेट क्यों करते हैं। एक तरफ उत्तर बिहार, जहां हमारी बैस्ट फर्टाइल लैंड है और डेन्सिटी ऑफ पापुलेशन बहुत थिक है। वहां अंतर्राष्ट्रीय नदियां हर साल नेपाल से होकर निकलती हैं और हमारी जो टूटी-फूटी जैसी भी व्यवस्था है, वह उनके कारण चरमरा जाती है। कोसी नदी की पिछले साल की बाढ़ इसका उदाहरण है कि उसके कारण बिहार की क्या हालत हुई थी। जो मध्य बिहार है, जमींदार और सामंतों की वजह से मध्य बिहार में नक्सलवाद आया। मेरे शासनकाल में ये सब झारखंड में चले गये और आपस में लड़ते रह गये। हम लोग जिस बिहार से आते हैं, उस बिहार की उपेक्षा, बिहार पर ध्यान नहीं देना, उसके साथ भेदभाव करना, हमेशा से होता रहा है। मैं समझता हूं कि जब तक बिहार नहीं उठेगा, बिहार के लोग नहीं उठेंगे, तब तक देश की उन्नति नहीं हो सकती है। बिहार के मुख्य मंत्री, नीतीश जी ने कहा है कि हम बिहार को 2015 तक विकसित राज्य बना देंगे। उनके पास मशीन है, वे देखते रहते हैं। इस पर हमने कहा

कि छः महीने के बाद ही बोलेंगे। प्रणव बाबू ज्ञानी आदमी हैं, जानकार आदमी हैं, उनके पास काफी अनुभव है, उनके सामने हम लोगों की उम्र भी बहुत कम है। लेकिन भारत सरकार का ग्रोथ रेट क्या है, आप जो पैसा देते हैं, बांटते हैं। जो मालिक हैं, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, जो राज्यों को पैसे पम्प करता है। यूपीए-1 सरकार में हमने जो पैसा पम्प किया। भारत निर्माण के तहत नरेगा से लेकर सर्व शिक्षा अभियान, अस्पताल, प्रधान मंत्री सड़क योजना, हाईवे, नेशनल हाईवे उन दिनों में राज्य सरकारों के पास अपने कर्मियों को तनख्वाह देने का भी पैसा नहीं था। उनमें महाराष्ट्र भी एक राज्य था, जो अपने कर्मियों को तनख्वाह भी नहीं दे पाता था। यूपीए-1 सरकार में मैं भी आपके साथ में था। उस समय दुनिया में जो इकोनोमी बूम हुई थी, उसका लाभ भारत को भी मिला। हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और वही पैसा हम लोगों ने हर राज्य सरकार को पम्प किया और पम्प करने का नतीजा क्या हुआ कि आप यहां से जो चावल, गेहूं देते हैं। लेकिन हर राज्य सरकार को मैं देखता हूं कि जब चुनाव आता है तो कहते हैं कि हम दो रुपये किलो चावल बेचेंगे। आप भी बेचते हैं और बीजेपी भी बेचने लगती है।

सरकार का सामान ही बेचने लगती हैं। यह समस्या का इलाज नहीं है, निदान नहीं है। हम बिहारी लोग, बिहार के लोग, कई अवसरों पर चर्चा हुई थी कि नेपाल से बात कीजिये। हमारे महरूम नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने बार-बार कहा था कि बिहार तब तक उठने वाला नहीं है, हमारा किसान, उत्तर बिहार गार्डन ऑफ बिहार कहा जाता था, लेकिन उत्तर बिहार की क्या हालत है? नक्सलपंथ, पीपुल्स वार ग्रुप ईस्ट जिले में फैल गया है। चारों तरफ गांव से शहर को घेरो, गांव से शहर को घेरो, वे आपके और हमारे सिस्टम को स्वीकार नहीं करते हैं।

महोदय, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा था कि नेपाल से बात कीजिए। जब तक नेपाल से बात नहीं होगी, जब तक बिहार की नदियों का रख-रखाव, रैगयुलराइज, वहां डैम हों, वहां बिजली पैदा हो, बिहार मामूली राज्य नहीं है, ईस्ट बिहार का कायाकल्प तब होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम जब यूपीए वन में थे तो हम लोगों ने बात की थी और उसके लिए पैसा भी दिया था। मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में इन सब बातों का जिक्र है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पायी है। बाढ़ के बाद, बाढ़-सुखाड़, नदियों का कटाव, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था, गंगा नदी नेशनल रीवर है, हम इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन क्या एक पैसा, एक छटांक पैसा भी नदियां के रख-रखाव के लिए है। गंगा नदी जो डिवाइड करती है, राइट, लेफ्ट इरोजन करती है, मिट्टी काटकर लेकर चली जाती है, गांव को डुबो देती है, उसके लिए एक पैसे का जिक्र नहीं है। फिर यह बिहार कैसे बढ़ने वाला है, कौन करने वाला है? सिर्फ बिहार ही नहीं, ईस्टर्न यूपी से लेकर सेवन सिस्टर्स, उड़ीसा से लेकर झारखंड का जो इलाका है, पूर्वांचल, पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, उनका कायाकल्प होने वाला नहीं है। हम बिहार के लोग मेहनत करके, रिक्शा चलाकर, ठेला

चलाकर, मॉरीशस में जाकर, लीबिया में जाकर, दुनिया में जाकर, सिंगापुर में जाकर पैसा लाते हैं, हम अरब देशों में जाते हैं। हम मजदूर के रूप में जाते हैं और मुद्रा लेकर आते हैं। पैसा कहां जमा होता है, किसकी तरक्की में पैसा जाता है? जो हमारे बिहारियों का क्रेडिट है, जो हमारा पैसा बैंकों में, रिजर्व बैंक में डिपोजिट है, यह जो पैसा है, आप बताइये कि क्या उसकी बराबरी में एक भी पैसा बिहार को मिला है? क्रेडिट डिपोजिट रेश्यो पर कई बार आते-जाते वित्त मंत्री जी मुंह खोलते हैं, मैं भी था, 33 परसेंट हैव बीन इनवेस्टमेंट, जितना क्रेडिट बिहारी लोग करते हैं, जमा करते हैं, हम बिहार में खर्चा करेंगे, लेकिन कुछ नहीं है। आज बिहार को वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ रहा है, बिहारियों को कर्जे में डाला जा रहा है। इसीलिए हमारी लड़ाई थी। आरबीआई का महाराष्ट्र में जो हैडक्वार्टर है, जहां हमारे देश का कामर्शियल सेंटर है, सारा मुख्यालय बंबई में हैं। उसे डी-सेंट्रलाइज कीजिए और हमारा जो क्रेडिट है, उसके अनुरूप पैसा बिहारियों को दीजिए, हमें भीख नहीं मांगनी है। बिहार सरकार बार-बार कहती है, हम लोग भी कहते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि स्पेशल कैटेगरी नहीं होगा, राज्य को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा नहीं दोगे तो बिहार आगे बढ़ने वाला नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया।

सभापति महोदय : अब आपको कंक्लूड करना पड़ेगा।

श्री लालू प्रसाद : महोदय, स्पेशल कैटेगरी, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिले थे, सबसे मिले थे, लेकिन आखिर क्या एक भी पैसे का इन्वेस्टमेंट बिहार में हुआ? क्या एक भी इंडस्ट्री बिहार में है, क्या एक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिहार में है, नहीं है, आज से नहीं, शुरू से ही नहीं है। जब तक हमारा किसान, बिहार में हमारी कृषि की उपज सड़-गल जाती है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। रीजनल इनबैलेंस को मिटाना पड़ेगा और यही नहीं अगर बिहार के मुख्यमंत्री जी का सपना है कि वर्ष 2015 तक हम बिहार को विकसित राज्य बना देंगे, आप कहां से बना दोगे?

कैसे बना देंगे? कोई मशीन है जो बना देंगे? कैसे बनाएँगे? हम लोग देहात में गाय, बकरी चराते थे तो बोलते थे,...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

श्री लालू प्रसाद : अरे सुनिये ना पहले आप।

सभापति महोदय : आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं।

श्री लालू प्रसाद: तो सुन तो लीजिए।

सभापति महोदय : मैं तो सुन रहा हूँ।

श्री लालू प्रसाद : महोदय, यह ठीक है कि हमारी पार्टी हार गई लेकिन हमारे यहाँ से निकले हुए लोग ही वहाँ बने हुए हैं। ठीक है, अच्छी बात है, शुभकामना है। लेकिन महोदय, जब गाय, भैंस बकरी चराते थे तो कान में अंगुली डालकर हम बोलते थे - ' *एक बीर चले अकुलाई*' यानी हड़बड़ा कर एक बीर चला तो '*अस्सी कोस जमुना का तीर*' – वह बीर कितने दिन में पहुँचा? बिहार इतना ही अस्सी कोस पीछे है और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र कितना आगे हैं - हम दिन भर चलते हैं तो जौ भर आगे बढ़ते हैं। जौ - जिसका बारले वाटर बनता है। कैसे विकसित राज्य बना देंगे? इनका ग्रोथ रेट है छः या सात और बिहार में जो ...* कुछ लोग हैं, वे बोलते हैं कि 11 परसेंट है। ...(व्यवधान)

प्रो. रंजन प्रसाद यादव (पाटलिपुत्र): बिहार जो पिछड़ा रहा, उसका कारण कौन था? ...* ...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (सारण): उस में ...*

सभापति महोदय : यह सब रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*(Interruptions) ...**

श्री लालू प्रसाद : आप बैठो। आप फालतू बात करते हैं। ...(व्यवधान) * ... * ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : रंजन जी, आप बैठिये। लालू जी, आप आसन को संबोधित करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : ये सब बातें रिकार्ड में नहीं जाएँगी।

*(Interruptions) ...**

सभापति महोदय : लालू जी, आप आसन की तरफ देखिये। मैं तो उनको मना कर रहा हूँ लेकिन आप उनको देखकर बोल रहे हैं, मैं क्या करूँ?

(Interruptions) ...

सभापति महोदय : ये सारी बातें रिकार्ड में नहीं जाएँगी।

*(Interruptions) ...**

सभापति महोदय : अब कनक्लूड कीजिए।

श्री लालू प्रसाद : क्रेडिट डिपॉज़िट रेशियो बिहार का हमको मिलना चाहिए। स्पेशल कैटागरी हमें दो। ...(व्यवधान)

---

* Not recorded.

सभापति महोदय : अब कनक्लूड कीजिए, पंद्रह मिनट हो गए हैं।

श्री लालू प्रसाद : और बीच में ये जो बोले थे ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : वह एक मिनट था। पंद्रह मिनट हो गए हैं।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : आपको मालूम है इस आदमी के विषय में? ...*

...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please maintain decorum.

श्री लालू प्रसाद : महोदय, इसलिए स्पेशल कैटागरी का दर्ज हमें मिलना चाहिए। बिहार को मेनस्ट्रीम में लाना है तो छलांग लगानी पड़ेगी और बराबरी में लाना पड़ेगा। इस बराबरी के लिए मैं प्रणब बाबू से आग्रह करना चाहता हूँ कि बिहार की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। जब तक बिहार का आदमी आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक देश आगे बढ़ने वाला नहीं है। आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ऐसे ...* लोगों के आने से पंद्रह साल बिहार में कुछ नहीं हुआ। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह असंसदीय शब्द है, इसको एक्सपंज किया जाए।

* Not recorded.

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): Thank you, Sir, for giving me an opportunity to speak on the General Budget. I welcome the Budget for 2011-12.

Chairman, Sir, before dwelling into the General Budget 2011-12, presented by the hon. Finance Minister, I would like to highlight some of the welfare schemes being initiated and implemented by the Tamil Nadu Government under the dynamic leadership of Dr. Kalaignar for the past nearly five years for the upliftment of poor and downtrodden sections of our society.

The Tamil Nadu Government has presented its Interim Budget on 5th February, 2011 which contains a number of schemes aimed at ameliorating the problems of the poor and under-privileged sections of society. The DMK Government in the State has announced a major welfare scheme which targeted all sections of people, including Differently Abled Persons.

The DMK Government in Tamil Nadu has a vision to convert 21 lakh huts into concrete houses over a period of six years and the same is being implemented under Kalaignar Housing Scheme. Already more than 3 lakh concrete houses have been built and distributed freely to the needy and for the remaining 18 lakh concrete houses work is under progress in different parts of Tamil Nadu. During the current year a sum of Rs.1,800 crore has been allocated for converting nearly three lakh huts. It is certainly a major achievement of the Tamil Nadu Government headed by our beloved leader Dr. Kalaignar.

Another important achievement of the DMK Government in the State is in the health sector under the name and style of Kalaignar Health Insurance Scheme which will cover all the people whose annual income is below Rs.72,000 per annum, apart from more than 13 lakh government employees. This Health Insurance Scheme aims at extending medical assistance for major surgeries of critical illness to the poor people, government employees and their family members.

Many such People Friendly Schemes were implemented by the DMK Governments in the past and is being implemented presently. The founder leader of our DMK Party, Peraringnar Anna had once said that "*EAZHAIYIN SIRIPPIL IRAIVANAI KANBOM*" which means, "we can see God in the smile of poor". Our leader Dr. Kalaingnar, by implementing many welfare schemes as above said, as also giving rice at cheaper and unimaginable price of Rs.1.00 per kilogram, distribution of gas stove and colour Television freely, besides free clothes and shelters, translating the vision of our founder leader Peraringnar Anna into reality. Our leader Dr. Kalaingar considers this smile on the face of the poor and downtrodden as the major achievement of his Government as his Government has met with the three basic needs of any human being such as food, cloth and shelter.

I would strongly urge upon the Central Government to imbibe the achievements and good work being done by the DMK Government in Tamil Nadu and replicate the same at the Centre for the benefit of larger sections of people across the country.

I would like to say that the Budget for 2011-12 presented by the Finance Minister will take forward the country's economic growth at a steady pace.

The budget has schemes for increasing farm productivity, reducing wastage, improving storage facilities and providing credit to farmers. At a time when the farm produce prices are ruling high, the schemes listed out in the budget would result in increased farm productivity and control prices. It has also taken the welcome step of hiking the income tax exemption limit, as well as to carry out the caste-based census between June and September 2011.

In this Budget Agriculture sector has received a big boost again, as this Budget has given the farm loan target by Rs.1 lakh crore and also given further interest incentives to farmers if they pay timely repayment of loans. The Finance Minister has revised the agricultural loan target to Rs.4.75 lakh crore for 2011-12. Earlier, it was Rs.3.75 lakh crore. This would not only help the farmers to pay the loan in time but also give solace to the farmers who are facing the nature's wrath

almost every year either in the form of drought or floods. I would suggest that banks should make the terms and conditions simple so as to enable the farmers to get the loans without any difficulty. It is because of stringent formalities followed by banks, farmers are keeping away from banks and going after the moneylenders who take advantage of their ignorance and cheat them by charging high rate of interest.

Another important suggestion I would like to make is that Government should not import any agricultural produce when it is not required. If they do so, it affects the farmers very seriously. They will not be in a position to sell their produce at a better rate. I would go to the extent of requesting the Government to formulate a policy to the effect that unless it is essential, the Government would not import any agricultural produce.

The major components of the 2011-12 Budget relating to farming include bringing Green Revolution to the eastern region, integrated development of 60,000 plus villages in rain-fed areas, promotion of oil palm, increasing the production of fruits and vegetables and the promotion of nutritious millets like *bajra*, *jowar*, *ragi*, and initiation of a national mission for protein supplements through dairy farming, piggery, goat rearing and fisheries in selected blocks. Provision has also been made for accelerated fodder development programme and the promotion of organic farming methods. It is a welcome step that the Government proposed to attract private investment in agriculture sector. On the whole, the Budget contains several good proposals but it lacks a vision and a strategy for keeping farmers on the farm and for attracting and retaining youth in farming.

The major deficiency of this Budget is that it has not addressed two goals of the National Policy for Farmers placed in Parliament in November 2007. This policy calls for an income orientation to farming and the measurement of agricultural growth in terms of growth rate in the real income of farm families. Also it calls for an integrated action plan involving higher farm productivity and larger income to encourage youth farmers to take to farming as a profession.

It is unfortunate that in a year of emerging global food crisis and persistence of food inflation, an opportunity to accelerate agricultural progress and agrarian prosperity have been missed. The only hope for farmers is the enactment of a Food Security Bill which confers legal access to food. While the right to information can be implemented with the help of files, the right to food can be implemented only with the help of farmers.

I am of the firm opinion that population explosion is one of the main reasons for all our ills. If we can stop population explosion, we can easily take care of our people with the resources available with us. According to a report one child is born every 1.26 second in India. This is the highest in the world. 25 million children are born in India every year. It is also estimated that India would overtake China in a short span of ten years. How to stop population explosion should be the immediate task of the Central Government.

Health is one area in which India's position is not worthy to mention Though, we have made a great strides in the field of health, according to a report, more than 26 crore people cannot afford healthcare and the Government hospitals cater to only a quarter of the people who approach the Government hospital desperately without any source of treatment. The role of healthcare in improving a nation's wealth and spurring economic growth is well established. India is the among the fastest growing economies in the world and is poised to become the second largest economy in the world according to a recent report from PwC. India's Human Development Index score, weighed down by poor healthcare indicators at 119 out of 169 countries.

Several factors that contribute to poor healthcare indicators in India are:

- India's healthcare infrastructure is inadequate to meet the burden of disease. India has just 90 beds per 100,000 population against a world average of 270 beds

- India also has just 60 doctors per 100,000 population and 130 nurses per 100,000 population against world averages of 140 and 280 respectively
- Public spending on healthcare has also been less than 1% of GDP for the past thirty years

- India's healthcare financing mechanisms are poor with 66% percent of healthcare expenditure being out of pocket. World Bank estimates that 2.2 % of India's population (around 24 Million people) goes into poverty every year because of catastrophic health expenditure. Together, these factors result in a poor per-capita spending on healthcare.

In an effort to address, the problem of low public spending, the Government, in its Common Minimum Programme outlined in 2004, promised to increase public spending on healthcare to 2-3% of GDP by 2012. However, the allocation so far has not met with the need. So it needs to be increased.

Another thing which I would like to highlight here is about our children. The child protection Budget for a country of more than 440 million children had been as low as a mere 0.34 percent of the total Union Budget in 2010-11, which is perhaps why India has become a child trafficking hotspot. There has been a demand to invest at least 10 percent of India's Gross Domestic Product (GDP) in children's education and health as ignoring childhood poverty and education will affect the nation's economic standing.

The World Bank estimates that India is ranked 2nd in the world of the number of children suffering from malnutrition, The prevalence of underweight children in India is among the highest in the world, and is nearly double that of Sub-Saharan Africa. The UN estimates that 2.1 million Indian children die before reaching the age of 5 every years - four every minute - mostly from preventable illnesses such as diarrhea, typhoid, malaria, measles and pneumonia. Every day, 1,000 Indian children die because of diarrhea alone. Children with infections are more susceptible to malnutrition and the cycle of poverty and malnutrition

continues. Child malnutrition is responsible for 22 percent of India's burden of disease. Therefore, it is my humble request before the Government to enhance the allocation of fund for child protection substantially as we should not lose our children any more.

MR. CHAIRMAN : Please conclude now. You can lay your speech.

SHRI R. THAMARAISELVAN : Sir, I would just like to make two more points.

Education is another area, where we have to lay more emphasis in the years to come. Drop outs from schools have not reduced over the years. Innovative and effective steps should be made to ensure that each and every child, particularly from the underprivileged sections of the society and people living in despicable conditions attend the schools. If we provide education to one and all, there is no doubt our country would become a developed country sooner rather than later. I would like to suggest that a model school be set up in each and every district of the country; centers providing health care particularly to the needy and poorest of the poor should be started in the nook and corner of the country; proper roads should be laid in the remotest areas of the country so that people living in those areas would become part of the national mainstream.

Unemployment is one of the gravest problems India is facing not only today but for many years. New thrust should be given by the UPA Government to take the problem of unemployment with all its seriousness it deserves. Employment generation is to be given top priority. Jawahar Rozgar Yojana should be taken up with more vigour. It should be reviewed to see that whether it is moving on the right lines.

Tourism is another area where we can bring in more foreign exchange. Maintenance of historical sites along with improvement of infrastructure with low budget hotels, airports facilities and rail services would undoubtedly improve the inflow of foreigners. As you are aware that tourism is an industry which does not pollute but bring revenue for the country. But the present Budget

has not been well received by the captains of tourism industry as they allege that no good financial packages have been outlined in the Budget 2011.

Instead, the Government has increased Service Tax on essential components of tourism such as air tickets and rooms which will adversely affect the tourism industry and slow down its growth.

The UPA Government, of which DMK was a major alliance partner, had made great strides in every conceivable field in the past over six years. No section of the society is unhappy with this Government. The problems being faced by the common man is addressed in a befitting manner.

Sir, I thank you once again for allowing me to express my views on the General Budget debate. With these words, I conclude my speech and I support the Finance Bill.

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति जी, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है कि बजट पर अत्यन्त महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, लेकिन सदन में वित्त मंत्री एवं वित्त राज्य मंत्री उपस्थित नहीं हैं। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: When the Minister for Parliamentary Affairs is sitting here, he represents the Government.

… (*Interruptions*)

श्री निशिकांत दुबे: सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री अथवा वित्त से संबंधित मंत्री की अनुपस्थिति की बात कह रहा हूं। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I have myself said from the Chair that when the Minister for Parliamentray Affairs is sitting here, he represents the Government.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Sir, the hon. Finance Minister himself was here and the MoS is here. He has just gone out for half a minute and will be back soon. I am here and Shri Kamal Nath is here.… (*Interruptions*)

SHRI BANSA GOPAL CHOWDHURY (ASANSOL): Sir, I rise to participate in the discussion on General Budget today. While we are discussing the General Budget in the House, the whole country is facing a serious problem. The problem is related to price rise and inflation. Price rise is unchecked. The whole country is facing this problem. Some days back, when the hon. Union Finance Minister presented his Budget here, lakhs of people from different parts of the country came here, particularly the workers from the private sector, public sector and unorganized sector, to demonstrate in front of the Parliament House and they were very eager to show their protest in Delhi regarding the living conditions of the people of our country which are very poor now.

Sir, I would like to know what steps the Government is going to take in order to combat inflation. There is not even one concrete step that is being stated here to combat inflation. In the Budget speech, the hon. Union Finance Minister has not mentioned any concrete step to check and ban speculation of essential commodities. Its value has reached about Rs. 15 lakh crore a year. Forward trading has become a serious problem and today, the value traded in the forward trading and commodity exchange is 1.5 times the value of our Annual Budget. This is the real economic scenario when the Government is placing the Economic Survey in the Parliament for the welfare of the country men.

16.59 hrs (Shri Arjun Charan Sethi *in the Chair*)

Why would anybody invest in speculative trading unless he makes profit out of it? Everybody knows that without any profit, no one would enter speculative market.

Another aspect is that, there is no mention about strengthening of the Public Distribution System. It is a fact that you have got 2.5 times excess food grains in your godowns. What is the verdict of the Supreme Court in this regard? The Supreme Court has directed the Government to distribute these food grains to the common people of the country. But the Government is silent on this direction of the Supreme Court. Where will people go?

Regarding the price rise, I would like to say that everybody is surprised that the Government has de-regulated the price of petrol. As a result of this, what have we witnessed? We witnessed that petroleum prices have been hiked seven times in the last eight months. At the time of de-regulating the petrol prices, the assurance that was given to the Parliament and to the country was that there would be a re-look at this tax structure. But there is no re-look at the tax structure. Later on I will talk about the position of direct taxes and indirect taxes in our country. The *ad valorem* tax on petroleum continues. Today, we are told that that more than Rs. 2 lakh crore is being collected as revenue from the petroleum sector. The petroleum prices are de-regulated; prices of these products are increasing; the Government is collecting Rs. 2 lakh crore from the petroleum sector; and what is surprising is that the entire burden is being transferred to the people of the country. This is the fun which is going on in the Union Budget, and this is the fun which is going on in the whole country.

The Government should study the United Nations' Special Report on the Right to Food. It has stated that 70 per cent of the rise in global prices of food is because of speculation. We must learn at least from that. Our country should learn and the Government should learn from that. The Union Budget should be aimed in that direction. Will you ban speculative trading? Is there any specific direction in the Budget? The answer is "No." Will you restructure the tax system in the petroleum sector so that the rise in the prices of petroleum products could be checked. There is no specific direction in the Union Budget.

The Government is talking about the black money. We have heard about so many scams during this period. The entire country is ashamed of these scams. You have talked of black money when there is a lot of discussion going on about it. Now, you are talking about the formation of a Committee. What will that Committee do? Can it plug the avenues? Can it plug the sources? Can it stop the Mauritius route through which money laundering, black marketing, etc. take place? The Government has no policy regarding checks and balances for money

laundering. In other words, I would like to say the Government is "not discouraging" – this word I must use – the money laundering system in the country. That is why the Government is not going to stop these routs of money laundering. On the other hand, in the Budget the Government is announcing only about the formation of a Committee to check these types of activities in the country. This is not the question about the integrity of any individual. This is about the entire system. This is about the neo liberal economy of the country.

As you know, in the last Budget also, the Government declared for the disinvestment. The Government has declared to sell out the public assets. The Government has already tried to sell off the assets of Coal India Limited and other public sector undertakings. What is the benefit of doing this? I want to say here that the workers and the working class of the coal sector did not participate in it. … (*Interruptions*) You can see as to what has happened through this process. Before the Government was just to place the Budget, coal prices were hiked by the Coal India Limited. How is it possible that when the Government was going to place the Union Budget in the Parliament, before one or two days, more than 30 per cent coal price has been raised? There is no proper direction from the Government as to where the people will go and how the people will manage to earn something to maintain their livelihood.

I would like to mention another important point. How are we allowing our system to generate to such an extent? I believe the Government is gradually creating crony capital. They are promoting crony capitalism in India. It is this crony capitalism that is being nurtured and protected today which is leading to all the scams. Corruption today is siphoning off of money that we can use to improve the livelihood of our people. You can imagine that Rs. 1,76,000 crore is equivalent for two years of providing food to the poor. According to Shrimati Sonia Gandhi headed National Advisory Council's estimate, you would require Rs. 88,000 crore to provide 35 kgs of foodgrains to every family in our country including all the APL families; Rs. 35,000 crore is required annually as per the

Planning Commission for new school buildings, to recruit new teachers and for the Mid-Day Meal, etc. But the hon. Prime Minister is saying that he has chosen not to collect revenues because he wants to give incentives to corporate houses. It is very sorry to say that during the last three years, the Government has not collected Rs. 3,61, 415 crore from the corporates and individuals. This is from the budgetary statement of Revenue Foregone.

Sir, in conclusion, what I would like to say is that the Government should not allow the foreign capital for the banking sector, insurance sector and all these sectors which will ruin our economy.

Lastly, I would like to say that our hon. Minister of Finance is not only a knowledgeable person but he is also a very good engineer for the jote politics. He can organize the derailed bogies in West Bengal, but he cannot manage the dismal condition of the Indian economy.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, I would like to thank you very much for giving me the opportunity to speak on the General Budget.

I stand here to deliberate on the General Budget for the year 2011-12. At the very outset, I would like to say that there has not been, in recent times, a more complex economic situation combined with a more volatile political one for the Government to present the Budget. It is not a situation of economic crisis. Nor is it quite the situation of a political instability, but, and this is what makes it critical, it can quickly go that way. होते-होते रह गया है। The Members from that party are not present here. But what was transpiring two days before, it can go that way quickly and that is the critical mass which is actually hovering over the political system of this country. The overall situation of pervasive uncertainty and drift that engulfs the economy and the polity is far more difficult and complex to deal with than the crisis.

The Budget could have initiated definitive action on both fronts. Indeed the Finance Minister did set the objective right at the start of his speech. I quote: "I see the Budget 2011-12 as a transition towards a more transparent and result-oriented economic management system in India." The problem is that having said that, he did not back it with any credible plan. The closest that he comes to addressing the corruption, governance issue is to recall the earlier initiatives of securing a membership of the Financial Action Task Force of G-20 and concluding of the Tax Information Exchange Agreement and the Double Taxation Avoidance Agreements. These measures do not add up to a strategy to improve transparency. In fact, the Finance Minister spent more time talking endlessly on bamboo for *agarbattis*, lactose for homeopathic medicines and on sanitary napkins and diapers.

The Finance Minister made a reference to Goddess Lakshmi while tabling the Budget. Today is the International Day for Women. But he forgot about the centrality of women to a dynamic economic activity. The assessment of the Gender Budgeting Statement brought out by the Government shows that the total Union Budget outlay has gone up marginally from 6.1 per cent to 6.2 per cent. Is this adequate for them who constitute half the population and emerge a strong political force?

Sir, no new interventions have been introduced for women from the most-marginalized sections: the tribals and the minorities. The Schemes meant for working women, *Swadhar* and *Priyadarshini*, have all registered a decline in the allocation from the last year. The only silver-lining appears for the Anganwadi workers whose salaries have been doubled, of course, with all constraints.. But that closes the option of recruiting a second Anganwadi worker for now. Here, I would like to mention that the Anganwadi workers are devoted to the children who are above three years. We have to look after the children who are below three years. There was always a need, a demand from a large number of Non-Governmental Organizations to appoint a second Anganwadi worker especially to look after these children. They are the ones who will look after these children.

Who will look after these children? But by doubling this, which was a necessity, we have closed the appointment of another Anganwadi worker in the Anganwadis.

About 29 lakh credit linked women Self Help Groups that depend on micro finance institutions got some relief, no doubt, but without any regulatory body for micro finance institutions, one does not know how it is going to work.

The worst hit by the rising inflation, the housewife, received no relief from the Budget adding to her woes. Travel and eating out will cost more.

Allocations for social sectors have increased by 17 per cent. But public expenditure on health hovers around 1 per cent of the GDP or half the expected outlay. National Rural Health Mission's absorption capacity is considerably higher now and hence a much higher level of public health spending can be absorbed by it. We need to provide for major increases year after year to this sector so that the public health spending reaches at least 3 per cent of GDP by 2015.

The increase in the education sector budget is welcome, but we would like to see more quality upgradation funds for primary schools. We need to start looking at learning and teaching outcomes. In his book, '*Imagining India*', the writer Shri Nandan Nilekani mentions; "India may have a huge demographic advantage in the form of world's largest young population, but this can turn into a disadvantage if we fail to educate them properly". Right now, we are nowhere close to providing a suitable education to our children, especially during their formative years. This is a privation that is bound to upset the rosy picture of 9 to 10 per cent GDP growth rates.

Controlling inflation, reining in fiscal deficit, searching for ways to unearth black money and managing social and infrastructure sector outlay to maintain the growth momentum is the Finance Minister's priority. But lack of extensive and effective irrigation network on the one hand and absence of a marketing infrastructure on the other are dual curses on the rural supply and demand chain. It should be clear to all by now that distributional constraints are more responsible for food insecurity suffered by crores of people in this country than low rate of farm production. Recent RBI data shows that while a total FCI stock of around 55 million tonnes of wheat and rice are lying over the last five months, the off-take has been only around 2 million tonnes. Naturally, this has raised open market prices. Still 60 per cent of agricultural land across the country has not been integrated with any irrigation grid.

Lack of adequate work has created much restlessness among the youth. India will continue to have a youthful population of 500 million in the next 15 years as compared to other emerging economies. But this can turn the situation into a nightmare in which semi-skilled and semi-literate young population may not find a place in the job market as manufacturing and service sector jobs are growing very slowly. The unemployment rate is now around 10.1 per cent in the rural areas and 9.4 per cent across the nation. This means that around 40 to 50 million youth are without jobs.

What will the young job seekers, in their 20s and 30s, do? This task of educating and training the young to the labour force cannot be left to the private sector alone.

We are in the middle of demographic dividend situation. Unless we invest now and train our youths, demographic dividend will pass by. Vocational training scheme is being revamped and there has been a mention in the Budget also on that. But the cause of concern is who are going to train the youths and make them skilled? Have we taken adequate steps to train the trainers?

It is said that there are three India now. One is affluent India with more millionaires than in the United Kingdom. There are 69 dollar billionaires compared to Britain's 29. We have one middle India and the bottom of the pyramid, that is, the other India. Each with different incomes, each with different concerns and each significantly have different footprints.

Affluent India is a major investor. Let me look at it in a positive way. They are the major investor in the Indian economy. They are a very relieved lot. There are no major taxations for them in this Budget; proposals are limited, share markets have moved out. Middle India is the engine of consumption economy, reeling under huge inflation, especially, food. The Rs.2000 IT reduction looks pitifully small – it is not Rs.2000, but it will be Rs.1700 to be precise – when you have to pay higher taxes on branded apparels, hospitals, insurance and aircraft.

The bottom of the pyramid segment is the future growth of Indian consumer market. Food inflation has hit very hard here.

Promise of leakage free transfer of subsidies to recipients is in the air. With the proposal to move towards direct tax transfers, this Budget has but upfront the agenda of reforms in the public sector delivery. The attractiveness of such transfers lies in the beneficiary getting what is due to him directly without any intermediary. Therefore, in theory, maybe there is more to cash transfers than it suggests.

Evidence of leakages in PDS has often been cited to argue the benefits that would accrue with cash transfer. The *Economic Survey* using National Sample Survey data has shown leakages to the extent of 40 per cent to 50 per cent in PDS, but has conveniently ignored the success stories that leakages were almost nil in 2007-08 in Tamil Nadu and Chhattisgarh. Tamil Nadu achieved this simply by not targeting and in Chhattisgarh near universal PDS average led to negligible leakages.

MR. CHAIRMAN : You have little time now.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Yes, I know, Sir. We have some idea of the extent of leakages in social pension schemes and Indira Awas Yojana, which are cash transfer programmes. Leakages do take place in these programmes. Actually, the problem lies not in what form the subsidy takes but in identifying the right beneficiaries since cash is fungible and can be used for various needs. There is greater incentive to subvert the system in the case of cash transfer than with direct provisioning of subsidies.

I would suggest that direct cash transfer should be an option not the alternative to the targeted PDS.

The Budget does not offer a prescription to address the problem of rising oil prices. The Finance Minister hopes to bring down the fiscal deficit from 5.1 per cent of the GDP to 4.6 per cent, but rise in crude prices could belie his expectation. Unless the Government reduces the duties on petroleum products and

also persuades the State Governments to forgo some part of the revenue, this will have a cascading effect.

The hike in iron ore export duty is to gradually restrain the export of iron ore, a crucial raw material for domestic industry. Should we continue to export iron ore or conserve it for future? That is a question which is being discussed in our country. What to do with 200 million tonnes of iron ore we produce now, while domestic demand at present is less than half of that? Through this Budget, the Government has put domestic mining companies and exporters on notice that the liberal policy of iron ore exports would be progressively tightened. At the same time, the export of value-added iron ore in palletised form, free of export tax, is going to help exporters realise higher prices from the overseas market. It is therefore desirable that a part of the revenue generated from export duty is specifically earmarked for development activities, including greening of the mining areas, mining safety, and mine workers' welfare.

The Government has adopted a five-point strategy to deal with black money. Illegal outflows make up 72 per cent of India's estimated underground economy. However, taxmen should nab evaders through intelligence and creative use of information technology rather than through raids and searches that are archaic, blunt instruments in law enforcement.

The major components of the 2011-12 Budget relates to farming including bringing Green Revolution to the eastern region, integrated development of 60,000 pulses villages in rain-fed areas, and promotion of oil palm. These are the three components; and there are some more provisions which the Finance Minister has mentioned in the Budget. The Finance Minister has also proposed some of the subsidies like the one relating to fertilizer and kerosene will be paid to the farmers directly. Excise duty has also been reduced in the case of equipment for drip irrigation. These are welcome steps. A welcome step is the creation of the Women's Self-Help Group Fund with an outlay of 500 crores of rupees. If this is linked to the Mahila Kisan Programme, it will have an impact on rural income.

On the whole, the Budget contains several good proposals but it lacks a vision and a strategy for keeping farmers on the farm and for attracting and retaining youths in farming. While the Finance Minister is emphasising the need for reaping a demographic dividend from our youthful population, where is the strategy or programme for attracting and retaining youth in farming? Most of the farm graduates seek employment in the organised sector and are not interested in agriculture.

The major deficiency of this Budget is that it has not addressed the two goals of the National Policy for Farmers placed in Parliament in last November 2007.

This Policy calls for an income orientation to farming and the measurement of agricultural growth in terms of growth rate… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please do not look at them. Please address the Chair.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): There are two goals which have been set up since 2007 by Dr. Swaminathan, and they are a part in the public domain. Did the Budget look at those aspects? That is my last point which I was harping on.

This Policy calls for an income orientation to farming and the measurement of agricultural growth in terms of growth rate in the real income of farm families. That has not been done.

Also it calls for an integrated action plan involving higher farm productivity and larger income to encourage young farmers to take to farming as a profession.

I would say that in a year of emerging global food crisis and persistence of food inflation an opportunity to accelerate agricultural progress has been missed. Here, I would conclude by referring to page no. 41 of the *Economic Survey* 2010-11. I would like to quote the idea that has been put forth in the last paragraph of the *Economic Survey*:

> *"*For India to develop faster and do better as an economy, it is therefore important to foster the culture of honesty and trustworthiness. … *"*

I hope, and I only hope, that with all the scams that Shri Bansa Gopal ji has just mentioned, with all that is happening around us in our country, with all that has happened in the past or will happen in future, there have been some suggestions in this Economic Survey as to how our society should develop. I hope, Members sitting here, who have been discussing this Budget, will carefully read the second Chapter of the *Economic Survey* and try to find out where they stand, what is their view, and how they behave with the situation that is prevalent here today.

With these words, I conclude.

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJI (SHIRUR): Mr. Chairman, Sir, I am grateful to you for giving me this opportunity to present our views on the Union Budget 2011-12.

Last year was marked by unsavoury scandals, deficit of public confidence in the UPA Government and burdensome inflation. The public was looking at this Budget for major relief. Sadly, the hon. Finance Minister has delivered a Budget which belies public expectation. At its best it makes some cosmetic changes.

During the last nine to twelve months, the prices of all the essential commodities and agricultural produce have shown immense volatility resulting in great discomfort to the public. This has also hit the farmers. The Finance Minister has spoken about it in the Budget and sought to take some corrective measures.

Under the blockhead 'Agriculture', the Finance Minister has referred to agriculture development being central to our growth strategy. He has listed multi-pronged measures that focus on agricultural growth. I come from agricultural background and I am actively engaged in regeneration of rural community. I would sincerely wish that the vision which the Finance Minister has unfolded here bear success.

But there is one component, which does not find any mention in his Speech and it is about improvement. No steps have been taken on improving the quality of soil and seeds in the country. We believe that without proper water and soil management, yields will continue to languish in the country and we will lack the agricultural productivity.

As a part of agricultural growth, the Government has raised its credit flow to farmers to Rs. 4,75,000 crore. It has also increased interest rate subvention from two per cent to three per cent thus bringing down the effective rate to four per cent. The interest rate subvention is applicable subject to farmers paying their dues on time. The Government has also promised to contribute about Rs.10,000 crore to NABARD as Short-Term Rural Credit Fund. As we all know, agriculture

is highly risk prone and subject to natural calamities. Besides interest subvention, there should have been provisions for waiver of their loans.

Now, I would like to come to electronic hardware and computer industry. India enjoys global reputation as a software power. Conducive policies such as tax holidays and export benefits as incentives, has played a major role in achieving consistent growth for the Indian software industry. This contributes substantively to India's GDP. We can do a similar exercise in the promotion of electronic hardware industry. I would like to remind the Ministers from the UPA Government here that when the late Rajiv Gandhiji was the Prime Minister, he had announced a policy in this regard. When the Central Excise Duty on computer and electronic hardware was 22 per cent, he had brought it down to zero per cent, just to promote the electronic and computer industry, which grew during that time immensely. The electronic hardware industry is such an industry, which can generate a lot of employment – not only the skilled employment but also the semi-skilled employment. The economies of the countries like China, Taiwan, Korea and South Korea have grown just because of the promotion of their electronic hardware industry. Hence, I would request the hon. Finance Minister to bring down the excise duty and some of the taxes, specially for electronic hardware industry to zero so that this industry grows and our economy grows like that of South Korea, Hong Kong and Taiwan.

Now, I would like to come to certain Centrally-funded Government schemes, which are not being implemented properly; and thereby, the intended benefits of the schemes do not reach to the poorer sections of the society. There is a rampant corruption in the selection of the Anganwadi Workers. Their appointment is done by the local MLAs or the representatives appointed by the Guardian Minister of the State without consulting the local Member of Parliament. This situation should be avoided. The local Member of Parliament should be consulted while making these appointments.

Mr. Chairman, Sir, the Central Government initiates several developmental schemes, which need to be implemented at the State level. On many occasions, the local MP has to work hard to get the funds from the Central Government, allocated under appropriate schemes. But it is the local MLA and the State Authorities, who take crucial decisions and oversee the implementation of the schemes. Under the JNNRUM scheme, the Urban Development Ministry has been spending thousands of crores of rupees on several urban developmental projects. But it is the local Guardian Minister, MLAs and the State Government Authorities, who take the call on what projects should be taken and considered. This amounts to a gross neglect of the local MP. Hence, I would request the hon. Finance Minister and the relevant Ministers to implement the schemes in such a way that the sanctity and status of elected Member of Parliament is maintained. In certain parts of urban Pune, which fall under my Constituency, major projects like SRA, BRTS and water distribution schemes are being implemented. For these initiatives to be really effective, it is imperative that the local MP has a decisive say in the implementation of the schemes.

Mr. Chairman, Sir, the PMGSY, *Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana*, is a 100 per cent Centrally-funded scheme, which provides all-weather road connectivity in rural areas. This has been one of the few successful schemes and has managed to make progress in giving connectivity to far flung areas by providing good quality road.

My constituency in Maharashtra, Pune has immensely benefited from the successful implementation of this scheme. In order to further take the road connectivity to rural India, we need to increase the scope of this scheme by even bringing those villages which fall outside the core network. There is an urgent need to relax the existing norms of implementing the PMGSY scheme to bring in more and more remote villages to the road network. There are different scales for implementation of PMGSY among the States. As of now, the tenth phase of the PMGSY scheme in Maharashtra is not sanctioned whereas many States have

already completed the work of tenth phase and eleventh phase. So, I would like to request the Central Government to sanction the tenth phase of the PMGSY scheme from Maharashtra which is under consideration.

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। एमपी लैड स्कीम कोई नयी स्कीम नहीं है। 15-20 सालों से चलती आयी हुई स्कीम है और इस स्कीम के जरिये गांवों गांवों में, बस्तियों में, लोकल एमपी के द्वारा बहुत सारे अच्छे काम किये जाते हैं। पता नहीं कुछ मीडिया के लोग या कुछ विशेषज्ञ ऐसा समझते हैं कि एमपी लैड स्कीम का मतलब भ्रष्टाचार है। मैं नहीं समझता। कई ऐसे एमपीज हैं, उदाहरण के लिए मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, मेरे घर पर...(व्यवधान) हर एमपी के घर पर रोजाना 100-200-500 लोग इस आशा में आते हैं कि एमपी साहब की तरफ से हमारे गांव में कुछ पानी की स्कीम हो जाएगी, कुछ पाइप लाइन की स्कीम हो जाएगी, कुछ छोटी सी रोड हो जाएगी। कई ऐसी योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट के प्लान में नहीं आतीं। उदाहरण के लिए राज्य सरकार के पास अगर कुछ स्कीम के लिए एप्लाई किया जाए तो उसमें मंजूरी के लिए समय लग जाता है। सारे रोड्स या ये काम नॉन-प्लान होते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करूंगा कि या तो एमपी लैड स्कीम पूरी बंद कर दीजिए या कम से कम 8-10 करोड़ की तो होनी चाहिए।...(व्यवधान) बढ़ती महंगाई के साथ 2 करोड़ का मूल्य पर्याप्त नहीं है। कम से कम 8-10 करोड़ रुपया होना चाहिए। महाराष्ट्र में लोकल विधायक को डेढ़ करोड़ रुपये का फंड मिल जाता है। उससे 6 गुना हमारा चुनाव क्षेत्र होता है। इसलिए सरकार से मैं विनती करूंगा कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाए। I would like to come to another important point. In a year of high inflation and record food prices, the Government should have done something substantial by widening the tax limits and increasing the exemption rate. An exemption limit up to Rs.2 lakh to Rs.2.5 lakh would have brought welcome relief to the *aam aadmi.*

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Listen, the hon. Minister is sitting there. The Minister of State is sitting there. He is taking note of your point. Please conclude.

… (*Interruptions*)

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए। आपकी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी। केवल शिवाजी साहब की बात ही रिकार्ड में जाएगी।

श्री अधलराव पाटील शिवाजी (शिरूर): आदरणीय वित्त मंत्री जी अभी यहां आए हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आनरेबल मैम्बर को बोलने दीजिए। क्या अभी कोई घोषणा हो सकती है? वे रिप्लाई देंगे या नहीं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। आप ऐसे मत कीजिए।

...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : It would not go on record.

(Interruptions) ...[*]

श्री अधलराव पाटील शिवाजी : मैं आदरणीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में हर एमएलए को डेढ़ करोड़ रुपए सालाना लोकल एरिया फंड उपलब्ध होतो है। झारखंड में तीन करोड़ रुपए है और झारखंड में और भी ज्यादा है। मैंने हाउस में विनती की है कि इसे या तो पूरा बंद कीजिए या 8-10 करोड़ तक सीमा बढ़ाइए। एमपीज़ के घर लोग आते हैं, लिटरली टैम्पो या ट्रक में बैठकर 50 लोग आशा से आते हैं और कहते हैं कि गांव में पानी चाहिए।

सभापति महोदय : आप तो रिपीट कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री अधलराव पाटील शिवाजी : मुझे पूरी आशा है कि माननीय वित्त मंत्री जी इस समस्या को पूरी तरह समझकर एमपीलैड का फंड कम से कम 8-10 करोड़ रुपए करेंगे।

सभापति महोदय : श्री संजय सिंह चौहान।

श्री अधलराव पाटील शिवाजी : महोदय, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी को दिए गए समय से आपने पांच मिनट ज्यादा ले लिए हैं।

श्री अधलराव पाटील शिवाजी : महोदय, मैं दो लाइनों में अपनी बात कह दूंगा। मुझे आशा है कि 25 बैड से ज्यादा के अस्पताल, जो एयरकंडीशन्ड हैं, उन पर सर्विस टैक्स के बारे में आदरणीय मंत्री जी जरूर विचार करेंगे।

जहां तक ब्रांडिड गारमेंट्स पर एक्साइज ड्यूटी की बात है, इंडिया में गारमेंट इंडस्ट्री की बहुत बुरी हालत है। They are trying to compete with the world market. I would like to request the hon. Minister to roll back the 10 per cent Excise Duty on branded garment.

---

[*] Not recorded.

Overall, the Budget is a non-event and has not taken any step to ease the burden of *aam admi.*

श्री संजय सिंह चौहान (बिजनौर): सभापति महोदय, मुझे बहुत लंबी चौड़ी टेक्नीकल स्पीच नहीं देनी है, मुझे आम आदमी की भाषा में अपनी बात कहनी है। जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत उम्मीद के साथ वोटर्स कहते हैं कि इस मुद्दे को संसद में उठाना। उन्हें लगता है कि संसद मे मुद्दा उठाएंगे तो वह हल हो जाएगा। माननीय मंत्री जी पहले भी बैठे थे तो वे सुझाव नोट कर रहे थे। लेकिन दुखद स्थिति यह हुई कि उन्हें किसी काम से जाना पड़ा। बाकी मंत्री जो यहां बैठे थे, जिनका नाम भी आपने लिया था, माननीय सदस्यों ने जो कहा, उन्हें जो भी जरूरी लगे उसे नोट करके मंत्री जी के सामने जरूर रखना चाहिए।

सभापति महोदय : वे नोट कर रहे थे।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: We are doing it. We are taking note of it. Even if I am not here, even if I am in my room, I am watching it on the television. Sometimes I have to go to my room to discharge some important business. I can assure you that all the points which you are making are taken due note of by my colleague, whoever is sitting here.

SHRI SANJAY SINGH CHAUHAN : Thank you, Sir. मैं छोटी सी बात कह रहा हूं कि समस्याएं रखी जाती हैं जैसे सड़क नहीं है, नाली नहीं है, नहरों में पानी नहीं आता, हैंडपंप नहीं हैं, स्कूल में टीचर्स नहीं हैं, स्कूल की छत नहीं है। मेरा कहना है कि अगर जवाब में सिर्फ ये कहें कि जीडीपी बढ़ रही है।

जीडीपी बढ़ रही है। Sir I am not a very technical man. Basically I am an advocate. मैं तर्क के आधार पर एक बात कहना चाहता हूं, जो चीज़ आम आदमी को दिखाई दे रही है। माननीय मंत्री जी जमीन से जुड़े हुए हैं। इस देश के नेता हैं। मैं मोटी सी बात कहना चाहता हूं कि किसान को ट्रैक्टर देने के लिए क्या सुविधा है? कारों से यह देश पट गया। एक घर में मां के पास अलग कार है, बेटे के पास अलग है, बहू के पास अलग है। हमारी गवर्मेंट ने कारों को बढ़ावा देने के लिए पूरी उदारता दिखाई है। बैंकों ने लोन देने में पूरी उदारता दिखाई है। आप ट्रैक्टर के केस मंगवा कर के देख लें कि कितने ट्रैक्टरों के लेनदारी में किसानों की जमीनें नीलाम हो गईं। क्या जैसी कारों लिए आसान पॉलिसी है, जैसी कंप्यूटर के लिए आसान पॉलिसी है, जैसी मोटर साईकिल के लिए आसान पॉलिसी है, ऐसी ट्रैक्टर्स के लिए या एग्रीकल्चर इक्युपमैंटस हैं, हैरो है, टिलर है, रोटेवेटर है, उनके लिए क्यों नहीं हो सकती? किसान क्रेडिट कार्ड बना है, मैं आपके माध्यम से आदरणीय वित्तमंत्री जी का स्वागत करूंगा कि सब्सिडी खत्म करने की बात हो रही है। सब्सिडी को अगर किसान क्रेडिट कार्ड की ही तरह बनाया जाए, जैसे एक उदाहरण है कि यह किसान है उसी के आधार पर डायरेक्ट किसान की सब्सिडी खाते में जो भी तय करें वह जमा करा दें।

अरबपती लोग उस सब्सिडी का फायदा उठा रहे हैं, इस चीज़ से बचने की कोशिश होनी चाहिए। एक्ज़ैक्ट आदमी की पहचान हो जाए। क्या ऐसी पॉलिसी माननीय वित्तमंत्री जी नहीं बना सकते हैं? यह तय हुआ था रेल के लिए माननीय ममता बनर्जी ने कल भी कहा। क्या रेलवे को जो इस देश का इतना बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर है उसको आप ज्यादा पैसा नहीं दे सकते? जैसे मनरेगा स्कीम है। मनरेगा के बारे में सारे हाऊस ने चिल्ला-चिल्ला कर कह रहा है। हमने अगर कोई योजना बना दी तो इसमें बेइज्ज़ती नहीं होगी कि उसकी समीक्षा दोबारा कर लें। सारा पैसा मिट्टी में मिल गया, मिट्टी में चला गया। उसका मैटीरियल कंपोनेंट नहीं बढ़ने में आ रहे हैं। वह पैसा सही हाथों में नहीं जा रहा है। हम बार-बार चिल्ला के कह रहे हैं कि पेमेंट विदाउट प्रडक्शन हो रहा है, लोग काहिल हो रहे हैं, कामचोर हो रहे हैं, 41 हजार करोड़ रूपया उसका उसमें जा रहा है। अगर इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए पीएमजीएसवाई स्कीम थी। मुझे याद नहीं आ रहा है कि किस सरकार की योजना थी। न मैं पक्ष में बोल रहा हूं, न विपक्ष में। वह बहुत शानदार योजना थी। लेकिन आज उसे बिल्कुल अनदेखा कर दिया गया है। जो सड़कें बनी थीं, वे टूट कर पत्थर हो गई हैं। लेकिन पीएमजीएसवाई का कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि स्टेट और सैंट्रल रिलेशन्स का आपसी कोर्डीनेशन नहीं है। सारा काम रोक कर सदन में चर्चा कराई जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी मीटिंग बुलाते हैं लेकिन बहुत से प्रदेशों के मुख्यमंत्री उस मीटिंग में आते ही नहीं है। राजीव गांधी परियोजना, बिजली परियोजना साढ़े सात हजार करोड़ रूपए दिए गए। हम चिल्लाते-चिल्लाते थक गए। इतना ही कर देते कि एक सांसद को कह देते कि बीस गांवों का काम डायरेक्ट तुम करा लेना। तो हम कम से कम उसे दे तो देते। हम कहते हैं कि राजीव गांधी योजना के पैसे आए होंगे, वे जवाब देते हैं कि हमारे पास नहीं आए कोई पैसे। सब स्टेट्स में यह हाल है जहां गवर्नेन्स नहीं है। चार आल इंडिया इंस्टीट्यूट्स बनाने की बात हुई थी। आपके यहां आल इंडिया इंस्टीट्यूट का और सफदरजंग का आपके यहां क्या हाल है? देश के जो भी सरकारी अस्पताल हैं उनका यह हाल कि अगर आपको कैंसर डिटैक्ट हो गया है तो आपको ऑपरेशन की डेट छह महीने बाद की देते हैं । आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, तो चार महीने बाद की डेट देते हैं कि आप दोबारा दिखाने आ जाना। हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर टोटली फेल हो गया है। किसान की बात आप बार-बार करते हैं। किसान को तो आप जो सब्सिडी डायरेक्ट दे सकते हैं, वह दें। उसकी उपज का मूल्य सही मिले। ये बीच के दलाल और फॉरवर्ड ट्रेडिंग खत्म होनी चाहिए। इस बात पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और सख्ती से काम करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि बिना इकबाल के कोई सरकार चल नहीं सकती है।

एमपीलैड पर कितना खर्चा हो रहा है, जो लोग इतना शोर मचा रहे हैं? मैं बताना चाहता हूं कि हम सबको मिलाकर करीब 750 सांसद हैं। दो करोड़ के हिसाब से लगभग 1500 करोड़ रुपये बनते हैं। मैं दावे का साथ कह सकता हूं कि सिर्फ एक यही योजना है, जो सही तरीके से चल रही है और सब योजनाएं बेकार हैं। यदि 1500 करोड़ के बजाय आप इसे 15 हजार करोड़ कर दें तो इसका आपको डेढ़ लाख करोड़ रुपये के बराबर फायदा होगा और जहां आप डेढ़ लाख करोड़ रुपये लगा रहे हैं, वहां आपको 15 हजार करोड़ रुपये का भी फायदा नहीं होगा। यह क्लियर कट है, आदमी की जवाबदेही है। कोई सासंद बेईमानी नहीं कर सकता। अगर करेगा तो जनता हिसाब मांगकर उसका बिस्तरा बांधकर भेज देगी। इससे ज्यादा जवाबदेही का काम और कोई नहीं है।

मेरा निवेदन है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चार-पांच चीजें सड़कें, रेल, एमपीलैड आदि हैं, इन पर माननीय मंत्री जी पूरा ध्यान दें और जब वह जवाब दें तो हमने उनसे जो आशा बांधी है, वह किसी हद तक पूरी हो।

*DR. RATTAN SINGH AJNALA (KHADOOR SAHIB): Hon'ble Chairman Sir, I thank you for providing me the opportunity to participate in the debate on the General Budget, 2011-12. Sir, 63 years have passed since we attained independence. General Budget is presented every year in this august House. The first Budget presented after independence had a Budget outlay of Rs.193 crores. The population of India at that time was 135 crores. The Budget for the year 2011-12 has an outlay of Rs.12,47,944 crores and our population has increased by leaps and bounds to 120 crores. Sir, poverty has also increased considerably since we attained independence. There is rampant corruption everywhere. Hence, the Budget generally fails to make any positive impact on the common man.

Sir, I fail to understand as to whose interest is protected by this Budget presented by Hon'ble Finance Minister. The poor, the labourers, the farmers and the downtrodden will not gain anything from this Budget. This is a pro-corporate Budget. It caters to the affluent and rich sections of society. The poor and the downtrodden have been conveniently ignored in this Budget.

Chairman Sir, it is rather surprising that even after we attained our independence, poverty has increased sharply. The gulf between the rich and the poor has widened. Poor people have been left in the lurch. They are leading miserable lives and dying of hunger and starvation.

Sir, the majority of people in India live in villages. Agriculture or farming is the backbone of rural economy. But, the Government has turned a blind eye to their problems. Approx. 5000 tonnes of foodgrains rots in the Government godowns. This never reaches the needy and the poor. Last year, the Government had kept Rs.56,000 crores as food subsidies. However, for the construction of

---

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi

godowns, only a paltry amount of RS.40 crores was earmarked. This year, the Government has allotted 60,572 crores for food subsidies. Again, hardly 42 crores have been granted for the construction of godowns. It is evident that the priorities of the Government are lop-sided. Unless we have adequate number of godowns for the storage of foodgrains, these are bound to rot in the open. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please wait a second. Is it the sense of the House that the time for today's discussion should be extended till the business is over?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Let it be extended till the hon. Member completes his speech.

MR. CHAIRMAN: Then, the House will take up 'Zero Hour'

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

DR. RATTAN SINGH AJNALA (KHADOOR SAHIB): Chairman Sir, silos are constructed by rich contractors. Even this amount will go to these rich people. The poor farmers will not gain anything.

Sir, the cost of keeping the buffer stock of foodgrains safely is approx. Rs.11 crores per day. There is another stock of foodgrains which is in addition to the buffer category. The Government spends Rs.4000 crores annually for the maintenance of this stock of foodgrains. This stock sometimes rots. It is then of no use. However, the Government is not ready to distribute this stock of foodgrains to the poor and the needy. Hon'ble Supreme Court has had to intervene in this matter. However, despite the rulings of the Supreme Court, the Government has refused to abide by its directions.

MR. CHAIRMAN: Hon'ble member, just a second. It is the sense of the House that the time of this discussion may be extended by another five minutes, till the speech of Hon'ble member is finished. Then we will take Zero Hour.

DR. RATTAN SINGH AJNALA : Chairman Sir, the Government is spending a whopping sum of Rs.4000 crores for the upkeep of a stock of foodgrains that is in addition to the buffer stocks. This should be distributed among the poor and the deprived sections. The poor will get two square meals a day whereas the Government will be able to utilize Rs.4000 crores for some other purpose.

Sir, 7000 poor people die daily due to lack of food. Still, the Government is adamant and refuses to distribute additional stock of foodgrains among the poverty-ridden masses. Why is the Government so short-sighted? Why does it let the foodgrains rot instead of judiciously utilizing it for the poor?

Sir, the Government makes tall claims about the Minimum Support Price. The MSP of wheat is hardly Rs.1080 per quintal. This is a pittance. The farmer spends much more from his pocket per hectare. It comes out to be approx. Rs.48,756 per hectare, whereas the income of the farmer per hectare is only Rs. 45,665. The farmer suffers a loss. Who will compensate him for this loss? We have been demanding that the system of MSP should be done away with. Instead, it should be linked to the price-index. Let the price-index take care of it. MSP is a loss-making venture for the farmers. Every year, a measly amount of Rs.10/- or Rs.20/- is increased in the MSP. It is of no use.

18.00 hrs.

Sir, the Government announces the MSP of wheat at Rs.1080/- per quintal. However, wheat-flour is sold in the market at a rate of Rs.18 to Rs.25 per Kg. this actually means a loss of 213% to the farmers. Neither the farmer, nor the consumer benefits from this system. Only the middlemen reap all the profits. But, the Government conveniently looks the other way.

Sir, corruption is eating into the vitals of our society and economy. There is rampant corruption every where. According to one estimate, approx. Rs.90 lakh crores of Black Money is stashed in foreign bank accounts.

MR. CHAIRMAN Please conclude.

DR. RATTAN SINGH AJNALA : Since 1947, this Black Money is being stashed away in foreign bank accounts by offenders. The Government should approach the concerned countries and bring back this astronomical amount to India. Our entire Budget can become tax-free if the entire amount of Black Money is brought back to India and utilized judiciously. Why are we protecting these tax-offenders? Sir, prior to independence, the white people indulged in loot and plunder of the public money. After we attained independence, a class of our own country-men have started indulging in the same loot and plunder of public money. Nothing has changed.

Sir, this money belongs to the citizens of this country. This is the money of the poor Indians. This whopping sum must be brought to India and utilised for the welfare of the poor and mariginalised sections of society.

MR. CHAIRMAN Please wind up your speech.

… (*Interruptions*)

DR. RATTAN SINGH AJNALA : ...*

MR. CHAIRMAN : This is unfair.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Sir, this is casting an aspersion on the Chair.

सभापति महोदय : आपको मालूम है कि आपका एलॉटेड टाइम कितना है? आपका एलॉटेड टाइम चार मिनट है, लेकिन you have taken more than 15 minutes.

… (*Interruptions*)

DR. RATTAN SINGH AJNALA : Sir, kindly give me two minutes more.

Sir, Punjab has hardly 1.5% of the total land area of the country. However, we contribute approx 60% foodgrains in the central pool. It is by the dint of the sweat and blood of the hard-working farmers of Punjab. But, what have they got in return? Absolutely nothing.

---

* Not recorded.

Sir, all facilities are being given to Himachal Pradesh, J&K, Uttarakhand and Haryana. Their industries have been made tax-free. But, step-motherly treatment has been meted out to Punjab. As a result, our industries are in shambles or they have migrated to the neighbouring states to avail the benefits being provided there.

Sir, we in Shiromani Akali Dal, demand that there should be extension of such facilities from Ludhiana to Amritsar. Even this is not being done by the Government.

Chairman Sir, the water-table is rapidly going down in Punjab. The situation has assumed alarming proportion. In the times to come, we will be staring at an extraordinary situation of grave water-crisis. Time and again, we have demanded a special package for augmenting our irrigation system, but to no avail.

Sir, Punjab is reeling under the debt of Rs.70,000 crores. How has the situation come to such a pass? During the years of terrorism in Punjab, this amount was foisted on us. We fought the nation's battle against terrorism. Our people lost their lives in the war against terrorism.

MR. CHAIRMAN Please conclude.

DR. RATTAN SINGH AJNALA : Sir, the centre must waive off this entire amount of Rs.70,000 cores which has become a burden on Punjab. This is the least a grateful nation can do for Punjab.

Sir, the farmers are in a miserable condition. They are committing suicides. They are suffering massive losses. However, the Government has turned a blind eye towards their agony. The Government must give a compensation and relief package to the farmers of Punjab immediately. Their loans should be waived off. Who else will come to their rescue? Who else will provide relief and succor to Punjab?

Sir, I humbly appeal to the Hon'ble Finance Minister to provide justice to Punjab and to waive off the loan of Rs.70,000 crores that has become a burden and a drag on Punjab.

MR. CHAIRMAN: The remarks the hon. Member made against the Chair should not go on record.

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): महोदय, झांसी से छतरपुर रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग में ओरछा और खुजराहो पर्यटन की दृष्टि से दो महत्वपूर्ण केन्द्र हैं। यहां पर देशी पर्यटकों के साथ-साथ बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी पर्यटक सभी अन्तर्राष्ट्रीय देशों से यहां पर आते हैं। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत काफी खराब है। काफी लंबे समय से इसे फोर लेन एक्सप्रेस हाइवे बनाये जाने की मांग की जा रही है। कानपुर छतरपुर देवास राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 86 एवं झांसी छतरपुर रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 76 इन दोनों ही सड़कों का फोर लेन एक्सप्रेस हाइवे में परिवर्तन होने के लिये सर्वे हो चुका था। राजपत्र में प्रकाशन भी हो चुका था। छतरपुर में विभाग का ऑफिस भी कार्य कर रहा था। जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों को फसल बोने से रोक दिया गया था।

अभी कुछ समय पहले ऑफिस बंद कर दिया गया तथा 4 लेन एक्सप्रैस हाइवे का काम भी रुक गया है जिससे क्षेत्र की जनता में काफी आक्रोश है। एक तरफ सरकार बुंदेलखंड पैकेज के माध्यम से विकास की बात करती है, दूसरी तरफ प्रारंभ होने वाली सड़कों के निर्माण कार्य को भी रोक दिया जाता है। अतः मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि छतरपुर से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 86 एवं 76, इन दोनों पर जो 4 लेन एक्सप्रैस हाइवे का प्रारंभ किया गया था, उस रुके हुए कार्य को शीघ्रातिशीघ्र फिर से प्रारंभ करवाएँ जिससे इन दोनों पर्यटन केन्द्रों पर विदेशी पर्यटकों को आने जाने में सुविधा का लाभ मिल सके और क्षेत्र का विकास हो सके।

श्री के.डी. देशमुख (बालाघाट): आदरणीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत मेरा संसदीय क्षेत्र बालाघाट नक्सल प्रभावित जिला है। गत वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड में केन्द्रीय विद्यालय की स्वीकृति हुई जो पहली कक्षा से पाँचवीं कक्षा तक संचालित है। केन्द्रीय विद्यालय खुलने के पूर्व हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड में पहली से बारहवीं तक विद्यालय चलाया जा रहा है। इस विद्यालय में पढ़ने वाले पहली से पाँचवीं तक के बच्चों को सैन्ट्रल स्कूल में प्रवेश मिल गया परंतु छठी से बारहवीं तक के बच्चों को प्रवेश से वंचित होना पड़ा। कलैक्टर बालाघाट तथा हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड के ऑफिसर्स एसोसियेशन ने भी मानव संसाधन मंत्रालय से मांग की है कि वर्ष 2011 और 2012 में सैन्ट्रल स्कूल मलाजखंड में छठी से बारहवीं तक कक्षाओं का विस्तार किया जाना अत्यावश्यक है, तथा पहली से बारहवीं तक प्रत्येक कक्षा में दो दो सैक्शन बढ़ाए जाने की मांग की है। हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड स्टाफ का भार वहन करने को छोड़कर सैन्ट्रल स्कूल का सारा भार वहन करने को तैयार है तथा कर भी रहा है। अतः आपके माध्यम से मानव संसाधन मंत्री से विनम्र निवेदन है कि वर्ष

2011-12 में सैन्ट्रल स्कूल मलाजखंड में छठी से बारहवीं तक कक्षाएँ खोलने तथा पहली से बारहवीं तक प्रत्येक कक्षाओं के दो दो सैक्शन की स्वीकृति प्रदान करने के आदेश प्रसारित करने की कृपा करें।

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): I would like to draw the kind attention of the hon. Minister of Civil Aviation, through you, Sir, on an important issue regarding resumption of flight service from Chennai to Salem *vice versa.* After painstaking efforts and prolonged struggle, the Government has operationalised Salem Airport with a private airlines operating its maiden ATR Flight from 15th November, 2009 on Chennai-Salem-Chennai sector. Though flight timings is largely unsuitable to traveling public, there was good response and occupancy was in the range of 65 per cent to 70 per cent. Unfortunately, barely within one year, the airlines have chosen to suspend the flight services citing low seat occupancy factor. Salem is one of the biggest two-tier cities in Tamil Nadu. Withdrawal of flight service is likely to affect the region's prosperity. I feel there is an ineluctable need to resume flight services with slight modification in timings and put Salem once again in aviation map.

Trade bodies, industrial associations and frequent fliers have represented to me in this regard. I would rather request the hon. Minister of Civil Aviation, through you, Sir, to arrange and to facilitate the resumption of the suspended flight services. Besides, flight services, Salem may be operated during evening hours also, with the option of aircraft in the night, and also to resume flight services from Salem in the early morning.

I would also suggest operation of cargo service between Chennai-Salem-Chennai sector. I hope, my suggestion would be given due consideration. Thank you, Mr. Chairman, Sir, for have given this opportunity.

SHRI RAVNEET SINGH (ANANDPUR SAHIB): Sir, may I have the privilege to submit in this House, the concerns of small scale bus and truck body building units of the country?

There are close to 400 small scale bus and truck body building units operating in Punjab and across the country, providing directly and indirectly, livelihood close to five lakh people. Though they operate with limited capital, yet they have come of age, by technologically upgrading themselves and today, they are building the latest technology, full steel or tubular bus bodies from all wooden bus bodies, used to be built earlier.

This, in turn, speaks volumes of their commitment to produce safer public transport. They have achieved all this, on their own. Today, there is a sense of concern among them about the future of their units. They fear that they will have to ultimately close down their units in case the Bus and Truck Body Building Code AIS:052, AIS:093, which is proposed to be implemented from 01.04.2011, comes into force.

Through you, Sir, I would like to request the Government to take into account their concerns and allay their fears, before implementing the Bus and Truck Body Building Code AIS:052, AIS:093 so as to protect these small scale bus and truck body building units and livelihood of lakhs of people.

For ensuring broad based inclusive growth in the country, the UPA Government is doing a lot, not only to protect and strengthen the existing small scale units, but also to promote setting up of more such units. It is time that we help these existing units by providing them with world class research and development facilities and funds, so as to enable them to modernize themselves and compete globally.

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया।

महोदय, अखिल भारतीय सेवाओं में राज्यों का आवंटन लॉटरी से होता है। यह बहुत ही गलत मुद्दा है और इसके तहत बहुत सारे अभ्यर्थी प्रभावित होते हैं, इसलिए मैं इस मुद्दे को उठाना चाहता हूं। जिसके फलस्वरूप सभी श्रेणी, जिनमें सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी सभी राज्यों में जाते हैं। इस तरह राज्य आवंटन में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक प्रोबेशनरी पदाधिकारी की नियुक्ति अखिल भारतीय स्तर पर करते हैं। बैंक में जोन एवं राज्य का आवंटन लॉटरी के आधार पर न करके, श्रेणी के आधार पर किया जाता है। इसके फलस्वरूप अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के चयनित अधिकारी को राज्य से बाहर राज्य आवंटित किया जाता है तथा सामान्य वर्ग के पदाधिकारी को अपना राज्य आवंटित नहीं किया जाता है। हिन्दी भाषी राज्यों के अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारियों को गैर हिन्दी भाषी राज्यों में पदस्थापना के फलस्वरूप इन्हें 9 वर्षों तक भाषा की समस्या होती है, क्योंकि इनका टैन्योर 9 वर्ष का होता है। किसी राज्य में पी.ओ. की पोस्टिंग 9 वर्ष के लिए होती है। पांच वर्ष में इनकी परीक्षा होती है, जिसे भाषा की समस्या के कारण वे पास नहीं कर पाते हैं और जो अपने राज्य में रहते हैं, वे अपनी परीक्षाएं पास करके आगे बढ़ जाते हैं, जैसे- ए.जी.एम. इत्यादि बन जाते हैं। इससे उनकी दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अंतिम दौर में यह उनकी प्रोन्नति को प्रभावित करता है।

अतः आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि अखिल भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा की तरह राष्ट्रीयकृत बैंकों में पी.ओ. के रूप में जो बहाली होती है, उसका आवंटन भी लॉटरी से करने के लिए निर्देशित किया जाए।

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ज़ीरो आवर में बोलने के लिए समय दिया।

महोदय, विगत दिनों में हमारे क्षेत्र साबरकांठा में हमारे लोगों के साथ एवं हमारे साथ भी रेल विभाग के अधिकारियों ने दुर्व्यवहार किया है। उसके बारे में आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं।

महोदय, हमारे क्षेत्र से अहमदाबाद-हिम्मतनगर-उदयपुर रेल लाइन गुजरती है। वहां हिम्मतनगर से आगे विरावाडा रेलवे स्टेशन आया हुआ है, जिसके बगल में वांटडा नाम एक रेवेन्यू विलेज आया हुआ है।

महोदय, यह रेल लाइन बिछाते वक्त रेल परिवहन के लिए जरूरी जो जमीन संपादित की गई, उस वक्त गलती से वांटडा गांव का, गांव में आने-जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वह संपादित हो गया। गांव रास्ते से वंचित हो गया। आज 50 साल से यह गांव अपना रास्ता मांग रहा है, जो आज दिन तक नहीं मिला।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहता हूं कि हमने इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते गांव को रास्ता वापिस दिलाने के लिए बहुत प्रयत्न किए। रेलवे के अधिकारियों के आगे, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, रेल मंत्री जी के सामने और संसद में भी नियम 377 के अंतर्गत यह बात रखी, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। अंत में हमने गांव को न्याय दिलाने हेतु रेल विभाग को नोटिस देकर दिनांक 29 जनवरी से रेल रोको आंदोलन गांववासियों के साथ मिल कर शुरु किया तो रेलवे विभाग के अहमदाबाद-उदयपुर रेलगाड़ी को ही बंद कर दिया। पूरे 18 दिन तक हमारा शांत, अहिंसक सत्याग्रह चला, लेकिन कोई सक्षम अधिकारी हमारे साथ चर्चा करने हेतु नहीं आया। वे बोलते थे कि रेल सेवा बंद होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेल सेवा घाटे में चलती है। हम 18 दिन तक रेल पटरी पर बैठे रहे, बाद में 15 फरवरी से आमरण-अनशन की धोषणा की। हमारे साथ गांव की 50 महिलाएं एवं 70 पुरुष शामिल हुए। पूरे क्षेत्र ने एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। यह आंदोलन एक गांव तक सीमित न रह कर पूरे क्षेत्र का आंदोलन बन गया। तीन दिन के बाद बहुत लोगों की तबीयत बिगड़ी, हमें भी अस्पताल में भर्ती किया गया। तब चार दिन के बाद छोटी कक्षा के अधिकारी आए, वे बोले कि गांव की मांग सही एवं जायज है, लेकिन हमारे अधिकार की बात नहीं है। डीआरएम या जीएम ये निर्णय ले सकते हैं।

सभापति महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि डीआरएम, अजमेर हमारा फोन काट देते थे। हमारे साथी सांसद डॉ. किरीट सोलंकी, जो हमारे समर्थन में वहां आए थे, उनके साथ भी डीआरएम, अजमेर ने खराब व्यवहार किया। वे बोलते थे कि हमारे खिलाफ फरियाद करके हमारी ट्रांसफर करवा दीजिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या यह लोकतंत्र है? हमें अपने प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करना चाहिए? बीस लाख लोगों का जनप्रतिनिधि मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट होता है। उसकी सच्ची बात कोई नहीं सुनता तो आम आदमी की बात कौन सुनेगा। ऐसे ही अन्यायपूर्ण रवैये से नक्सलवाद का जन्म होता है। ये आंदोलन एक गांव का न बन कर पूरे क्षेत्र का आंदोलन बन गया। रेल

अधिकारियों के एरोगेंट एवं संवेदनहीन व्यवहार से हमें बहुत दु:ख हुआ है। मैं इनकी जांच करने की और दोषी अधिकारियों को दंडित करने की मांग करता हूं। धन्यवाद।

डॉ. भोला सिंह (नवादा): सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि इतिहास ने, समय और काल ने जिन्दगी के इस मोड़ पर पहुंचा दिया है कि बिहार में जो नवादा जिला है, वहां बीस लाख की आबादी है और क्रोनिक सुखाड़ का यह जिला है। जमीन के नीचे पानी का तल नहीं है। वहां जो नदियां हैं, अपर सकरी नदी, घाघरा, धनांजय आदि सारी नदियां सूखी हुई एवं प्यासी हैं। दस-दस किलोमीटर से महिलाओं को पानी लाना पड़ता है।

सभापति महोदय, आप यहां आसन पर बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से उनकी पीड़ा को, उनके दर्द की आवाज बन कर, उनकी आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं, उनके आंसुओं एवं मोती को सदन में रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं, भारत सरकार ने पिछले 30 वर्षों में इन नदियों पर नदी घाटी योजना बना कर कार्यवाही की थी, जो अभी तक अधूरी पड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि केन्द्र सरकार झारखंड की सरकार को भी बुला कर बात करे। नवादा प्यासा एवं भूखा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि समाज और सरकार ने इनके साथ ऐसा व्यवहार किया है, प्रकृति ने भी इन्हें दंडित किया है। बादल यहां नहीं आते, वे आसमां में नहीं घूमड़ते एवं उमड़ते। धरती जो मां बन सकती है, ये बादल के न आने के कारण रूखी पड़ी हुई है।

सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से भारत सरकार के माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहते हैं कि आप अपने स्तर से इसके लिए प्रयास करें, ताकि नवादा जिले की प्यास बुझ सके। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप संवेदना दिखाएं और इस समस्या का समाधान करें। नवादा की लगभग 20 लाख की आबादी बिना पानी के जिंदगी के लिए कराह रही है, उनकी जिंदगी को सुसज्जित करने, उन्हें मणिकांचन के संयोग से आद्रृत करने की जिम्मेदारी किस की है? मैं कहना चाहता हूं कि जिम्मेदारी आपकी ही है। सदन में हमने इस समस्या को प्रस्तुत किया है। सदन के प्रति आप जिम्मेदार हैं। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि ये जो सारी योजनाएं हैं, उन्हें वहां कार्यान्वित किया जाए और टैंकों के माध्यम से वहां पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाए।

महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी पीड़ा, उनके दर्द और कांपती हुई उनकी रूह की आवाज इस सदन में गूंजी है, आप उस पर ध्यान देंगे।

श्रीमती अन्नू टण्डन (उन्नाव): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया। चूंकि यह मुद्दा बेरोजगारों के बारे में है और बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे उठाना बहुत जरूरी था। दिनांक 28 फरवरी, 2011 को कई बी.एड. धारक सारे उत्तर प्रदेश और मेरे क्षेत्र उन्नाव से लखनऊ के झूले लाल पार्क चौक में धरना और प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कार्यक्रम शांति पूर्वक चल रहा था, परन्तु हजरत गंज पहुंचते ही उनके ऊपर बेदर्दी से उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करवा दिया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। लोक तंत्र में अपनी बात कहने का उन्हें हक था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कई अलोकतांत्रिक नीतियों के साथ इन लोगों पर भी लाठी चार्ज करा दिया। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: This would not go on record.

(Interruptions) ...[*]

श्रीमती अन्नू टण्डन (उन्नाव): सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में आज प्राइमरी टीचरों की 3 लाख 25 हजार पोस्टें खाली पड़ी हैं और 4 लाख से ज्यादा बेरोजगार बी.एड. धारक हैं। पिछले सत्र में मैंने यह बात उठाई थी और माननीय जन संसाधन मंत्री, श्री कपिल सिब्बल जी ने आश्वासन दिया था और 25 अगस्त, 2010 को नैशनल कौंसिल फॉर टीचर्स एजूकेशन द्वारा एक नोटीफिकेशन भी जारी किया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि जिन्होंने 50 नंबर से ज्यादा बी.ए., बी.एस सी. या बी.एड. में प्राप्त किए हैं और अगर 1 जनवरी, 2012 तक छः महीने की प्राइमरी एजूकेशन की ट्रेनिंग ले लेंगे, तो उन शिक्षकों की नियुक्तियां कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक में हो सकती हैं। इसके बावजूद, आज तक, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं आपके माध्यम से सदन में मांग करती हूं कि ऐसी व्यवस्था की जाए जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार जल्द से जल्द इन रिक्त स्थानों को भरने के लिए विज्ञापन निकाले।

महोदय, मैं आपके द्वारा केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि बेरोजगारी का मसला है, राइट टू एजूकेशन का मसला है और वहां एक अलोकतांत्रिक राज्य सरकार है। हम चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कोई कारर्वाई की जाए।

श्री सज्जन वर्मा (देवास): सभापति महोदय, हमारी यू.पी.ए. सरकार द्वारा देश के अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग जिलों में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना चलाई जा रही है। यह ऐक ऐसी महत्वपूर्ण योजना है, जिसकी देश में बहुत लम्बे समय से आवश्यकता महसूस की जाती रही है। वितरण और पारेषण में जो क्षेत्र कमजोर हैं, उन्हें मजबूत बनाने के लिए यह योजना चलाई गई है, परन्तु दुर्भाग्य है कि जो क्षेत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल हैं, वहां सबसे पहले यह योजना लागू की जानी थी, लेकिन

[*] Not recorded.

देश के उन तमाम जिलों को छोड़ दिया गया है और जो क्षेत्र ऊर्जा के वितरण और पारेषण के मामले में पहले से विकसित हैं, उन जिलों को पहले ले लिया गया है।

सभापति महोदय, चूंकि मध्य प्रदेश के मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र के जिला देवास और शाजापुर भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल हैं, इसलिए मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वहां ऊर्जा के वितरण और पारेषण के क्षेत्र में बड़ी दयनीय स्थिति है। मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि देवास और शाजापुर जिलों में भी इस योजना को सम्मिलित करें, ताकि अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को भी इसका लाभ मिल सके।

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): Sir, I rise to raise an important matter of public importance. I beg to state that setting up of more High Courts will help speed up the disposal of pending cases which are very large in number.

Article 214 of the Constitution states that "there shall be a High Court for each State". Further, article 231 of the Constitution of India also states that "establishment of a common High Court for two or more States. Article 231 dilutes the provision of article 214. If necessary, the Constitution may be amended to make the provision as contained in article 214 mandatory.

Under the provisions of article 231, the Guwahati High Court has been the common High Court for all the States of the North East except the State of Sikkim which has a separate High Court. I have always been demanding for a separate High Court for the State of Manipur taking into consideration the fact that there are a large number of pending cases involving important constitutional issues. Of late it is learnt that the Union Government is setting up a High Court to the State of Tripura. This has created some problem. Naturally the people of Manipur and those of the other North Eastern States are neglected and ignored. Members of the Bar Council in the State of Manipur have already approached the State Government of Manipur.

Under the circumstances I would respectfully urge upon the Union Government in general and the Union Law Ministry in particular to set up a separate High Court in the State of Manipur immediately, or at least along with the State of Tripura and also set up separate High Courts for each of the remaining States of the North Eastern States immediately.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने एक अत्यन्त लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न पर मुझे बोलने की अनुमति दी है।

आज जहां हम प्रजातंत्र और प्रजातांत्रिक मूल्यों की हिफाजत के लिए रोज़ इस सदन में और इस सदन के बाहर भी अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं, वहीं आज कुछ कुंठित मानसिकता के लोग उन भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों पर कुठाराघात कर रहे हैं। प्रजातंत्र में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसकी जगह पर जिस प्रकार की स्वेच्छाचारिता हो रही है, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ मैं पूरे सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हू। निश्चित तौर से राजनीति में विचारों की भिन्नता हो सकती है, लेकिन कम से कम जो राष्ट्रीय महत्व की चीजें हैं, चाहे वह भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह अशोक का स्तम्भ हो या राष्ट्रीय गीत हो, वह किसी मुल्क की अस्मिता और स्वाभिमान का प्रतीक होता है।

एक जे.एन.यू. फोरम अगेन्स्ट वार ऑन पीपुल संस्था है। पांच मार्च को जे.एन.यू. कैम्पस में उन्होंने एक ऑपरेशन ग्रीन हंट की एक वर्कशॉप रखी थी, जिसमें एक लेखिका अरुंधति को बुलाया था और उस वक्तव्य के लिए, उस वर्कशॉप के लिए पूरे जे.एन.यू. में या आसपास के कैम्पस में जो पर्चे बांटे गये, आपने भी देखा होगा और आप भी अवगत हुए होंगे, बड़ा दुर्भाग्य है कि उस पर्चे में, जिसमें लोगों का आह्वान किया गया, लोगों को आमंत्रित करने के लिए कहा गया, उस पर्चे पर जूते की तस्वीर बनाई गई और उस तस्वीर के बीच में अशोक का स्तम्भ, जो हमारे इस सदन के अन्दर भी है, वह अशोक का स्तम्भ एक भारत की अस्मिता की पहचान है, उस पर वह प्रदर्शित किया गया।

इस सम्बन्ध में लोग वहां के वाइस चांसलर प्रो. एस.के. सोपोरी से मिले, डीन, स्टूडेंट वैलफेयर से मिले। इस मामले की गम्भीरता को वी.सी. या जो हमारे डीन, स्टूडेंट वैलफेयर हैं, उन्होंने सब ने महसूस किया, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

आजकल कुछ लोगों का एक फैशन सा बन गया है, जो कभी भारत माता को डायन कह देंगे, कभी राष्ट्रीय ध्वज का, तिरंगे का अपमान करने की बात कह देंगे।

कभी राष्ट्रगीत के संबंध में कुछ कह देंगे या कभी कह देंगे कि कश्मीर भारत का अंग नहीं है। मैं समझता हूं कि किसी भी मुल्क में इस तरह की घटनाएं जो राष्ट्र की अस्मिता पर कुठाराघात करती हों, जो सत्यमेव जयते के मूल्यों के प्रतिकूल या प्रतिगामी हों, वह देशद्रोह की श्रेणी में आना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहां लोकतंत्र में बैठे हैं और लोकतंत्र के पुजारी हैं। आज केवल यह बात नहीं है कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। मैं समझता हूं कि भारत की धरती पर रहकर, कोई भारत के सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहा है और सार्वजनिक रूप से कर रहा है। सत्ता की, सरकार की, हमारी या किसी भी दल की आलोचना कोई इस लोकतंत्र में कर सकता है, लेकिन जिस तरह से डेमोक्रेसी में आटोक्रेसी हो रही है, मैं समझता हूं कि इस सदन को बहुत गंभीरता से इस प्रश्न को लेना चाहिए। मैं सरकार से कहूंगा कि यदि देश की राजधानी के उस जेएनयू कैंपस में जहां बड़े जीनियस लोग पढ़ते हों, जहां इंटैलेक्चुअल्स पढ़ते हों, वहां से हम दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं और कौन से मूल्यों को प्रतिपादित करने की बात कर रहे हैं? निश्चित तौर पर इस मामले की गंभीरता को संज्ञान में लेकर, संसदीय कार्यमंत्री जी अगर इस पर रिस्पांड कर सकें, तो करें। धन्यवाद।

*SHRI P. LINGAM (TENKASI): Mr. Chairman, Sir, Textiles sector and specifically the Handloom Sector is seriously affected due to the unprecedented rise in yarn price. I would like to draw the attention of this august House to the plight of handloom weavers all over the country who have been hit hard by the skyrocketing yarn price that has greatly affected the traditional handloom industry in a big way. Mostly, the poorest sections of our society are carrying out this handloom weaving jobs as their livelihood down the centuries. Even the poor agricultural labour take up this during the off-season. In order to give protection to these people, care has usually been taken to give a buffer to handloom sector in particular whenever yarn prices go up. The security extended to them used to be in the form of subsidies to make available yarn at an affordable price. But today, what we see is to the contrary. The unprecedented yarn price rise has hampered the handloom sector in such a way that many of the handloom weavers have to go

* English translation of the speech originally delivered in Tamil

without livelihood and even food. Starvation deaths are at these hapless people too. Many of the handloom weaving societies are facing closure now. In Tamil Nadu, out of 18 cooperative spinning mills established to protect the interests of handloom weavers, only 5 are functioning now. There is something wrong with the Textiles Policy in this country which has led to a situation where big trading houses are able to export cotton depriving these spinning mills to carry on with their industrial activity. The cotton procurement by the Cotton Corporation of India benefits big capitalists in the export trade instead of extending the benefit to the needy handloom sector and the poor handloom weavers. Only big mills are protected and small cooperative spinning mills are left to fend for themselves due to which many of them are not able to continue with their functioning extending the benefits of providing yarn at an affordable price to the handloom weavers. The cooperative handloom weaving units that were entirely dependent on this yarn are now totally deprived of this protection shield. In the absence of the availability of cotton and yarn, many of the cooperative handloom societies are waning away. Hence I urge upon the Union Government to extend subsidy to benefit the handloom weavers ensuring the availability of cotton yarn at an affordable price. It is also imperative to protect our traditional handloom industry by way of insulating the handloom weavers from the vagaries of market forces. The Government must also come forward to procure and market the handloom products to give a boost to handloom industry and help save the poor handloom weavers all over the country.

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Sir, I thank you for the opportunity given to me to raise the burning and serious issues in the august House relating to the evacuation from Libya.

The turmoil in Egypt has spread across the nations and Libya for instance is on the verge of collapse. We are receiving conflicting reports on the state of affairs of that country and we hope calm soon prevails in these countries.

Our Government has done commendable work in evacuating those stranded people in Libya. This august House should appreciate the tireless effort undertaken by the hon. Ministers of Defence, External Affairs and Overseas as also the officials under the able guidance of our hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh. It is understood that about 12,000 persons out of 18,000 persons have so far been evacuated from Libya but lot many more are still to be evacuated. While it is admitted that some areas are not reachable due to on-going in-fights, yet the Mission in Tripoli should use the first opportunity to reach the stranded Indians.

Back home, these persons will be completely cut off from the society as they have returned penniless. The education of their children, health and employment are some of the major concerns which the Government has to ponder over.

We have a commitment for their welfare. Unlike the Kuwait War returnees, I believe these returnees are not eligible for any UN assistance.

It is felt that almost all the children of the entire evacuees would have lost their school certificates, etc. My request is that, as a special case, both the Central and the State Governments should consider admitting them in the nearby Kendriya Vidyalayas, or State Government schools or private schools without demanding any proper School Leaving Certificate, with fee exemption and provision of free books, unitofm, etc.

Secondly, the Government should consider extending bank loan facilities on subsidised rates for them to begin life afresh.

Thirdly, good health coverage to the entire evacuees must be ensured at least through free health insurance.

I would like to conclude my submission by requesting the Government, through you, to take immediate steps to minimise their legitimate misery. Thank you.

SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMRAJANAGAR): Thank you for giving me an opportunity to raise an important issue regarding sericulture farmers in India, who are facing critical problems.

In the field of sericulture, India stands second in the world, in terms of area and production. Karnataka stands first in India in terms of area and production. At present, the farmers are getting very low price for silk cocoons. Till fifteen days back, the farmers were getting Rs. 300 per kg. of silk cocoon. But at present, they are getting just Rs. 100 per kg of silk cocoon. So, in Karnataka, in many places the farmers are agitating. It is due to the reduction in the import duty on the Chinese silk. Import duty has been reduced from thirty per cent to just five per cent. So, this is the main cause for the farmers getting low price. That is why, in Karnataka the farmers are agitating against this.

I would request the Union Government to impose thirty per cent import duty on the Chinese silk to save our farmers. It is because six to seven million Indian sericulture farmers are suffering because of dumping of the Chinese silk. I would request the Union Government to impose thirty per cent import duty on the Chinese silk to save our Indian sericulture farmers.

MR. CHAIRMAN : Shri Shivkumar Udasi and Shri Shivarama Gouda are allowed to associate with the issue raised by Shri R. Dhruvanarayana.

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान उत्तराखंड स्थित एचएमटी फैक्ट्री की दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। देश की धड़कन कही जाने वाली एचएमटी कम्पनी की स्थापना राज्य के औद्योगिक विकास एवं रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए तत्कालीन उद्योग मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने 1982 में नैनीताल जिले के काठगोदाम के रानीबाग में की थी।

वर्तमान के पूंजीवाद और उदारीकरण के दौर में आज इस फैक्ट्री की हालत काफी खराब है। पिछले कई सालों से इस फैक्ट्री में उत्पादन नहीं हो रहा है। करोड़ों रुपये की लागत से लगाई गई मशीनें बंद पड़ी हैं जिससे इसकी माली हालत भी काफी खराब हो गई है। फैक्ट्री में कार्यरत सैंकड़ों कर्मचारियों को पिछले 6 महीनों से वेतन का भुगतान भी नहीं हुआ है जिससे उनके परिवार के सदस्यों के लिए दो

वक्त की रोटी का प्रबंध भी मुश्किल हो गया है। आज वे पानी पीकर रात को सो जाते हैं। उनका पेट काटा जा रहा है।

18.44 hrs.

(Shri Inder Singh Namdhari *in the Chair*)

मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह देश की धड़कन कही जाने वाली एचएमटी को रिवाइवल लिस्ट में सम्मिलित कर इसका पुनरुत्थान करे अथवा इन्हें डीआरडीओ/एचएएल/बीईएल कम्पनियों से काम दिलवाकर इसको दोबारा स्थापित करने का मौका प्रदान किया जाए।

रावी की रवानी बदलेगी सतलज का मुहाना बदलेगा
गर शौक में तेरे जोश रहा तस्वीर का जामा बदलेगा।
बेज़ार न हो बेज़ार न हो सारा फसाना बदलेगा
कुछ तुम बदलो कुछ हम बदलें तब तो यह ज़माना बदलेगा।

सभापति महोदय : रात जितनी ही संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी
रातभर का है मेहमां अंधेरा किसके रोके रुका है सवेरा।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अति लोक महत्व के प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : शैलेन्द्र कुमार जी, हम आपके लिए ही आये हैं।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा सर्वविदित है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में तैनात 52 हजार रोजगार सेवक, जिन्हें पंचायत मित्र कहा जाता है, की नियुक्ति उत्तर प्रदेश में वर्ष 2006 में संविदा के आधार पर हुई थी। ये गांव पंचायतों के विकास कार्यों की देख-रेख करते थे और अब भी निरंतर करते चले आये हैं। दिनांक 25.08.2010 को उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश के तहत तीन वर्ष तक कार्य करने वालों को हटाने के आदेश दिये। उन्होंने आदेश दिये कि इनको हटाकर नया चयन किया जाये। ...(व्यवधान)

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): सभापति महोदय, माननीय सदस्य यहां स्टेट मैटर बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप उन्हें बोलने दीजिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि राष्ट्र के अंदर ही स्टेट आता है।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, वर्ष 2006 से ये लोग निरंतर कार्यरत हैं, यानी तीन वर्षों से कार्य कर रहे हैं। जो 52 हजार ग्राम पंचायत, ग्राम सेवक या मित्र हैं, उनकी जीविकोपार्जन के सामने एक संकट उत्पन्न हो गया है। उनकी जीविका नहीं चल पा रही है, जबकि अन्य राज्यों में देखा जाये तो जब से मनरेगा की स्कीम शुरू हुई है, चाहे वह राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, वहां आज भी पंचायत मित्र, ग्राम सेवक निरंतर काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से कहना चाहूंगा कि वह इसमें पहल करे। हमारे तमाम पंचायत मित्र उत्तर प्रदेश सरकार के ग्राम विकास मंत्री जी से भी मिले थे। उन्होंने मौखिक आश्वासन भी दिया था। समाचार-पत्रों में भी आया था कि हम इन लोगों को रखेंगे, इन्हें हटायेंगे नहीं।

मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इसे गंभीरता से ले, चूंकि यह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, मनरेगा से संबंधित सवाल है। केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करे कि 52 हजार पंचायत मित्रों को निरंतर सेवा करने दी जाये, ताकि उनकी जीविकोपार्जन चल सके, उनका परिवार चल सके।

इन्हीं बातों के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

सभापति महोदय: आप सब मेरी एक रूलिंग सुन लीजिए कि जितने भी माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, वे अपना भाषण देकर चले न जायें। यह मेरा नियमन है कि वे तब तक बैठे रहें, जब तक अंतिम वक्ता नहीं बोलता।

श्री रतन सिंह (भरतपुर): सभापति महोदय, आपने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान राज्यों के मध्य हुए अनुबंधों के अनुरूप भरतपुर जिला, राजस्थान राज्य को 1281 क्यूसिक यमुना का पानी दिए जाने का निर्णय हुआ था। परन्तु अभी तक इस महत्वपूर्ण निर्णय की कोई पालना नहीं हुई है। भरतपुर में 800 क्यूसिक पानी लेने की क्षमता विद्यमान है। परन्तु वास्तविक तौर पर 250 क्यूसिक पानी ही गुड़गांव नहर एवं राजस्थान फीडर से मिल पाता है, जो 1281 क्यूसिक पानी का 19.5 प्रतिशत ही है। गुड़गांव नहर को दुरस्त कराने की तुरंत आवश्यकता है, जिसकी राशि राजस्थान ने हरियाणा राज्य को 2.50 करोड़ रुपये जमा करा दी है। भरतपुर आने वाली नहर से गुड़गांव नहर में, हरियाणा राज्य में बहुत ही पानी की चोरी हो रही है, इसलिए इसे

रोका जाना भी बहुत आवश्यक है। भरतपुर की वर्तमान विद्यमान क्षमता के अनुरूप 800 क्यूसिक पानी तुरंत दिया जाये।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि शेष 481 क्यूसिक यमुना का भी पानी भरतपुर को शीघ्र दिलाया जाये, जिससे जिले के किसान लाभान्वित हो सकें और कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने के लिए विशेष समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि जो हिली स्टेट्स हैं एवं अन्य कई राज्यों में आज जंगली जानवरों की वजह से किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है, उस मुद्दे को मैं आज सदन में रखना चाहता हूं। विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर आज जंगली जानवरों जैसे बंदर, सुअर, नीलगाय, बारहसिंगा, चीता, लंगूर, खरगोश आदि की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गयी है। हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 है और उसमें जो अमेंडमेंट वर्ष 2005 में लाई गयी, वह इतना सख्त है कि हम जानवरों को किसी भी दृष्टि से मार नहीं सकते हैं। आज स्थिति यह है कि लोग जब जंगलों में अपने काम के लिए जाते हैं, महिलाएं जाती हैं, बच्चे जाते हैं, उनको जंगली जानवर मार देते हैं, परन्तु लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए उनको मार नहीं सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे यहां के किसानों ने खेती-बाड़ी करना बंद कर दिया है क्योंकि ये जंगली जानवर जैसे बंदर खेतों में जाकर कुछ ही समय में, दस मिनट में ही पूरे का पूरा खेत तबाह कर देते हैं। इससे किसानों ने खेती करना बंद कर दिया है। यहां तक कि जितने अच्छे खेत थे, सारे तबाह हो गए हैं और लोगों ने उन जमीनों को बेचना शुरू कर दिया है। मेरा आपसे आग्रह है कि जो इतना भारी नुकसान हो रहा है, मैं हिमाचल प्रदेश का ही कहना चाहता हूं, कि आज हिमाचल प्रदेश का एनुअल लॉस 2000 करोड़ रुपये के करीब है। मैं आपको वहां के कुछ फिगर्स बताना चाहता हूं। हमारे यहां कुल 3243 पंचायतें हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी मांग क्या है?

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): महोदय, उनमें से 2300 से अधिक पंचायतें जंगली जानवरों से प्रभावित हैं। प्रदेश सरकार ने कोशिश की थी कि वहां पर स्टरलाइजेशन के माध्यम से, बंदरों की स्टरलाइजेशन करने से उनकी पापुलेशन पर रोक लगाने का प्रयास किया था। प्रदेश की सरकार वहां पर एक कानून लाई थी कि जो जंगली जानवर हैं, अगर वे किसानों का नुकसान कर रहे हैं, तो उनको मारने की वहां पर इजाजत दी थी, लेकिन कुछ एनजीओज ने हाईकोर्ट में पीआईएल दायर कर दी है, जिससे हाईकोर्ट ने उस पर बैन लगा दिया है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि केन्द्र सरकार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 में इस

प्रकार का अमेंडमेंट लाए जिससे किसानों को हो रहे नुकसान और जिस तरह से जानवर आदमियों को मार रहे हैं, उस पर रोक लगे। किसानों की हिफाजत हो जाए, उनकी फसलों की हिफाजत हो जाए। यही मेरा आपसे आग्रह है।

इसी के साथ मैं यह जोड़ना चाहता हूं कि वहां पर मनरेगा के अंतर्गत रखवाले नियुक्त किए जाएं, ताकि वहां के लोकल लोगों को रोजगार मिले।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसमें मनरेगा की बात क्यों ला रहे हैं?

श्री वीरेन्द्र कश्यप : किसानों के पास थोड़ी-थोड़ी जमीन हैं, दो-चार बीघे जमीन है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप शून्यकाल में दो विषय एक साथ कैसे उठा सकते हैं?

श्री वीरेन्द्र कश्यप : यही मैं आपके माध्यम से मांग सदन के सामने रखना चाहता हूं।

SHRI P. LINGAM (TENKASI): Sir, I would also associate with Shri Virender Kashyap.

MR. CHAIRMAN : You say that want to associate with him. It is allowed. Please send the slip.

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): महोदय, आपकी परमीशन से जीरो आवर में बोलने का मौका मिला है, मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण तकलीफ सुनाना चाहूंगा। जम्मू-कश्मीर में दो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आईं, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर चली गयी और दूसरी जम्मू चली गयी। कश्मीर में वीसी तैनात हो गया और कश्मीर यूनिवर्सिटी का साल शुरू हो गया और वह कश्मीर का ही लगा। जम्मू में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, उसके लिए वीसी तैनात नहीं हुआ, जिस व्यक्ति को तैनात किया गया, उससे पंगा हो गया, जम्मू बंद होने की बारी आई, क्योंकि वह बाहर से लाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि जब आप इंसाफ करते हो, तो सबके लिए एक जैसा इंसाफ होना चाहिए। जम्मू की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बच्चों का, जम्मू के बच्चों का पहला साल खाली चला गया।

यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे इस बात का इन्तेहाइ दुख है कि अभी तक जम्मू में सेंटर यूनिवर्सिटी में कोई वी.सी. नियुक्त नहीं हुआ है। अगर वी.सी. नियुक्त नहीं कर सकते थे तो कोई सीईओ या प्रो चांसलर की ही नियुक्ति कर देते, जिससे बच्चों का साल खराब न होता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाला साल भी बच्चों का कहीं खराब न हो जाए। इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से दरख्वास्त है और सभापति जी आपसे अनुरोध है कि आप सरकार को निदेश दें कि कोई जम्मूवासी जो सीनियरमोस्ट हो, काबिल हो, उसे

वी.सी. नियुक्त करें ताकि वह यूनिवर्सिटी चले और जम्मू के बच्चे तथा नजदीक के राज्यों के बच्चे भी वहां पढ़ सकें। इस तरह जो एक साल उनका छूट गया है, आने वाला साल खराब न हो।

सभापति महोदय : बंसल जी, कृपया इस विषय को संज्ञान में लें। जम्मू की सेंटर यूनिवर्सिटी में वी.सी. जाना चाहिए।

प्रो. रामशंकर (आगरा): सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके मैं आपका आभारी हूं। मैं आगरा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। आगरा को सभी लोग एक ऐतिहासिक और विश्व धरोहर के रूप में जानते हैं। वहां प्रतिदिन 50,000 से लेकर 1 लाख तक देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं। आगरा शहर के बीच में से नेशनल हाइवे नम्बर दो गुजरता है, जिसकी लम्बाई दस किलोमीटर है। लेकिन कोई फ्लाई ओवर या एलिवेटेड रोड उस पर नहीं है, जिसकी वजह से हर साल सैंकड़ों की तादाद में स्कूली बच्चों के साथ दुर्घटनाएं होती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। वहां के लोगों की लम्बे समय से मांग रही है कि जब आगरा में इतने पर्यटक आते हैं, उनकी वजह से जाम की स्थिति रहती है इसलिए उन्हें काफी परेशानी होती है, अतः इस समस्या के निदान के लिए इस दस किलोमीटर लम्बी रोड पर एलिवेटेड रोड या फ्लाई ओवर बनाया जाए।

सभापति जी, आगरा और मथुरा के बीच जो पट्टी है, वहां का पानी खारा है।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, यह शून्य काल है। आपने लिखित में जो नोटिस दिया है, आप केवल उस पर ही बोल सकते हैं। दूसरा विषय उठाना नियमों का उल्लंघन होगा। इसलिए शून्य काल में सिर्फ एक ही विषय पर आप अपनी बात कहें।

प्रो. रामशंकर : मेरी केन्द्र सरकार से यही मांग है कि वहां एलिवेटेड रोड बनाई जाए।

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM): Mr. Chairman, Sir, please give me permission to speak from this seat.

MR. CHAIRMAN: Yes, you are permitted.

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI : Sir, I thank you for giving me an opportunity to raise a matter of urgent public importance relating to empowerment of women on this important occasion of International Women's Day.

First of all, I thank the Government for approval of Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana (IGMSY), a Conditional Maternity Benefit (CMB) Scheme. The objectives of the scheme are, to improve the health and nutrition status of pregnant, lactating women and infants by promoting appropriate practices, care and service

utilization during pregnancy, safe delivery and lactation, encouraging the women to follow IYCF practices including early and exclusive breast feeding for six months and contributing to better enabling environment by providing cash incentives for improved health and nutrition to pregnant and nursing mothers.

It is expected that in the initial years with cash incentives of Rs. 4,000 per woman given in three installments, around 13.8 lakh pregnant and lactating women in 52 identified districts may avail of the benefit under the scheme. The beneficiaries would be pregnant women of 19 years of age and above for the first two live births.

19.00 hrs.

I thank the hon. Minister for including two districts of Andhra Pradesh in the policy programme.

MR. CHAIRMAN : Come to your demand.

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI : I would request the hon. Minister to extend this pilot scheme to Vizianagaram district because it is a backward district and the child mortality rate is very high in the district and the tribal people and the fishermen in the coastal area illiterate. This will help in creating awareness among the people there. So, my humble request to the hon. Minister is to sanction and extend this programme in Vizianagaram district also.

MR. CHAIRMAN: Since today is Women's Day, therefore the House is being concluded by a Lady Member.

The House stands adjourned to meet tomorrow, the 9th March, 2011 at 11 a.m.

19.01 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, March 9, 2011/Phalguna 18, 1932 (Saka).